छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **द्वितीय सत्र**

सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 2019

(आषाढ़ 24, शक सम्वत् 1941)

[अंक 02]

कार्यालय प्रति

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 2019

(आषाढ़-24, शक संवत् 1941)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. की डिग्री का प्रदाय

1. (*क्र. 394) श्री नारायण चंदेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा, वर्ष 2014 से 2019 के मध्य कितने लोगों को किस-किस विषय में पी.एच.डी. डिग्री, प्रदान की गयी है? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) उक्त विश्वविद्यालय में कितने पी.एच.डी. होल्डर प्रोफेसर कब से कार्यरत हैं?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा वर्ष 2014 से 2019 के मध्य 36 लोगों को कम्प्यूटर साइंस, शिक्षा, कला एवं मानविकी, लाइब्रेरी साइंस, मेनेजमेंट, गणित, इंजीनियरिंग एवं पत्रकारिता और जनसंचार विषयों में पी.एच.डी. डिग्री प्रदान किया गया है. वर्षवार जानकारी †[1] संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) विश्वविद्यालय में 27 पी.एच.डी. होल्डर प्रोफेसर कार्यरत हैं, तिथिवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राजधानी में संचालित कलिंग विश्वविद्याल से संबंधित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निजी विश्वविद्यालयों के लिए पी.एच.डी. पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु शासन की क्या गाईडलाईन है? मेरा दूसरा प्रश्न निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा पी.एच.डी. के लिए किन-किन नियमों का निर्धारण किया गया है?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यू.जी.सी. की गाईडलाईन के अनुसार पी.एच.डी. कराई जाती है और पूरे राज्यभर में उसी गाईडलाईन के अनुसार हर जगह पी.एच.डी. करायी गयी है।

---

[1] † परिशिष्ट "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निजी विश्विद्यालयों के लिए लागू है क्या?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हॉ। यू.जी.सी. की गाईडलाईन सभी जगह लागू है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी जानकारी आप दे दें। मैंने आपसे सरकार के गाईडलाईन के संदर्भ में जानकारी मांगी है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह गाईडलाईन आप अगर चाहेंगे तो हम उपलब्ध करा देंगे लेकिन वह पूरी गाईडलाईन है जिसमें यू.जी.सी. के गाईडलाईन को ही फॉलो किया जाता है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी विश्वविद्यालयों में गाईड सलेक्शन का क्राईटेरिया क्या है? उसका आधार क्या है? जो 86 गाईड बताये गये हैं उसके संदर्भ में मंत्री जी थोड़ा जानकारी दे दें?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण इस गाईडलाईन के अनुसार होता है। जिसमें विश्वविद्यालय में कोई भी नियमित रूप से नियुक्त आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम 5 शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हों और विश्विद्यालय/ मानद विश्वविद्यालय/ संस्था/महाविद्यालय में कोई भी नियमित सह सहायक आचार्य जो पी.एच.डी. उपाधिधारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिका में कम से कम दो शोध प्रकाशित हों, ऐसे लोगों को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक गाईड के अधीन एक समय में कितने छात्रों को पी.एच.डी. करा सकते हैं?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अलग-अलग गाईड के लिए अलग-अलग है। अगर कोई प्रोफेसर है तो वह एक समय में 8 लोगों को गाईड कर सकता है। इसी तरह से यदि वह एसोसियेट प्रोफेसर है तो वह 6 लोगों को और यदि वह असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वह 04 लोगों को करा सकता है। इस प्रकार अलग-अलग कैटेगिरी में रखा गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कलिंगा विश्वविद्यालय के संबंध में पूछा गया है। कलिंगा यूनिवर्सिटी में कितने गाईड हैं और क्या वह गाईड सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं क्या इसकी कभी जांच-पड़ताल कराई गई है? और वह जो पी.एच.डी. करवा रहे हैं वह जैसा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया उन मानदंडों के अनुरूप है या नहीं?

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी तो मंत्री जी आप ही के समय का जवाब दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे समय को तो भूल जाओ। यदि नहीं चला सकते तो फिर इधर आ जाओ।

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- जनता ने आपको सही जगह में भेज दिया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है उसी के उत्तर में लिस्ट दिया गया है कि अभी कौन-कौन से 27 गाईड कार्यरत हैं, आप उसे देख सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा कि 27 गाईड जो आपके यू.जी.सी. के गाईडलाईन हैं उसकी अर्हता को पूरा करते हैं क्या आपने ये कभी जांच करवाई क्या? मेरा दूसरा प्रश्न कि जो पी.एच.डी. करने के मापदंड आपने तय किये हैं उसके अनुरूप वहां पी.एच.डी. हो रही है या नहीं हो रही है?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां मैंने जब पता किया तो ऐसी कोई जांच अभी तक हुई नहीं है। अगर सदन इस पर सहमत होगा तो बिल्कुल नियामक आयोग से इसकी जांच करा देंगे कि इस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, जांच कराईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- जांच तो करा रहे हैं, आपको और क्या दिक्कत है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि यदि सदन सहमत हो तो जांच करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उनको निर्देश दे दिया कि जांच कराईये तो सदन सहमत का क्या सवाल है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कलिंगा का नहीं बल्कि जितने 10-12 प्राईवेट यूनिवर्सिटी हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- जांच कराने के लिए बोल तो दिये भाई। मंत्री जी ने वक्तव्य दे तो दिया कि अगर आप सहमत हैं तो जांच करा देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय मैं एक विषय में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। छत्तीसगढ़ में 12, 13 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यह पी.एच.डी. का फर्जीवाड़ा और क्वालिटी के बारे में पूरे यूनिवर्सिटी की वह जांच करायेंगे क्या ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल कार्यकाल में ....। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बीच इन्होंने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा देकर जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनको कमजोर करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

देकर ....। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय.....। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्या है ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है सुनो...।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, 15 साल जो किये हैं उसको तो ठीक करने में लग जायेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, पिछली सत्र में 125 यूनिवर्सिटी थी।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह इन्हीं के पीरियड का जवाब दिया जा रहा है। ठीक करने का.....।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल में एक भी प्रस्ताव छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय में नहीं आ पाया और यह शिक्षा की बात करेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी.....।

श्री रश्मि आशीष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 125 यूनिवर्सिटी थी उसको बंद करने के बावजूद आपने कलिंगा को बंद नहीं किया था। 125 यूनिवर्सिटी को बंद करने के दौरान आपके समय में कलिंगा को जारी रखा गया था।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, कलिंगा से क्या विषय है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी जवाब देने में सक्षम नहीं है जिसके चलते इनको खड़ा होना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री चंद्रदेव राय।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सक्षम नहीं हैं तो अलग बात है, आप ऐसा बोलो।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हम तीन पांच नहीं करायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब के लिये खड़े हो रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सदन में जवाब दे दिया कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करवायेंगे फिर क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उसके लिए क्या.....। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से यह पूछा जाता है कि एक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में एक भी छत्तीसगढ़ का टॉप नहीं आया इसका क्या कारण है ? (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मंत्री जी बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कौन है यह पता नहीं चल रहा है ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री देवेन्द्र यादव।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय,....।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी,....।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। पूरक प्रश्न किया जाता है, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। लेकिन यह एक गलत परंपरा डाली जा रही है कि मंत्री जी को बैठा करके बाकी लोग जो जवाब देते हैं यह परंपरा उचित नहीं है और मुझे लगता है कि प्रश्नकाल का जो समय है वह समय को खराब करते हैं और इतने जनहित के मुद्दे लगाये जाते हैं तो कृपया आप इस पर थोड़ा सा निर्देशित करें।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक यू।

अध्यक्ष महोदय :- श्री चंद्रदेव राय।

<u>जिला बलौदाबाजार भाटापारा में स्थापित उद्योग</u>

2. (*क्र. 348) श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में कितने उद्योग स्थापित हैं ? (ख) लघु-दीर्घ एवं कुटीर उद्योगों की संख्या कितनी हैं ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) जिला बलौदाबजार-भाटापारा में पंजीकृत कुल 571 उद्योग स्थापित है. (ख) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत 263 सूक्ष्म (कुटीर) उद्योग, 296 लघु उद्योग, मध्यम उद्योग-04 एवं 08 वृहद (दीर्घ) उद्योग स्थापित है.

श्री चंद्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्नों के जवाब में उद्योगों की संख्या माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया है। मैं पूरक प्रश्न माननीय उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। बलौदाबाजार सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला है और पर्यावरण को बचाने के लिए वहां जो सीमेंट प्लांट है उनके द्वारा क्या कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय....।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब भी उद्योग से संबंधित प्रश्न आता है। उद्योग मंत्री जी की जगह जवाब देने के लिए माननीय अकबर साहब खड़े होते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सम्माननीय धरम लाल कौशिक जी ने एक नीति अपराध की थी। यहां सदन में गरिमा की बात कही थी।(व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सभी में लागू होना चाहिए न। उधर भी लागू होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष जी ने निवेदन कर रहा हूं....। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो किस अधिकार की बात पूछे जा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- देवेन्द्र यादव, आप बैठ जाइये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे बोलने के लिए अनुमति ली है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाइये। उसने मुझसे व्यवस्था का प्रश्न किया है, नहीं हो सकता मैं समझ रहा हूं। प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। फिर भी मुझे जानकारी है कि माननीय मंत्री जी कहीं बाहर गये हैं। उन्होंने अकबर जी को अधिकृत किया है इसलिए पूछ सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पिछली बार यह व्यवस्था दी थी कि आज एक बार के लिए, आज यदि कह दें एकात बार नहीं सीखें नहीं जान पाये तो चलता है या तो आप व्यवस्था दे दीजिए कि हमेशा कवासी लखमा जी का उत्तर आर्टिफिसीयल इंटेलीजेंस से आयेगा तो हम उसके लिये भी तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जब भी प्रश्नकाल आता है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह सदन की व्यवस्था अगर माननीय मंत्री जी नहीं हैं तो उसमें आपत्ति की क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- .....।(व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हम हमेशा के लिये तैयार हैं । संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्नों के उत्तर में .....। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उनका मदद की जरूरत है.....। (व्यवधान) जब भी कोई निर्देश आता है .....। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन में .....(व्यवधान) की उपस्थिति में इनको क्या तकलीफ हुई। सरकार की तरफ से जवाब आ रहा है। जवाब क्यों नहीं चाहते ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री उपस्थित नहीं होते, हम उत्तर नहीं देते बहुत जिम्मेदारी का व्यवहार है.....(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- .....। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शांतिपूर्ण माहौल इन लोग....। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, श्री अमरजीत जी मंत्री हो गये हैं....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बैठिये। आप लोग बैठ जायें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय....।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी, देवेन्द्र यादव, पाण्डे जी। जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हों ...।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपके प्रश्नों के लिए लड़ाई लड़ रहे। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- इनके पास जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाएं।(व्यवधान) माननीय देवेन्द्र यादव जी एवं पाण्डे जी, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तो उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का जवाब आने दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- आपके प्रश्नों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- आप आराम से लड़ लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग सुनिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- प्रश्नकर्त्ता प्रश्न कर रहे हैं और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं फिर ये अलग से कौन सी परम्परा आ गई ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं कह रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं तो आप लोगों को सवाल नहीं करना चाहिए। आप लोग बैठिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- एक मिनट मंत्री जी, केवल एक लाईन।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कवासी लखमा जी बहुत जरूरी काम से बाहर गये हुए हैं और उन्होंने नियमानुसार लिखित में सूचना दी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आज अभी 15 मिनट पहले बात हुई है।

श्री मोहम्मद अकबर :- मेरी बात तो पूरी हो जाए।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपकी बात हुई तो क्या .. (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट आप बैठ जाएं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घोर आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या मंत्री जी ने चन्द्राकर जी को जवाब देने के लिए अधिकृत किया है?

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाएं भई, होने दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जवाब में दूसरे विभाग का उत्तर एक ही विभाग में सम्मिलित होकर आ जाता है तो आप कहते हैं कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री मण्डल है, संयुक्त जिम्मेदारी है तो संयुक्त जिम्मेदारी में जवाब क्यों नहीं दे सकते? जवाब दे सकते हैं, उसमें कोई अनियमितता नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जब इस सदन में बजट पेश हुआ था, उसका भी जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया। प्रश्नोत्तरी का भी जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। ये विभाग ही इनको ट्रांसफर किया जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब क्या हुआ? ये तर्कों की बात नहीं है। ये परम्परा की बात है कि जो मंत्री है, उसको जवाब देना चाहिए। अब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका कारण बताना चाहिए। मैं बीमार हूँ। अस्वस्थ हूँ। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- धर्मजीत भईया वही तो बता रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आप व्यवस्था दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये सदन की परम्परा रही है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत आपत्तिजनक बात है। कभी कभार कोई बात घटना, दुर्घटना में किसी को भी जवाब देने का अधिकार है, पर ये तो परम्परा बन गई है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में एक घण्टे का समय उत्तर के लिए होता है, बेवजह सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है। प्रश्नकर्त्ता प्रश्न पूछ रहे हैं और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ये सरकार साढ़े 4 साल कितने बहाने बनायेगी ?

श्री बृहस्पत सिंह :- बेवजह सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बोलिए कि आपका मंत्री अक्षम है इसलिए हम जवाब देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप लोग बैठिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- प्रश्नकर्त्ता प्रश्न कर रहे हैं और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत मुश्किल से प्रश्न लगता है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सरकार को भी कैसे चलाना है, इन लोग गाईड करेंगे, इनसे सीखना पड़ेगा। जब मौका था तो आप लोग चलाये नहीं। सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। (व्यवधान) आपके प्रश्न का जवाब दें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो मंत्री बन गये हो। (व्यवधान)या ऐसा कोई विभाग दे दीजिए, जिसका कोई प्रश्न ही नहीं करना होता हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप मंत्री का (व्यवधान) मत करो।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता प्रश्न पूछ रहे हैं और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं (व्यवधान) बहुत मुश्किल से प्रश्न लगता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत सरल रास्ता है। (व्यवधान) ऐसे विभाग का मंत्री बना दीजिए और बाकी... (व्यवधान)मना कर रहे हैं। बिना विभाग का मंत्री बनाईये।

श्री बृहस्पत सिंह :- प्रश्नकर्त्ता प्रश्न कर रहे हैं और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो क्या हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी, आप बैठ जाईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)ऐसा विभाग जिसमें कोई प्रश्न नहीं लगता हो।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोगों को जवाब से मतलब है या नहीं ? विपक्ष का अधिकार है कि प्रश्न करे। सरकार उसका जवाब देगी। सरकार की संयुक्त जवाबदारी है कि आप लोग प्रश्न करें, उसका जवाब दें। अब आप हमको सिखायेंगे कि सरकार कैसे चलायी जाती है, जवाब ऐसे दिया जाता है ? तो आपसे हमको नहीं सिखना है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं, आप लोग उनका तो सम्मान करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, हम लोग नहीं सिखा रहे हैं। कल पुनिया जी सीखा कर गये हैं। पुनिया जी सिखाये हैं, भईया वह कौन 4 हैं? थोड़ा बता देना। सदन के बाहर वे कौन 4 लोगों के परफार्मेंस के बारे में बयान आया है। कौन से 4 मंत्री का परफार्मेंस खराब है (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- वह पेपर में छप रहा है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- ये कांग्रेस के अंदर की बात है। (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- आदरणीय वह बयान नहीं, वह प्रेस का अनुमान है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका सुनता हूँ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जब बजट सेशन हुआ। माननीय मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। परिस्थितियां थी तो उसमें बहुत सारी बातें आनी थीं। आपने

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जवाब दिया, हमने उसको स्वीकार किया। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो उद्योग मंत्री हैं, वह सक्षम मंत्री हैं, आदिवासी मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं और पुराने वरिष्ठ नेता हैं। हमको उनके ऊपर विश्वास है, कांग्रेस को उनके ऊपर विश्वास नहीं हैं, इनकी सरकार को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, मैं इस बात को नहीं जानता।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- नेता जी, विश्वास है, तभी उनको मंत्री बनाये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब आदिवासी मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप बन जाना, लेकिन अभी प्रश्न की बात हो रही है, उसका जवाब दें।

श्री धरमलाल कौशिक :- लेकिन मैं इस बात को अभी भी बोल रहा हूं कि लखमा जी को आना चाहिए। उनको जो जवाब देते बने, वह जवाब देना चाहिए, मैं इस बात को बोल रहा हूं कि हम मंत्री जी को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जैसा भी जवाब देंगे, हम लखमा जी को सहयोग करेंगे, लेकिन उद्योग मंत्री लखमा जी को ये असक्षम साबित मत करें। हम लोग उनको सक्षम समझते हैं इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इसमें थोड़ी-बहुत कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके जवाब आयेंगे, उनके जवाब देने में ये लोग सहयोग करें, हम लोग भी सहयोग करेंगे। लेकिन आज यह आसंदी का निर्देश होना चाहिए कि जो मंत्री हैं वह जवाब दें। एक बार कोई घटनायें घट जायें, निश्चित रूप से उसमें सहयोग किया जाता है, लेकिन यह जो परंपरा बन रही है, यह परंपरा नहीं चलने दी जायेगी। मैं आसंदी से इस बात की मांग करता हूं और आसंदी उसमें निर्देशित करे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहली बार मदद किया था। लेकिन ये संसदीय परंपरा शुरू करिये, आप ऐसी व्यवस्था दीजिए कि आसंदी का निर्देश ऊपर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपकी पूरी बात सुन ली।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, कोई बता रहे हैं कि मंत्री जी लॉबी में सोये हैं, ये अच्छी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, इसमें बहुत चर्चा हो गई। इससे ज्यादा बहस नहीं हो सकती।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी से हमारी बात हुई है, वह यहीं हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी को जवाब देने से रोका जा रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी तरफ से व्यवस्था आ जाये।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समय खराब करने के लिए आये हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लखमा जी को जवाब देने से रोका जा रहा है।... (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- हम उद्योग मंत्री जी से जवाब लेना चाहते हैं, लेकिन उद्योग मंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :
11:18

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा उद्योग मंत्री के माध्यम से जवाब न दिया जाकर वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) द्वारा जवाब देने के विरोध में।

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा उद्योग मंत्री के माध्यम से जवाब न दिया जाकर वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) द्वारा जवाब दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

न्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पर्यावरण को बनाए रखने के लिए उद्योगों द्वारा किये गए प्रयास और कार्य को जानना चाहता हूं ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जरा एक बार मूल प्रश्न को पढ़ लें। आपने केवल उद्योगों की संख्या पूछी है, ये पर्यावरण का विषय नहीं है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय मंत्री महोदय जी, ये पूरक प्रश्न है। यह बलौदाबाजार में जो संकट है, उसके लिए है, प्रदूषण इतना हावी हो गया है कि वहां का जनजीवन त्रस्त है। पूर्ववर्ती सरकार के समय श्री और हिमानी उद्योग सीमेन्ट प्लाण्ट है, उनके द्वारा पर्यावरण को बनाए रखने के लिए एक भी कोई कार्य नहीं किया गया है। यह उद्योग से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री मोहन मरकाम :- आप वन मंत्री भी हैं, वहां क्या रहे हैं, दोनों उत्तर एक ही में आ जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- सिर्फ वन मंत्री जी नहीं हैं, सुपर चीफ मिनिस्टर नहीं हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सुपर चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको क्या दिक्कत है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न ये है कि वहां पर उद्योग कितने हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर आपने जो चिंता जताई है, पर्यावरण को लेकर समय-समय पर जांच की जाती है, यदि आपने ऐसी कोई बात ध्यान में लाई तो हम उसको भी दिखवा लेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं अगले प्रश्न की ओर जा चुका हूं। श्री सौरभ सिंह।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो श्री और हिमानी सीमेन्ट उद्योग अवैध कब्जे पर स्थापित हैं, क्या उसके लिए आप किसी प्रकार की जांच करायेंगे ? वह अवैध कब्जा किये हुए हैं, पूर्ववर्ती सरकार के समय का है। यह बड़े पैमाने पर घेराबंदी करके रखे हुए हैं, क्या उसकी आप जांच करायेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप मंत्री जी से कक्ष में चर्चा कर लें करके ।

अध्यक्ष महोदय :- वह भी बोलूंगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- तो आप यह व्यवस्था दे दीजिये कि जब भी श्री कवासी लखमा जी का ऐसा विषय आयेगा तो हम लोग कक्ष में उत्तर ले लिया करेंगे ।

श्री मोहम्मद अकबर :- उत्तर तो दे दिया न, हो गया ।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको अकेले को छूट दे दीजिये वे लॉबी में जाकर अकेले में प्रश्न का उत्तर ले लेंगे । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- आपसे तो उत्तर ठीक ही आयेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह व्यवस्था दे दीजिये न कि श्री कवासी जी के सारे विभाग इनके पास ही आ जायें और उनको बिना विभाग का मंत्री बना दें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- श्री अकबर भाई आपसे तो उनका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट आयेगा लेकिन आप भी रोज-रोज कब तक उत्तर देंगे इसीलिये ये रास्ता निकालिये, आखिर आप रोज-रोज कब तक उत्तर देंगे ? (व्यवधान)

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- वे आदिवासी मंत्री हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं ? आदिवासी मंत्रियों का थोड़ा सम्मान किया करिये । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- आप लोग उनका अपमान कर रहे हैं, (व्यवधान) उनको जवाब देने से वंचित कर रहे हैं, ये अपमान आप लोग आदिवासी मंत्रियों का कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से कक्ष में उत्तर तो ले लेंगे लेकिन कक्ष तो रहे । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जोंग हैं, वे ट्रम्प से बात करने के लिये गये थे, वहां से जब आये तो उनके जो दुभाषिया थे, उन्होंने गलत ट्रांसलेशन

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

किया करके अभी उसको जेल में षड़वा रहे हैं । अब पता नहीं किस टाईप तक होगा इसीलिये मैं बोल रहा हूं कि इस खतरे से बचिए। (हंसी) उन्हीं को बोलने दीजिये, वे अपनी भाषा में बोलेंगे, आखिर लफड़ा क्यों पालना? उनकी बातों का जवाब ये दे रहे हैं इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय आप उनको निर्देषित करिये ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ सिंह जी आप प्रश्न करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- ये विभागीय मंत्री हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप कार्यकारी मुख्यमंत्री बना दीजिये, हमें उसमें आपत्ति नहीं है लेकिन आप जवाब दिलवाईये ।

<u>अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम की स्वीकृति</u>

3. (*क्र. 137) श्री सौरभ सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 वित्तीय वर्ष में दिनांक 15-6-2019 तक किस-किस गांव में कितने-कितने स्टेडियम की स्वीकृति कब-कब प्रदान की गई ? (ख) किस एजेंसी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है ? निर्माण कब तक पूर्ण होगा ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि के अंतर्गत ग्राम पोंडीदल्हा में एक मिनी स्टेडियम की स्वीकृति दिनांक 08-06-2018 में प्रदान की गई. (ख) निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग है. निर्माण 30-09-2019 तक पूर्ण होना संभावित है.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि दिनांक 18.06.2018 को एक स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब यह स्वीकृति प्रदान की गयी तो उस समय अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब यह स्वीकृति दिनांक 18.06.2018 को जो आपके प्रश्न में आया है जब इस निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी एक जगह की उस वक्त पर अन्य स्थानों पर स्टेडियम निर्माण की घोषणा के बाद कौन-कौन से प्रकरण लंबित थे ? एक की स्वीकृति हो गयी, अन्य कितने प्रकरण लंबित थे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्पेसीफिक एक जगह के लिये पूछा गया है यदि आपको किसी और उसमें जानकारी चाहिए तो मैं बिल्कुल दिखवा लूंगा ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पेसीफिक नहीं है बल्कि बिल्कुल साफ है कि अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में कितने स्टेडियम हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 वित्तीय वर्ष में ....।

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 वित्तीय वर्ष में दिनांक 08.06.2018 तक कितने स्टेडियम के निर्माण हुए ? जवाब एक आया है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 वित्तीय वर्ष में दिनांक 15.06.2019 तक किस-किस गांव में कितने-कितने स्टेडियम स्वीकृत हैं, यह पूरे विधानसभा का प्रश्न है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में किस-किस स्टेडियम की स्वीकृति कब-कब प्रदान की गयी है ? तो उन तीनों वर्ष में कोई स्वीकृति प्रदान की ही नहीं गयी है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही तो प्रश्न है कि जब दिनांक 18.06. को स्वीकृति प्रदान की गयी तो एक स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी, अन्य दो प्रस्ताव थे करके तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य दो प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति लंबित है या आपने कैंसिल कर दी अथवा वह फाईल से कहां चली गयी ? अगर नहीं है तो बता दीजिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति हुई ही नहीं है, एक ही स्वीकृति मिली थी और स्टेडियम का नाम आपको दिया गया है ।

श्री सौरभ सिंह :- अच्छा, प्रशासनिक स्वीकृति एक ही की हुई । क्या और कोई प्रस्ताव थे ?

श्री उमेश पटेल :- स्वीकृति जिसमें फाईनल बजट पाया जाता है उसकी बात कर रहा हूं ।

श्री सौरभ सिंह :- मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या और कोई प्रस्ताव थे ?

श्री उमेश पटेल :- प्रस्ताव तो बहुत सारे थे, प्रस्ताव तो बहुत सारे हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री चिंतामणी महाराज ।

प्रश्न संख्या - 04 XX XX

<u>महासमुन्द जिला अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत कार्यों हेतु स्वीकृत राशि</u>

5. (*क्र. 422) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिला अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 20 जून, 2019 तक किन-किन विकासखण्डों में मनरेगा योजना द्वारा कितने कार्यों के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" में स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य प्रारंभ किये गये कितने कार्य अप्रारंभ हैं विकासखण्ड एवं वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांश "क" में स्वीकृत कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किया गया ? कितनी राशि भुगतान हेतु शेष है ? विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी देवें ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) महासमुंद जिला में वर्ष 2015-16 से 20 जून, 2019 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी † [2] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश "क" में स्वीकृत कार्यों में से प्रारंभ एवं अप्रारंभ कार्यों की विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों में किये गये भुगतान एवं शेष भुगतान राशि की विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय पंचायत मंत्री जी से ही था कि मनरेगा की योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक कितनी राशि मनरेगा में स्वीकृत की गयी है और कितने कार्य प्रारंभ हैं और अप्रारंभ हैं तो इसमें जवाब आया है कि लगभग 1985 कार्य स्वीकृत किये गये थे जिसमें 1202 प्रारंभ हैं और 783 अप्रारंभ हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक चालू हो जायेंगे ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से 19,000 नहीं बल्कि संख्या ज्यादा होगी, चूंकि प्रतिवर्ष की इसमें माननीय सदस्य को भी और सदन को भी जानकारी उपलब्ध हो गयी है । वर्ष 2015-16 में 25, 548, वर्ष 2016-17 में 87,672, वर्ष 2017-18 में 4,481, वर्ष 2018-19 में 2561 और वर्ष 2019-20 में 207 कार्य, जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं उनकी समीक्षा भी करा ली जायेगी जिन कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं या अपूर्ण हैं । जैसे ज़मीन का अभाव, कार्य में अनुपस्थित होने की स्थिति, मांग आधारित इस योजना में कार्य की मांग तो की गई लेकिन कार्य प्रारंभ करने पर लोग उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, इन कारणों से भी विलम्ब हो सकता है । विलम्ब के जो भी कारण होंगे उनको दिखवा लिया जाएगा, जांच करवा ली जाएगी और जितने भी कार्य स्वीकृत हुए हैं, प्रारंभ भी कर दिए जाएंगे और पूर्ण करने की दिशा में हर संभव पहल की जाएगी।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में लगभग 704.91 लाख का भुगतान बाकी है । यह भुगतान भी कब तक हो जाएगा, यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मजदूरी की राशि 2017-18 में 51 लाख, 64 हजार, 2018-19 की 263.66 लाख, 2019-20 की 126.28 लाख । सामग्री की 2017-18 में कोई राशि लंबित नहीं है, 2018-19 की 204.62 लाख, 2019-20 की 58.71 लाख । ये राशियां लंबित हैं । जुलाई माह में विभाग ने केन्द्र सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, पत्राचार भी

[2] † परिशिष्ट "दो"

अशांकित/प्रकाशन के लिए नहीं

किया है । जुलाई माह में मनरेगा के मजदूरी की सम्पूर्ण राशि प्राप्त हो जाएगी । सामग्री की भी राशि जैसे ही प्राप्त होती है, उसका भी भुगतान कर दिया जाएगा ।

<u>बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण</u>

6. (*क्र. 502) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017 से 20 जून, 2019 तक मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कौन-कौन से सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क"के तहत स्वीकृत सड़कों की कार्य एजेंसी कौन-कौन सी हैं एवं कितने कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किए गए एवं कितने अपूर्ण हैं एवं क्यों ? (ग) प्रश्नांश "क"की अवधि में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्यों का भुगतान कर दिया गया है एवं कितनों का नहीं ? क्या भुगतान के पूर्व कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया था ? यदि हां, तो किसके द्वारा उसमें कौन-कौन से गुणवत्ताविहीन पाए गए ? एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवार बताएं ? (घ) प्रश्नांश "क"के संपादित कार्यों में से कितनी सड़कें निर्धारित संधारण अवधि के भीतर उखड़ने/जर्जर होने की शिकायतें प्राप्त हुई/संज्ञान में आई है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017 से 20 जून 2019 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत सड़कों के निर्माण की स्वीकृति की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी †† [3] संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् वांछित जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. (ख) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत प्रश्नांश "क"के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों में कार्य एजेंसी की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है, सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किए गए है एवं कोई कार्य अपूर्ण नहीं है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रश्नांक "क" के तहत स्वीकृत सड़क की कार्य एजेंसी की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. स्वीकृत एक मात्र कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया गया एवं वर्तमान में कार्य प्रगति पर है. उक्त मार्ग में नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन सीपत द्वारा फ्लाई ऐस विलम्ब से एवं कम मात्रा में प्रदान किये जाने के कारण अपूर्ण है. (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत प्रश्नांश "क"की अवधि में स्वीकृत दोनों कार्यों का चलित देयक भुगतान किया गया है. जी हॉ, दोनों कार्य में भुगतान के पूर्व कार्यों में गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया है. किसके द्वारा किया गया की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. सभी कार्य गुणवत्तायुक्त पाया गया, अतः कार्यवाही करने का

[3] † परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रश्न उपस्थित नहीं होता. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रश्नांश "क"की अवधि में स्वीकृत मात्र एक सड़क टी 11 मोहभट्ठा से भेड़नी (हडगांव) के चलित देयकों का भुगतान किया गया है. हॉ, भुगतान के पूर्व कार्यों की गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण विभागीय अभियंताओं द्वारा किया जाकर निर्धारित मापदण्डानुसार व गुणवत्तापूर्वक पाये जाने के पश्चात् भुगतान की कार्यवाही की गई. इसके अतिरिक्त राज्य गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा 02 बार एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक द्वारा 01 बार निरीक्षण किया गया, जिसमें कार्य संतोषप्रद श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. (घ) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत प्रश्नांश "क" के संपादित सभी सड़कें निर्धारित संधारण अवधि के भीतर उखड़ने/जर्जर होने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई/संज्ञान में नहीं आई है, अतः उन पर कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् प्रश्नांश "क" की अवधि में स्वीकृत एक मात्र सड़क निर्माणाधीन है संधारण अवधि में नहीं है अतः वांछित जानकारी निरंक है.

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय पंचायत मंत्री जी से प्रश्न पूछा था, उसका जवाब मुझे मिल गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने प्रधानमंत्री मार्ग की गुणवत्ता की बात की थी । जो जवाब आया है मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा कि मोहभट्ठा से भेड़नी (हड़गांव) मार्ग जो अभी चल रहा है। उसमें गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किया गया था । मैंने पूर्व में कुछ अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की थी लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई । आज स्थिति इतनी खराब है कि बी.टी. होने के बाद भी कई जगह रोड बैठ रही है । अगर आप कहें तो जिस समय सामग्री का उपयोग हो रहा था उसकेफोटोग्राफ्स भी मेरे पास हैं । इसमें ओवर साइज मेटल का उपयोग किया गया है । ठेकेदार द्वारा इसमें ग्रेडियेंट का भी कार्य ठीक से नहीं किया गया है तो आपसे जानना चाहूंगा कि उस ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें एक समय ऐसा भी था जब माननीय विधायक जी ने मुझसे फोन पर चर्चा भी की थी और रोड के संदर्भ में उन्होंने अपनी बात रखी थी । मैंने तत्काल अधिकारियों से कहा था, विभाग से कहा था और उन्होंने जाकर जांच भी की थी । जो जानकारी मुझे दी गई है उसमें उस कार्य को भी सुधार लिया गया था । गुणवत्ता की जांच के लिए विभिन्न लोगों को तैनात भी किया गया था । बावजूद इसमें अगर विधायक जी का कहना है कि कहीं काम की गुणवत्ता में कहीं कमी है तो उसको भी दिखवा लिया जाएगा और कार्य निष्पादन होने तक के लिए ठेकेदारों की राशि भी जमा रहती है, अगर ऐसी कोई अनियमितता आएगी तो जांच कराकर उस राशि से भी उसको सुधार लिया जाएगा ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, जो जवाबदार अधिकारी ऐसे ठेकेदारों को संरक्षण दे रहे हैं, जिनके संरक्षण में काम हो रहा है, विधायक के बोलने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर आप कार्रवाई करेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से गलत काम में संरक्षण तो नहीं हो सकता और न ही होगा । मुझे स्वयं याद है कि जैसे ही विधायक जी ने बोला था, दूसरे ही दिन अधिकारी गए थे और उन्होंने जांच करके मुझे बताया भी था कि विधायक जी से भी चर्चा हुई और उन्होंने मौके पर जाकर देखा और सुधारा भी । बावजूद उसके किसी और जगह यदि कमी पाई जाएगी, विधायक जी से मैं स्वयं भी उसकी जानकारी ले लूंगा । कहीं जांच के बाद यह बताया गया हो कि गुणवत्ता ठीक है और विधायक जी का कहना है कि नहीं, वहां बड़े साइज या ओवर साइज गिट्टी का इस्तेमाल किया गया है या कोई भी ऐसी बात होगी निश्चित रूप से उसको दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन जी शर्मा ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । प्रधानमंत्री मार्गों की स्थिति, जो पी.जी. से बाहर हो चुकी है, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है । जिला मुख्यालय से लगे हुए जितने भी मार्ग हैं, आज यह स्थिति है कि लोग उसमें पैदल नहीं चल पाएंगे । कृपया उनकी मरम्मत की तरफ भी उनका ध्यान दिलवाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक जी, जब माननीय मंत्री जी ने आपसे कह दिया कि आपसे चर्चा कर लेंगे । तो ऐसी बातें चर्चा में समझ में आ जाएंगी, उनके लिए विधान सभा प्रश्न मत लाया करें ।

<u>प्रदेश में संचालित सीमेंट उद्योग एवं उनकी उत्पादन क्षमता</u>

7. (*क्र. 111) श्री शिवरतन शर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में किस-किस जिलें में कितने सीमेंट उद्योग संचालित हो रहे तथा उन उद्योगों की उत्पादन क्षमता कितने कितने टन की है ? (ख) स्थापित उद्योगों में पिछले 2 वर्ष के अंदर कितना सीमेंट उत्पादन किया गया तथा कितने क्लिंकर का उत्पादन कर अन्य प्रांतों में भेजा गया ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) प्रदेश में वर्तमान में 06 जिलों में कुल 13 सीमेंट उद्योग संचालित हो रहे हैं. जिलेवार उद्योगों के नाम व उनकी उत्पादन क्षमता की जानकारी

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

†[4] संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नंबर 5 से 8 पर दर्शित है.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया था कि प्रदेश में कितने सीमेंट प्लांट स्थापित हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और 2 वर्षों में कितना क्लिंकर बाहर भेजा है? माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो जवाब आया है, उसमें छत्तीसगढ़ में कुछ सीमेंट प्लांट ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता से कम सीमेंट का उत्पादन किया और उससे डबल क्लिंकर बाहर भेज दिया। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। आपने उत्तर में दिया है- ग्राम सोनाडीह की ये मेसर्स न्यूवोको विस्टा कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्पादन क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन पर ईयर की है और इसमें सीमेंट उत्पादन 5.40 लाख मीट्रिक टन किया है। एक साल 5.59 लाख मीट्रिक टन किया है। पर जो क्लिंकर भेजा है, वह 21.77 लाख मीट्रिक टन है। दूसरे साल 24.62 लाख मीट्रिक टन भेजा है। लगभग सारे सीमेंट प्लांटों ने क्लिंकर की मात्रा प्रदेश से बाहर ज्यादा भेजी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सीमेंट पर और क्लिंकर पर हमारे यहां जो भी टैक्स लगता है, उस टैक्स का रेशियो कितना है? क्या क्लिंकर भेजने से प्रदेश सरकार को हानि हो रही है या नहीं हो रही है?

अध्यक्ष महोदय :- आप इनसे उत्तर लेंगे? उत्तर तो इनसे लेंगे न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, अब आपने अनुमति दी है। हम तो आपसे इस पर स्थायी व्यवस्था चाहते हैं। आपकी स्थायी व्यवस्था हो जाए।

श्री मोहम्मद अकबर :- उत्तर चाहिए? (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- वह क्लिंकर वाली व्यवस्था पहले से ही इधर से है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि क्लिंकर को बाहर भेजने में कोई रोक नहीं है। एक बात यह कि जितना मर्जी आये, बनाकर वे स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि सीमेंट या क्लिंकर यदि राज्य से बाहर जाता है तो राज्य को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं मिलता। इसलिए जी.एस.टी. लागू होने के बाद नुकसान का कोई सवाल नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्लिंकर भेजने में कोई रोक नहीं है। पर जो सीमेंट उत्पादन की क्षमता है, उससे हम उत्पादन कम कर रहे हैं और क्लिंकर का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं। आज आपको लगता है कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पर जी.एस.टी. लागू नहीं हुआ था तो हमको नुकसान तो हो रहा था। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप यह बोल रहे हैं न जी.एस.टी. लागू होने के बाद कोई टैक्स नहीं लग रहा है। जी.एस.टी. के पहले टैक्स था। कुल मिलाकर सीमेंट प्लांट वालों ने क्लिंकर बाहर भेजकर कहीं न कहीं हमें और इस प्रदेश को राजस्व

[4] † परिशिष्ट "चार"

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

की हानि पहुंचाई है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जी.एस.टी. लागू होने के सिर्फ एक साल क्लिंकर भेजने से हमें कितने राजस्व की हानि हुई है? आप यह जानकारी दिलवा दें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. लागू होने के पहले वेट लागू किया गया था। इनके एग्रीमेंट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप बंधनकारी उसको नहीं कर सकते। जो उत्पादन यहां किया जाता है उसमें जी.एस.टी. लागू होने के बाद स्टॉक ट्रांसफर पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। कुल 28 प्रतिशत होता है। जो उपभोक्ता राज्य है, जहां पर यह विक्रय होता है, केवल उनको टैक्स मिलेगा। वर्ष 2015-16 में उन्होंने निर्धारित किया था कि वर्ष 2015-16 को बेस बनाकर उस समय जो इनकम प्राप्त होता था, वह 14 प्रतिशत अधिक के हिसाब से राज्यों को उसकी क्षतिपूर्ति जी.एस.टी. के मुताबिक दी जाती है। इसके पहले वेट था जो हाई कोर्ट से क्वेश हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने जो प्रश्न पूछा, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। मंत्री जी यह उत्तर तो दे रहे हैं कि जी.एस.टी. के बाद हमको नुकसान नहीं हो रहा है पर जी.एस.टी. लागू करने के पहले साल हमें कितना नुकसान हुआ, यह तो आप हमें बता दें। बड़ी प्लानिंग के साथ सारे सीमेंट प्लांट वाले सीमेंट का उत्पादन कम करते हैं और क्लिंकर बनाकर प्रदेश से ज्यादा बाहर भेजते हैं। इससे लंबे समय तक हमें राजस्व की हानि हुई है।

श्री मोहम्मद अकबर :- जी.एस.टी. लागू होने के बाद भी स्टॉक ट्रांसफर पर कोई टैक्स नहीं है। यह नीति हमारी नहीं है। इन्हीं के लोगों द्वारा पहले बनाई गई है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के समय से लागू है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, जी.एस.टी. जो लागू हुआ, उसमें सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। अगर हमने बनायी है तो उसमें आपकी भी सहमति है, इस बात को आप ध्यान में रखिए।

अध्यक्ष महोदय :- अजीत जोगी जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय एक अंतिम प्रश्न ....।

अध्यक्ष महोदय :- आपके दो पूरक हो गये हैं..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- शिवरतन भैया, तोर आगू में डॉ. साहब बइठे हे, उही ले पूछ लेबे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको तो 15 साल का पूछना चाहिए। 21 साल का क्यों पूछ रहे हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये जो सीमेंट प्लांट संचालित हैं, इसमें कितने सीमेंट प्लांटों को आपने पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न से उद्भुत नहीं होता है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सीमेन्ट उद्योग से संबंधित मामला है और सीमेन्ट उद्योग को ही अनुमति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न है कि कितने लोगों को पावर प्लाण्ट लगाने की अनुमति दी गई है, यह इसमें पूछा नहीं गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीमेन्ट प्लाण्ट से संबंधित प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। मैं यह जो सारा प्रश्न पूछ रहा हूँ वह सीमेन्ट प्लाण्ट से संबंधित है। सीमेन्ट प्लाण्ट वालों को ही पावर प्लाण्ट लगाने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आप तैयारी करके आये, बोल दीजिये। (विभागीय मंत्री जी की ओर देखते हुए)

श्री मोहम्मद अकबर :- प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उद्भुत तो होता है। मंत्री जी, उत्तर नहीं देना चाहते, यह अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय :- बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट प्लाण्ट से संबंधित प्रश्न है। मैंने सीमेन्ट प्लाण्ट से संबंधित प्रश्न किया है कि आपने कितने पावर प्लाण्ट की अनुमति दी है, यह प्रश्न क्यों उद्भुत नहीं होता है ? सीमेन्ट प्लाण्ट से संबंधित प्रश्न क्यों उद्भुत नहीं होता है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट प्लाण्ट से संबंधित प्रश्न है। आपने सीमेन्ट और क्लींकर के बारे में पूछा है। सीमेन्ट और क्लींकर के बारे में जवाब दे दिया गया है। पावर प्लाण्ट का कोई प्रश्न तो है ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय जोगी जी, आप पूछे।

श्री अजीत जोगी :- आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हम देश का लगभग 25 प्रतिशत सीमेन्ट अपने प्रांत में उत्पादित करते हैं। हमारा खदान, हमारा लाइमस्टोन, हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारी जमीन और हमारे ऊपर प्रदूषण का भार, ये सीमेन्ट उद्योगों के कारण लग रहे हैं। चूँकि प्रश्न सीमेन्ट उद्योगों से संबंधित है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सब कुछ हम दे रहे हैं, परन्तु सीमेन्ट की कीमत देश में अन्यत्र जितनी होती है, उतनी ही कीमत हमसे भी वसूली जाती है। क्या मंत्री जी ऐसी पहल करेंगे कि छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को, चूँकि हम अपनी जमीन दे रहे हैं, अपना खदान दे रहे हैं, अपना जल दे रहे हैं, अपनी बिजली दे रहे हैं, प्रदूषण सह रहे हैं, तो सीमेन्ट उद्योगों पर क्या यह दबाव डाला जायेगा कि छत्तीसगढ़ में कुछ कम कीमत पर हमारे उपभोक्ताओं को सीमेन्ट दी जाये ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट का दर तय करना राज्य सरकार के कन्ट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप कह रहे हैं तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री अजीत जोगी :- दिखवा लेंगे, मतलब ? इस पर चर्चा करेंगे न ? दिखवा लेने का मतलब ?

श्री मोहम्मद अकबर :- मैंने पहली लाईन यह कहा कि हमारे कन्ट्रोल में नहीं है। लेकिन आपने कहा, दिखवा लेंगे मतलब चर्चा के बाद ही कुछ बात हो पायेगी।

श्री अजीत जोगी :- नहीं-नहीं, कन्ट्रोल में नहीं है, परन्तु हमारे राज्य सीमेन्ट प्लाण्टस हमारे राज्य में स्थापित हैं। हम उन पर दबाव बनाये कि हमको बर्बाद कर रहे हो, हमारे उपभोक्ताओं को तो कम कीमत पर दो।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं इसमें दिखवा लूंगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने कहा था कि क्लींकर को छत्तीसगढ़ से बाहर भेज रहे हैं तो इसमें राज्य सरकार को नुकसान है। इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीमेन्ट में एक टन में जी0एस0टी0 5400 रूपया टैक्स है और क्लींकर में 1800 रूपया टैक्स देते हैं। इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ सरकार को मिलेगा जिसमें राज्य सरकार को नुकसान है। राज्य सरकार को सालाना नुकसान दो हजार करोड़ रूपया नुकसान है। मैं पिछली बार भी प्रश्नकाल में बोला था और आज भी इस बात को बोल रहा हूँ कि कम से कम सालाना दो हजार करोड़ रूपया नुकसान है। इसकी जांच करवाईये। पूरे क्लींकर को छत्तीसगढ़ से बाहर भेज रहे हैं और इसमें छत्तीसगढ़ को जो टैक्स मिलना होता है, इसमें वह टैक्स बिलकुल नहीं मिलता है। यह बिलकुल गलत जवाब था। छत्तीसगढ़ में टैक्स का नुकसान हो रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल रखा है। प्रदेश में सीमेन्ट के रेट बढ़ गए हैं। यह हम सबको विदित है कि पिछले छः महीने में रेट बढ़ गए हैं। जब क्लिंकर एक प्लाण्ट से बाहर जायेगा और यहां उत्पादन नहीं होगा, तो सी0एम0ए0 तो रेट बढ़ायेगी ही। तो सदस्यों की मूल चिंता यही है कि क्लिंकर से सीमेन्ट का उत्पादन हो और प्रदेश में सीमेन्ट का रेट कम हो और आम आदमी को सीमेन्ट सस्ती में मिले। यदि प्रदेश के बाहर क्लिंकर जा रहा है तो उन्होंने बता दिया कि टैक्स का कैसे नुकसान हो रहा है। यदि प्रदेश के बाहर क्लिंकर जायेगा तो प्रदेश के बाहर सीमेन्ट के उत्पादन होने से रेट अपने आप बढ़ जायेगा। सी0एम0ए0 बैठक कर लेती है। उत्पादन को कम कर देती है और क्लिंकर को बढ़ा देती है और रेट को चढ़ा देती है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सीमेन्ट मिल लगेगा तो यहां बहुत सारे युवा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहां का व्यवसाय बढ़ेगा। लेकिन पूरे सीमेन्ट प्लाण्ट क्लिंकर को छत्तीसगढ़ के बाहर भेज दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भी पूछने के पहले नियमों को जानना चाहिए। यह संभव नहीं है। 01 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 लागू हुआ है। उसके बाद से स्टॉक ट्रांसफर पर किसी प्रकार का हमको टैक्स नहीं मिलता है। जो उपभोक्ता राज्य है, जहां पर यह विक्रय होगा, जो उपभोग करेगा, उस राज्य मिलेगा। 2015-16 के हिसाब से जो इडेक्स बनाया गया है, तत्समय हमारा 2015-16 में आय था, उसमें 14 प्रतिशत मिलाकर क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को मिलेगा। इनको मालूम ही नहीं है कि इस प्रकार का मिलने का कुछ प्रावधान है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, जब वह सीमेंट छत्तीसगढ़ में खपेगा, जब छत्तीसगढ़ में सीमेंट का रेट कम होगा तो सीमेंट ज्यादा खपेगा तो कंजम्प्शन बेस टैक्स है-जीएसटी । यहां पर ज्यादा सीमेंट खपेगा तो हमको ज्यादा टैक्स मिलेगा, वह सीमेंट बाहर जा रहा है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कोई रोक नहीं है, अनुमानित बातों का कोई उत्तर नहीं है ।

<u>जिला राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज जेम पोर्टल एवं अन्य माध्यम से दवा एवं उपकरण की खरीदी</u>

8. (*क्र. 557) श्री दलेश्वर साहू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत शासकीय मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, राजनांदगांव में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जेम पोर्टल एवं अन्य माध्यम से किन-किन फर्मों से कौन-कौन सी दवाईयों एवं उपकरण की खरीदी की है ? (ख) निविदा कब आमंत्रित की गयी, कितनी राशि का भुगतान किस फर्म को किया गया ? क्रय समिति में कौन सदस्य हैं नाम, पदनाम, गठन तिथि एवं बैठक की जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) शासकीय मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, राजनांदगांव में द्वितीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में फर्मों से क्रय की गई दवाईयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर है एवं उपकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" में है. (ख) निविदा आमंत्रण/क्रय समिति के सदस्यों के नाम, पदनाम, गठन तिथि एवं बैठक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" में है एवं राशि भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "य" पर संलग्न है.

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 10-15 नोटशीट है...।

अध्यक्ष महोदय :- नोटशीट ?

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है, उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 1599 वित्त विभाग/नया रायपुर/12-2-2018 को 2017-18 के बजट में प्रावधानित राशि 15.2.2018 के बाद क्रय में प्रतिबंध है, समयाभाव के कारण रिवर्स आप्शन अ एवं ई में क्रय किया जाना संभव नहीं है । उसके बाद उपरोक्त जी.एम. की गाईन लाईन के अनुसार 50 हजार से 30 लाख तक की खरीदी एल 1, जी 1 अनुमोदित सामग्री खरीदी की जा सकती है । जब वित्त विभाग से क्रय में प्रतिबंध लगा है तो क्या विभाग ने वित्त विभाग से अनुमति लेकर क्रय किया है ? यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी क्रय होगा तो स्वाभाविक है कि प्रक्रियाएं हैं, उसकी पूर्ति करने के बाद ही क्रय संभव होता है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग ने प्रतिबंध लगाया, ठीक है आपने खरीद लिया, मैं मानता हूं । मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि आपके नोटशीट में 15.2.2018 को क्रय समिति की बैठक हुई, आपने बैठक की जानकारी 28.2.2018 दी है तो दोनों में विरोधाभाष है । क्रय समिति के गठन के तीन सदस्य आपके नोटशीट में हैं और आपने जानकारी दी है, उसमें 6 सदस्यों की जानकारी दी है । क्रय समिति में सदस्यों की संख्या 3 ही है और लेखापाल का क्रय समिति में रहना अनिवार्य है, पर आपकी नोटशीट में आपके लेखाधिकारी को क्रय समिति में अनुमोदन के लिए रखा ही नहीं गया है तो इन दोनों प्रश्नों में आपके विभागीय नोटशीट में और सदन में जो जानकारी दी गई है, दोनों विरोधाभाषी है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इसकी विधिवत् जांच कराएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप बार-बार नोटशीट का कह रहे हैं ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी है। मेरे पास क्रय समिति के गठन की भी जानकारी है, सदस्यों के संख्या की भी जानकारी है । इनके ही विभाग का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप नोटशीट बोल रहे हैं तो आपके पास नोटशीट की कापी है क्या ?

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, हां, मेरे पास कॉपी है ।

अध्यक्ष महोदय :- कहां से मिली ?

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, जन सूचना से मिली है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये वैसे ही है, जैसे सुब्रमणियम स्वामी को मिलती है, ऐसे ही इनको मिला हुआ है । (हंसी)

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीजीएमएससी के माध्यम से जो भी क्रय होता है, वह जैम पोर्टल के माध्यम से होता है और जो जानकारी विभाग ने दी भी है, उसमें जैम के माध्यम से कोई खरीदी नहीं हुई है, इसकी जानकारी दी है । अगर ऐसी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त खरीदी की बात आती है तो क्रय समिति के माध्यम से वह क्रय करने की बात है । अगर विधायक जी को कहीं भी ऐसी कोई जानकारी होगी तो वह मुझे भी उपलब्ध करा दें, पहले ही उपलब्ध हो जाता तो पहले ही उसकी जानकारी आ जाती ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं पटल में रख देता हूं, मेरे पास है, आप जांच के आदेश करवा दीजिएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- साहू जी, मेरी बात तो सुन लीजिए । आप ये पूरे नोटशीट की कॉपी लेकर माननीय मंत्री जी से कक्ष में मिल लीजिएगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, प्लीज़ । मंत्री जी, मैं जांच चाह रहा हूं, मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी है ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, विधायक जी की जो भी शंका है या उनकी कोई भी जानकारी है, उनको पूरी तरह से संतुष्ट कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- नोटशीट सही है या गलत है, ये भी चैक करवा लीजिएगा । (हंसी)

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी ।

<u>सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित मध्यम एवं वृहद उद्योग</u>

9. (*क्र. 188) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के धरसींवा ब्लाक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं वृहद कितने उद्योग संचालित हैं ? (ख) उद्योगों में मानव दुर्घटना संबंधित कितनी शिकायतें 30 मई, 2017 से 30 मई, 2019 तक प्राप्त हुई ? कितनी मृत्यु हुई तथा कितने पूर्णरूप से विकलांग हो गये हैं ? (ग) प्राप्त शिकायतों में प्रबंधक/प्रबंधन के द्वारा किसको कितना मुआवजा व आश्रित को नौकरी दी गयी है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) रायपुर जिले के धरसींवा ब्लाक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में कुल 15 मध्यम एवं वृहद उद्योग संचालित है. जानकारी ††[5] संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश "क" के तहत †† संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित 15 उद्योगों में 30

[5] † परिशिष्ट "पांच"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मई 2017 से 30 मई 2019 तक मानव दुर्घटना संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ग) प्रश्नांश "ख" के अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि मेरे प्रश्न **ख** के उत्तर में आपके विभाग के द्वारा गलत जानकारी दी गई है क्योंकि दिनांक 5 मई, 2019 को प्रतिष्ठित समाचार-पत्र व मीडिया में गोदावरी इस्पात उद्योग एवं दिनांक 9 मई, 2019 को प्रतिष्ठित समाचार-पत्र व मीडिया में सारडा एनर्जी उद्योग में मानव दुर्घटना के समाचार प्रकाशित हुए हैं, जिसकी छायाप्रति मैं प्रदर्शित कर सकती हूं । माननीय मंत्री जी, आपके विभाग के द्वारा विधान सभा में गलत जानकारी दी गई है । इस पर आप कुछ कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा बिल्कुल सही जानकारी दी गई है । यदि आप प्रश्न देखेंगे तो उद्योगों में मानव दुर्घटना संबंधी कितनी शिकायतें 30 मई 2017 से 30 मई 2019 तक प्राप्त हुई ? शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है, समाचार पत्र में आया है । प्रश्न शिकायतों का है, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्रीमती अनीता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहती हूँ कि उद्योग के क्षेत्र में दुर्घटना और मृतक की स्थायी रूप से हो रही विकलांगता के लिए सरकार के द्वारा क्या कोई मुआवजा नीति बनाई गई है ? माननीय मंत्री जी मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय जी के गृह ग्राम कोरबा निवासी स्व. श्री संतोष कुमार मरकाम को इस्पॉत इंडिया उद्योग द्वारा आज दिनांक तक एक भी रूपये सहायता राशि नहीं दी गई है, जबकि उसकी मृत्यु छैः माह पूर्व हो गयी है । ऐसे मामले जो उद्योग जगत में दबे पड़े हैं, जिसको कोई देखने वाला है, न सुनने वाला है....।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा (4) के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 प्रतिशत मासिक वेतन और रिलिवेंट फैक्टर यानी उसकी उम्र और जॉब प्रोफाईल क्या काम करता था, इसकी गणना करते हुये, उसको मुआवजा दिया जाता है, इस बात का प्रावधान है ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने जिस नाम का जिक्र किया है, उसके बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से सदस्या ने पूछी है कि जो समय निर्धारित है, और सिलतरा । उसमें कोई दुर्घटना हुई कि नहीं हुई, शिकायत की बात आई है । आपने कहा कि कोई शिकायत नहीं मिली है । लेकिन उस बीच में कोई दुर्घटना हुई कि नहीं हुई, मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है, और उसके ऊपर कोई जांच के आदेश हुये हैं ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, मेसर्स शारडा एनर्जी मिनिरल्स लिमिटेड, सिलतरा रायपुर में दुर्घटना हुई है । मृतक का नाम विपिन कुमार शर्मा/विकेश्वर शर्मा । कंपनी द्वारा अंत्येष्टि के लिए 2.00 लाख, इसके अलावा 15 लाख, कुल मिलाकर 17 लाख उसको दिया गया है । दूसरा विशेश्वर वर्मा, अंत्येष्टि के लिए 2.00 लाख, इसके अलावा 15 लाख, कुल 17 लाख । जो दूसरी कंपनी है, मे.गोदावरी पॉवर, रंजीत यादव, उम्र 26 वर्ष, अंत्येष्टि के लिए 1 लाख, इसके अलावा 20 लाख, शिव कुमार अंत्येष्टि के लिए 2.50 लाख, इसके अलावा 20 लाख, उमेश भारती, अंत्येष्टि के लिए 2.50 लाख, इसके अलावा 20 लाख, लखेश्वर वर्मा, अंत्येष्टि के लिए 2.50 लाख, इसके अलावा 20 लाख । रघुनाथ साहू, अंत्येष्टि के लिए 2.50 लाख, इसके अलावा 20 लाख ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह जो मृत्यु पर दी जाने वाली राशि जो अलग-अलग बताये हैं, इसके लिए शासन की कोई नीति है ? उन कंपनियों की कोई नीति है ? यदि उनकी मृत्यु हो जाये, तो इतना उनको दिया जायेगा और यह राशि उसके लिए भरपाई की गई है । उसके संबंध में थोड़ा स्पष्ट करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कंपनी प्रबंधन के द्वारा दिया गया है । इसके अलावा जो बीमा पालिसी है, उसका भुगतान किया जायेगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो दिये हैं, उसको मैं समझ गया । बीमा अलग हो गया । बीमा की जो राशि है, जो कंपनी के द्वारा बीमित होंगे, वह राशि दी गई है, वह अलग है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- यह राशि बीमा की नहीं है, यह राशि कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गई है । बाकी का जो मैंने यह नियम बताया, इसमें श्रमिक क्षतिपूर्ति ..।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने अलग-अलग बताया, मैंने इसलिए पूछा कि किस नियम के अंतर्गत, किस प्रावधान के अंतर्गत, अलग-अलग जो दी गई है, उसमें समरूपता नहीं है, उसके लिए सरकार के द्वारा कोई, नियम, प्रावधान, शासकीय है, प्रायवेट है, उसमें थोड़ा सा बतायेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- यह श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा (4), यह नियम है । इसके अंतर्गत गणना करके दिया जाता है। और जॉब प्रोफाईल, काम करता था, कितना पाता था, उम्र कितनी थी । यह नियम के अंतर्गत ही है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह ठीक कहा है कि शिकायत नहीं मिली । दुर्घटना में इतने लोगों की मृत्यु हो गयी । मृत्यु के बाद उनकी मुआवजा की राशि भी तय हुई और तय होने के बाद आज तक उसकी कोई सूचना नहीं है आखिर इसमें किसी न किसी की तो जवाबदारी होगी कि वह संबंधित थाना क्षेत्र के हैं, संस्थान के हैं, या कोई पत्र किसी को लिखे होंगे, कहीं न कहीं किसी की जिम्मेदारी आप सुनिश्चित करेंगे और नहीं है तो कोई न कोई आपके अधिकारी होंगे

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो उसकी सूचना दें और इतनी बड़ी घटना के बाद में मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि आपने एक लाईन में जवाब दिया कि इसकी कोई सूचना नहीं है। तो यह सुनिश्चित होना चाहिए और इसके जवाबदार होना चाहिए कि सूचना क्यों नहीं है इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे कि जो इतनी बड़ी घटना की संबंधित को सूचना दी जानी चाहिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना और शिकायत में अंतर है। यदि कोई शिकायत करे तो उसकी जांच होगी। कंपनी प्रबंधन ने फार्म-22 में स्वयं फैक्ट्री मालिक ने सूचित किया है। और बाद का जो प्रश्न है कि कोई शिकायत प्राप्त हुई थी क्या, तो शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी बल्कि सूचना प्राप्त हुई थी।

<u>भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में सी.एस.आर. के तहत् प्राप्त एवं व्यय राशि</u>

10. (*क्र. 2) श्री गुलाब कमरो:- क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सी. एस. आर. के तहत प्राप्त होने वाली राशि को जिला कलेक्टर के निर्देशन/नियंत्रण में व्यय करने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2017 से मई, 2019 तक भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी राशि एस.ई.सी.एल. एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से प्राप्त हुई? वर्षवार विकासखंडवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश "क"के तहत स्वीकृत राशि किन-किन कार्यों में कहॉ-कहॉ व्यय की गई? एवं क्या व्यय राशि से संपादित कार्यों का मूल्यांकन किया गया? यदि हां, तो उसमें क्या पाया गया? (ग) प्रश्नांश "क" के स्वीकृत राशि के कार्यों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर मद में व्यय करने का प्रावधान है, अधिनिमय के अनुसूची-7 के अनुसार सीएसआर मद में कंपनी द्वारा कार्य कराए जाते हैं. सामान्यतः जिला प्रशासन के समन्वय से अनुशंसित कार्यों को सी.एस.आर. में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, जिससे एक ही कार्य की पुनरावृत्ति न हो. भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. बिलासपुर ने वर्ष 2017 से मई 2019 तक राशि रु. 24.56 लाख सीएसआर मद के तहत् एस.ई.सी.एल. बिलासपुर द्वारा व्यय किया है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में कराए गए सीएसआर कार्यों का विवरण ‡[6] संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. जी हां, सीएसआर के कार्यों का मूल्यांकन अधीक्षण अभियंता (सिविल), एसईसीएल हसदेव क्षेत्र ने किया है एवं कार्य सही पाए हैं. (ग) जी नहीं.

[6] परिशिष्ट "छ:"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सी.एस.आर. मद से संबंधित प्रश्न किया था जिसका जवाब मुझे मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि मुझे जो जानकारी दी गई है वर्ष 2017 से मई 2019 तक राशि रु. 24.56 लाख सीएसआर मद के तहत् व्यय किये गये हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कटघोड़ी, लेदरी, खोंगापानी, जहां पर महाप्रबंधक का कार्यालय लेदरी में स्थापित है में विभाग द्वारा जो जानकारी 24.56 लाख खर्च की जानकारी दी गई है इन तीनों क्षेत्रों में एक रूपये की भी राशि खर्च नहीं की गई है। इसके अलावा जो प्रभावित क्षेत्र नहीं हैं वहां पर इनके द्वारा 24.56 लाख रूपये खर्च किया गया है जबकि कोरिया जिला आदिवासी जिला है और वहां पांचवी अनुसूची लागू है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप माननीय मंत्री जी को निर्देश करें कि सी.एस.आर. का मद वहां के रहने वाले आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के लिए कलेक्टर के माध्यम से खर्च करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों को कम समय मिला है पर हम लोग वहां पर जब एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों से मिलते हैं तो उनको यह लगता है कि हम राज्य सरकार के अधीन नहीं हैं इसलिए वह हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि अधिकारियों को निर्देश करें कि कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार से जो भी राशि अगर उपलब्ध कराई जा रही है तो जो वहां प्रभावित क्षेत्र के रहने वाले हैं उनका जीवन यापन सुधरे और वहां पर राशि मुहैया कराई जाए यह मेरा आपके माध्यम से सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय :- सुझाव कर रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं?

श्री गुलाब कमरो :- प्रश्न कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न पूछिए।

श्री गुलाब कमरो :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वहां के रहने वाले प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राशि उपलब्ध कराई जाए।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा।

अशांकित/प्रकाशनार्थ के लिए नहीं

<u>जिला बस्तर में कौशल विकास उन्नयन हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि</u>

11. (*क्र. 546) श्री बघेल लखेश्वर:- क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से जनवरी, 2018 तक की स्थिति में कौशल उन्नयन हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई? विकास खण्डवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांक "क"के तहत स्वीकृत राशि में

कौन-कौन से कार्य संपादित किये जाने हैं? तथा कौन-कौन से संस्थानों, एन.जी.ओ. में कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में किस-किस आधार पर व्यय की गई? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) बस्तर जिले के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से जनवरी 2018 तक की स्थिति में कौशल उन्नयन हेतु कुल राशि रु. 21,56,17,500.00 (राशि इक्कीस करोड़ छप्पन लाख सत्रह हजार पांच सौ रुपये) स्वीकृत की गई. विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"क" में दर्ज है. (ख) प्रश्नांक "क" के तहत् स्वीकृत राशि से कौशल प्रशिक्षण से संबंधित कार्य संपादित किये गये है. संस्थानों, एन.जी.ओ. में कुल राशि रु. 12,31,25,670.00 (राशि बारह करोड़ इक्कतीस लाख पच्चीस हजार छः सौ सत्तर रुपये) का व्यय (भुगतान) किया गया है. संस्थानों, एन.जी.ओ. में व्यय (भुगतान) की गई राशि एवं संपादित कार्यों का विवरण वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ख-1, ख-2 एवं 3 में है.

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कौशल विकास से संबंधित प्रश्न किया था, मंत्री जी के द्वारा मुझे जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न राशि के ऊपर पूछा गया था और उसकी पूरी डिटेल परिशिष्ट में दी गई है। कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है उसकी अलग से जानकारी मैं आपको मुहैया करा दूंगा।

<u>प्रदेश में शराब दुकानों से प्राप्त राजस्व</u>

12. (*क्र. 270) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी देशी एवं विदेशी शराब दुकान हैं? वर्ष 2018 से मई, 2019 तक शासन को शराब के विक्रय से कितना लाभ प्राप्त हुआ है? (ख) क्या प्रदेश में शराब बंदी की जायेगी यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) प्रदेश में देशी शराब की 338 एवं विदेशी शराब की 312 दुकान संचालित है. वर्ष 2018 (01 जनवरी 2018) से मई 2019 तक शासन को शराब के विक्रय 6206.5 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. (ख) प्रदेश में शराबंदी की कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया प्रचलित है.

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा था कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने देशी और विदेशी शराब की दुकानें हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2018 से वर्ष 2019 तक इसके विक्रय से शासन को कितना लाभ हुआ है और

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

शराबबंदी कब तक करेंगे उसका समय निर्धारित करके हमें बतायें यह मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था? यह जवाब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं?

श्री मोहम्मद अकबर :- जो सवाल आपने पूछा था उसका पूरा उत्तर लिखित में आ चुका है। इसके अलावा क्या जानना चाहती हैं यह बतायें तो उसे मैं बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप इस लफड़े में मत पड़ो। शराब-वराब के लफड़े में आप क्यों पड़ती हैं? (हंसी)

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि शराबबंदी कब होगी? हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सरकार है उसका प्रमुख एजेंडा शराबबंदी था और आज जो सरकार बैठी हुई है उसका प्रमुख श्रेय सिर्फ महिलाओं को जाता है। महिलाओं ने सिर्फ एक ही मुद्दे को देखकर हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार को वोट दिया था और वह मुद्दा यह था कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जायेगी। लेकिन आज तक शराबबंदी के लिए किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया है और इसे बंद करने के बजाय जहां पर शराब बिक्री केन्द्र खुला है वहां दो-दो काउंटर रख दिये हैं। ऊपर से जो प्लास्टिक की सीसी में और दारू बेचने जा रहे हैं। महिलाएं हर जगह, हम लोग जनसंपर्क में जाते हैं तो हम लोग से यही प्रश्न पूछते हैं कि शराबबंदी कब की जायेगी ? मैं इसीलिए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप एक निश्चित डेट बतायें कि आप लोग कब शराबबंदी करेंगे ? नहीं तो हमें किसी तरह से नजर नहीं आ रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार जो है वह शराबबंदी करना चाहती है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बोलो-बोलो।

श्रीमती इंदू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो शासन है, उसमें सबसे ज्यादा आय हमारे वाणिज्य विभाग से ही आता है। इसलिए मेरे को नजर आ रहा है कि आप लोग इसे बंद नहीं करना चाहते। माननीय मंत्री जी आप बताने की कृपा करेंगे कि आप लोग शराब बंदी कब तक करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समिति गठित की है और समिति की रिपोर्ट आने के बाद बंद करने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय....।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत जी, दे रहा हूं। मैं समय दे रहा हूं, आप क्यों परेशान हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपके जमाने में बहुत बड़े-बडे बोर्ड लगे थे, 15 साल चला क्या हुआ ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्रकार :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, रोज अलग-अलग वैरायटी के बाटल आते थे, अलग-अलग वैरायटी के।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ लूं।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, मैंने आपसे पूछा है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, पहले उनको बोला है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, बहुत ही सम्मानित सदस्या ने पूछा है क्योंकि यह पूरे प्रदेश की महिलाओं की चिंता है। शराब बंद करने के नाम पर आपने यह जो 68 सीट आप आये हैं न उसमें आपका शराबबंदी का मुद्दा भी है। अब आप लोग अपना रंग बदल रहे हैं वह अलग बात है। इन्होंने यह पूछा की प्लास्टिक के बाटल में शराब बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का भगत सिंह चौक में एक बड़ा स्लोगन टंगा है कि कचड़ा मुक्त करेंगे, प्लास्टिक मुक्त करेंगे। आप चारों तरफ प्लास्टिक की बाटल में शराब बेचना शुरू कर दिये। आज ही इस सदन में मेरे प्रश्न के जवाब में चखना दुकान चला रहे हैं। आप लोगों के बीच में चखना दुकान के नाम से लूट मार ददुआ गिरोह शरीके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि प्रक्रिया चल रही है तो माननीय मंत्री जी इसका विस्तृत विवरण बतायें। आपकी कौन सी प्रक्रिया चल रही है, कौन सी कमेटी बनी है, उस कमेटी ने अभी तक क्या-क्या किया है और कितने साल में यह कमेटी कुछ काम करके अपना रिलज्ट दे पायेगी। अगले चुनाव तक के दे पायेगी या अभी 6 महीने में दे पायेगी। कुछ नियम कायदा कानून हमको समझाइये और समय सीमा बताईये कि कैसे बंद होगा। यह चखना तो पहले बंद कराओ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आजकल तो चखना हर गांव में मिलने लग गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इतना पालीथीन, इतना पालीथीन मंगा रहे हैं। एक तरफ....।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री परिषद आदेश दिनांक 01 जनवरी 2019 के अनुसार प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने के संबंध में विस्तृत अध्ययन कर क्रियान्वयन के संबंध में अनुशंसाएं देने हेतु विभिन्न तीन समितियों का गठन किया गया है। उप समितियों में से एक समिति विषय विशेषज्ञों की, दूसरी समिति राज्य के प्रमुख सामाजिक संगठनों की तथा तीसरी समिति राज्य के राजनीतिक दलों के माननीय विधायकों की समिति का गठन किया गया है। यदि नाम पूछेंगे तो पढ़ दूंगा। विधायकों का बता देता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे प्रश्न में है। यह सरकार पिछले साल

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

शराब से 3,700 करोड़ कमाई, इस साल 5,000 करोड़ रूपये इनके कमाने का लक्ष्य है। दारू बंदी की बात छोड़ दीजिए। (शेम शेम की आवाज) आज मेरे प्रश्न के उत्तर में तीन दुकान सिर्फ पाटन की बंद हुई है। दारू बंदी में सिर्फ पाटन होता है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन एत्ता द्वारा माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र श्री सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने के संबंध में अनुशंसा हेतु राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के माननीय विधायक.....।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मार्गदर्शक मंडल में चले गये हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखत संख्या अनुसार राजनीतिक समिति का गठन करता है। भारतीय जनता पार्टी के दो, बहुजन समाज पार्टी एक, जनता कांग्रेस पार्टी एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आठ, सबको सूचना दी जा चुकी है। सबकी पावती मेरे पास है और अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जवाब आया है, बहुजन समाज पार्टी का आया है, बाकी दो दलों का जवाब नहीं आया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- शैलेष पांडे। एक मिनट बचा है जल्दी करिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जन घोषणा पत्र बनाने वाली समिति के अध्यक्ष माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब हैं। इस सरकार में जैसे टी.एस.सिंहदेव साहब को किनारे कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- समय देख लीजिए न। आप सामने देख के बातें करे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, वैसे इनको भी किनारे कर दिया गया है।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- शैलेष पांडे। जल्दी करिये।

<u>बिलासपुर में संचालित हुक्का बार</u>

13. (*क्र. 86) श्री शैलेश पाण्डे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर में कितने हुक्का बार संचालित हैं ? (ख) किस किस हुक्का बार को शासन द्वारा मान्यता दी गई ? (ग) हुक्का बार खोलने के लिये शासन ने क्या नीति बनाई है.

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) हुक्का बार संचालन हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाती है. (ख) एवं (ग) प्रश्न ही नहीं उठता.

श्री शैलेष पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि...।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो मेडिकल स्टोर्स में भी बेचवाओं, पान ठेले

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में भी बेचवाओं, दवाई दुकान में बेचवाओ, स्कूल के सामने लगवाओ, गोवा सरीके बेचवाओ जो बेचावाना है बेचवाओ, बंद नहीं करना है तो खुले आम बेचवाओ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष जी, घोषणा पत्र....। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दस-दस हजार में सबको बेचने की अनुमति दे दो।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय:- मैं दे रहा हूँ। अभी तो ये हो जाए।

समय :

12:00 बजे

<u>कार्यमंत्रणा समिति का तृतीय प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2019 में लिए गये निर्णय अनुसार वित्तीय तथा विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

1.	<u>वित्तीय कार्य</u>	<u>निर्धारित समय</u>
	वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक की अनुदान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण।	3 घण्टे
2.	<u>विधि विषयक कार्य</u>	
1.	पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019	15 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019	15 मिनट
3.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019	15 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना(संशोधन) विधेयक, 2019	30 मिनट

समिति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह के अवसर पर बुधवार, दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 को सदन की बैठक रखे जाने हेतु सिफारिश की है।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि-

सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12:01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019**

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखता हूँ।

(2) **छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973)**

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार :-

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-26/2008/32, दिनांक 29 मई, 2019 तथा

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-28/2010/32, दिनांक 29 मई, 2019 पटल पर रखता हूँ।

समय :
12:03 बजे

जनवरी-मार्च, 2019 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना।

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के जनवरी-मार्च, 2019 सत्र का दिनांक 01 मार्च, 2019 को सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 05,06,07 एवं 08 मार्च, 2019 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सचिव, विधानसभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार जनवरी-मार्च, 2019 सत्र का दिनांक 01 मार्च, 2019 को समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 05,06,07 एवं 08 मार्च, 2019 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सदन के पटल पर रखता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12:04 बजे

जनवरी-मार्च, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना।

अध्यक्ष महोदय :- जनवरी-मार्च, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन सचिव, विधान सभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- मैं अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार जनवरी-मार्च, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखता हूँ।

समय :
12:04 बजे **नियम 267"क" के अधीन जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" के अधीन जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- मैं, नियम 267 "क" के अधीन जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूँ।

समय :
12:05 बजे **माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में पारित कुल 10 विधेयकों में से शेष बचे 9 विधेयकों में से 8 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- पंचम विधान सभा के जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में पारित कुल 10 विधेयकों में से शेष बचे 9 विधेयकों में से 8 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयकों के नामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग- दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

समय :
12:05 बजे **सभापति तालिका की घोषणा**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

01. श्री सत्यनारायण शर्मा
02. श्री धनेन्द्र साहू
03. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
04. श्री मनोज सिंह मण्डावी
05. श्री शिवरतन शर्मा

<u>पृच्छा</u>

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों से प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। यह सरकार अंडा बांटने पर अमादा हो गई है। अध्यक्ष महोदय, स्कूल के बच्चों को अंडा देना कोई बहुत जरूरी नहीं है। मैं किसी के खाने-पीने पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। कल इनको कोई सलाह देगा कि बीफ खिलाना बहुत जरूरी है तब कुपोषण दूर होगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंडा और बीफ पर घोर आपत्ति है, अंडा और बीफ में बहुत अंतर है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप मत बोलो न, आप तो कुछ बोल नहीं सकते, मुझे बोलने दीजिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से खड़ा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कबीरपंथ के गुरू, पूरे कबीरपंथी आंदोलित हैं, बाबा गुरू घासीदास जी की ये धरती है। इसको बांटना क्या जरूरी है? आजकल सांइस में तो इतने किस्म के उपाय हैं कि उसका सप्लीमेन्ट आप बना सकते हैं। आप जबरदस्ती जिद में अमादा हो करके वर्ग संघर्ष मत कराईये। लोग सड़क में आंदोलन कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस विधायक दल ने ज्ञापन दिया है कि तीन दिन अंडा खिलायें।

श्री धर्मजीत सिंह :- रेल रोकने का आंदोलन, प्रदर्शन चल रहा है। कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर, बलौदाबाजार चारो तरफ लोग आंदोलित हैं। ऐसा भी क्या है, क्या जिद से राजनीति होती है? आप समझिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कबीर, बाबा गुरू घासीदास जी की धरती को आप इस अंडे के चक्कर में विषाक्त मत करिये। आप यह अंडे वाला निर्णय वापिस करिये। सदन में सरकार की तरफ से एक बयान आना चाहिए। कुपोषण को रोकने के उपाय होने चाहिए, इस

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तरह से आप आपत्तिपूर्ण तरीके से जो नहीं खा रहा है, उसको भी खिला दोगे, गांव में लड़ाई होगी। वहां पर छोटे-छोटे बच्चे लड़ेंगे। इसलिए आप उसको रूकवाने के लिए आसंदी से निर्देश जारी करिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्पष्ट निर्देशित किया है, उसमें ऑप्शन है, आप दूध पिलाईये, केला खिलाईये, अंडा खिलाना जरूरी नहीं है, उसमें ऑप्शन है। आप इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास मत कीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको इतना सोचने में क्या तकलीफ है कि अंडा नहीं खिलाना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अंडा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग भी पढ़े-लिखे लोग हैं। हमको भी मालूम है कि प्रोटीन किसमें मिलता है। ये कौन अंडा विशेषज्ञ आप लोगों को वहां सलाह दे दिया कि अंडा खिलाना है। अभी आपमें से किसी को अंडा खाने को बोलूंगा तो आप लोग भग जाओगे। आप लोग बच्चों को जबरदस्ती अंडा खिला रहे हैं। इसमें कई मंत्री अंडा नहीं खायेंगे। यह बहुत गलत है। खाने-पीने में कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जिसको जो खाना है, खाये, अपने घर में खाये।

श्री मोहन मरकाम :- इसमें राजनीति करने का प्रयास मत कीजिए। उसमें सरकार का स्पष्ट आदेश है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- सरकारी संस्था में अंडा वितरण का आदेश अवैधानिक, असंवैधानिक है, इसलिए हम विरोध करते हैं। जब दामापुर जाते हो तो कबीरपंथ के साहब के सामने में घुटने टेक कर आशीर्वाद मांगते हो। जब आज वह बोल रहे हैं कि अंडा मत बांटो तो आप उनको आंख दिखा रहे हो। आप लोग तबाह हो जाओगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत आपत्तिजनक है। इसलिए आप आसंदी से निर्देश दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है, आप सरकार को आसंदी से निर्देश दीजिए। आप भी कबीरपंथ को मानने वाले हैं। आप सरकार को आदेश दीजिए कि अंडे का धंधा बंद करो। बच्चों को कुछ खिलाना है तो अच्छा खिलाओ, उनके परिवार को दो। इस सरकार ने क्या तमाशा लगाकर रखा है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लागू होना चाहिए। जो लेना चाहते हैं, वह लेंगे और जो नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए फलाहारी का ऑप्शन है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें दूध, खीर, फल खिलाने का ऑप्शन है। इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास मत कीजिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अंडे के गुणों को देखकर किया जा रहा है। उसमें ऑप्शन है। इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि कबीरपंथ का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में लगभग 35 लाख कबीरपंथी निवास करते हैं और कबीरपंथ में मांसाहार और अंडा खाना वर्जित है। छत्तीसगढ़ में लगभग 25 लाख सतनामी समाज के

असंपादित/मुद्रण हेतु नहीं

लोग निवास करते हैं। परमपुज्य गुरू घासीदास जी का निर्देश है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप गुरू घासीदास जी को बीच में कहां ला रहे हैं। ... (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- धर्मजीत जी, आप अंडा खाते हैं या नहीं खाते हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं अंडा खाता हूं, मेरे को खाने से आप कोई लोग नहीं रोक सकते, क्या आप स्कूल के बच्चों को खिलाओगे ? मैं तो चिकन, मटन भी खाता हूं। आपको और कुछ पूछना हो तो वह भी पूछ लो, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप लोग सत्यनारायण जी के हाथों से अंडा बंटवाना चाहते हो। चौबे जी, सरकारी कार्यक्रम में जायेंगे तो आपको अंडा बांटना पड़ेगा, क्या अच्छी बात है? श्री सत्यनारायण जी अपने ग्रामीण क्षेत्र में जायेंगे और वहां अंडा बांटेंगे क्या यह अच्छी बात है ? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंडे का उदाहरण बीफ से दिया गया है इस शब्द को विलोपित किया जाये, यह घोर आपत्तिजनक है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- जिनको खाना है वह खायें लेकिन यह सरकारी स्कूल में नहीं बंटना चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय जोगी जी । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खायेंगे तो अच्छा है, बच्चे खायेंगे तो गुनाह है । बच्चे लगातार कुपोषण का शिकार हो रहे हैं । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आप लोगों को हर जगह तकलीफ होती है । हमारी सरकार ने उसमें स्पष्ट ऑप्शन रखा है कि जिसको नहीं खाना है उसको जबरदस्ती मत खिलाईये । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- श्री मरकाम जी, अंडा और आलू में छोटे-छोटे बच्चे अंतर नहीं समझते हैं अगर कोई नहीं खाने वाला खा लेगा तो लाठिया चलेंगी । क्या आप बचाने के लिये आयेंगे या मंत्री जी लोग बचाने के लिये आयेंगे ? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात से पूरा सदन दुखी हुआ है कि अंडे का उदाहरण बीफ से दिया जा रहा है इसको विलोपित करा दें । अंडे का उदाहरण बीफ से दिया गया है इसको विलोपित किया जाना चाहिए, घोर आपत्तिजनक है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं बोली है । मैंने यह कहा कि सरकार आज अंडा खाने के लिये बोल रही है, कल यह सरकार एक फरमान जारी कर देगी कि हम सब बीफ खायेंगे तो क्या इनके कहने से हम वह खायेंगे ? हमको जो खाना होगा वह हम अपनी मर्जी से खायेंगे । (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं माननीय धर्मजीत जी ने कहा है कि मैं अंडा खाता हूं । जब खुद अंडा खाते हैं तो दूसरों को खाने से क्यों वंचित करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- बड़े-बड़े महापुरूषों ने कहा है कि अपनी इच्छा से खाओ । जो खाना है खाओ न, हम कहां मना कर रहे हैं ? लेकिन बच्चों के साथ ऐसा मत करिये । बच्चा आलू और अंडे में फर्क नहीं समझते हैं । (व्यवधान) उनको बढ़िया चीज खिलाईये और अगर आप वही खिलायेंगे तो कबीरपंथ लोग आप लोगों को बता देंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अगर आदिवासी बच्चे अंडा खा जायेंगे तो वह गुनाह हो गया यह क्या दिखावा कर रहे हैं ? आदिवासी बच्चों के लिये अंडे की व्यवस्था हो रही है तो वह गुनाह है, ठाकुर साहब अंडा खायेंगे तो अच्छा है यह घोर आपत्तिजनक है । क्या अंडा खाने का ठेका केवल ठाकुर साहब लिये हैं, क्या हमारे सरगुजा-बस्तर के आदिवासी बच्चे अंडा नहीं खा सकते हैं ? यह घोर आपत्तिजनक है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े-बड़े विज्ञापन करती थी कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष को नियंत्रित करिये । आप सत्तापक्ष को नियंत्रित करिये, वे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं । शून्यकाल हमारे लिये है । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हमारे पक्ष का कोई भी सदस्य बोलने के लिये खड़ा होता है उस तरफ से 4 लोग बोलने खड़े हो जाते हैं । जब आसंदी ने हमें अवसर दिया है और आसंदी की अनुमति से बोल रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें शून्यकाल में आपकी अनुमति से बोलने का अधिकार है लेकिन ये बोलने नहीं दे रहे हैं । अगर हिम्मत हो तो सरकार का कोई मंत्री खड़े होकर बोले कि वे अंडा बंद करेंगे कि नहीं करेंगे । आप बोलिये न, हम तो चाहते हैं कि आप बोलें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय जोगी जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा । बैठिए । मैंने माननीय जोगी जी को बोलने के लिये कहा है। श्री बृहस्पत सिंह जी आप बैठ जाईये । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- संसदीय कार्यमंत्री जी चुप बैठे हैं । क्या बच्चों को अंडा परोसेंगे ? हमारे सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाता है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बच्चा मन के भलाई बर अंडा के योजना लाये जात हे, कोनो ला ठेस पहुंचाये बर अंडा नइ खिलाय जात हे । जेन मन अंडा बिसा के नइ खा

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सकथें ओ लइका मन बर सरकार हा अंडा खिलाये के जिम्मेदारी ले हे । एक मजबूत सरकार बनाना चाहत हे ।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकाचार में एक वाक्य है - आप रूप, भोजन पररूप श्रृंगार तो जो अंडा खाना चाहते हैं चूंकि छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 40 प्रतिशत के लगभग है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार हा अंडा खिलाय के जो निर्णय ले हवय । कोई जाति, कोई धर्म ला कोई ठेस पहुंचाये बर नइ हे । आज भी जाकर देखओ, आज भी जंगल में अइसे कई आदमी है, जो अंडा खाय बर तरसथें ओ गरीब आदमी ला सम्मान के खातिर ये सरकार अंडा खिलाये के जवाबदारी ले हे । (मेजों की थपथपाहट) आज बड़े-बड़े घर के लइका मन बड़े-बड़े सकूल में पढ़त हें, नाना प्रकार के बिरयानी खावत हे लेकिन ओ गरीब के लइका अंडा का होथे, घर मा देखथे कि अंडा आवत हे ता घर में खुशी आ जथे । मैं पूरा मंत्रिमण्डल ला धन्यवाद दिंहा कि अंडा खिलाये के जिम्मेदारी ले हे । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा करवा लीजिए । आप अंडे पर चर्चा स्वीकार कर लीजिए (व्यवधान) ये क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- देश के 15 राज्यों में अंडा खिलाया जा रहा है । छत्तीसगढ़ अकेला राज्य नहीं है । (व्यवधान)

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- अगर पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंडा खिलाया होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती । हमारे प्रदेश के बच्चे कुपोषित नहीं होते ।

श्री देवेन्द्र यादव :- आपने बच्चों को कुपोषित किया है, इसका जवाब देना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित ।

(12.15 बजे से 12.22 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12:22 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है । सन् 1971 के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एक पार्टी की कोई सरकार पूर्ण बहुमत से आई हो । किसी एक पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिली हों । एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिली हों । यह सदन समवेत् स्वर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता है । हम चाहते हैं कि आप इस प्रस्ताव पर चर्चा स्वीकार करें । कांग्रेस पक्ष के लोग भी, चूंकि केन्द्र की सरकार के सहयोग के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता और इसलिए हमें इस प्रस्ताव पर चर्चा करके हमें यहां धन्यवाद् प्रस्ताव और बधाई प्रस्ताव पारित करना चाहिए । हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करें और उस पर चर्चा करवाएं। जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार का पूरे विश्व में नाम हो और हमारी विधान सभा की भी गरिमा बढ़े और छत्तीसगढ़ को विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले । इस बात का आपसे आग्रह है कि आप इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाएं।

श्री बृहस्पत सिंह :- प्रस्ताव पास नहीं करेंगे तो केन्द्र वाले पैसा नहीं देंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में यह परम्परा रही है कि महत्वपूर्ण अवसरों पर हमने बधाई दी है । देश के लोकतंत्रीय इतिहास में आज वह दौर आ चुका है जब 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है । देश एक सही दिशा में आगे जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र की मजबूती है और लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर यह सदन भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता है, इस आशय का प्रस्ताव, चर्चा के लिए हमने आपको दिया है । इस पर विचार करके चर्चा करवाने का कष्ट करें ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश हिंदुस्तान में जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोक सभा के चुनाव सम्पन्न हुए और माननीय बृजमोहन जी ने जो प्रस्ताव रखा है। इस पर चर्चा कराए और इसको सर्वसम्मति से पारित करें । यह सदन देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है । क्योंकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की यहां संघीय व्यवस्था भी है । इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इस पर चर्चा कराएं, ऐसा अनुरोध है ।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा के ग्राम परसदा में शनिवार के दिन शाम को एक बच्चा खेलते हुए...।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

अध्यक्ष महोदय :- कभी उनको भी बोलने दिया कीजिए। वे भी तो सदस्य हैं। उसको बाद मैं आपको दूंगा न।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं एक विषय हो जाए, बोल रहा हूं। उसके बाद श्री चंद्रा जी बोल लेंगेगे। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सत्ता पक्ष की ओर से यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी लेकर आयेंगे और इस ऐतिहासिक जीत पर कि लगभग 30 साल 35 साल के बाद में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में हम एक कदम आगे बढ़े हैं। यह केवल एक राष्ट्रीय विषय नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश के सम्मान में वृद्धि हुई है और सम्मान बढ़ा है। ऐसा प्रस्ताव यदि सत्ता पक्ष लेकर आती तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे और यह प्रस्ताव नहीं आने के बाद हम लोगों ने यह प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव बहुत लंबा-चौड़ा नहीं है। कुछ समय का ही है। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को हम इस सदन के माध्यम से सर्वसम्मति से बधाई देना चाहते हैं। इसलिए आप इस प्रस्ताव पर विचार करें और स्वीकार करें तथा स्वीकार करके पूरे हिंदुस्तान के जनतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने वाली ऐसी सरकार को इस सदन के माध्यम से हम बधाई दें। आप इसे स्वीकार करेंगे, मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूं।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों में चावल की कटौती कर दी गई। मिट्टी के तेल में 64 प्रतिशत कटौती कर दी गई, इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले राज्य के वित्त के लिए आपने केन्द्र सरकार से कहा था..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एन.डी.ए. की दूसरी बार सरकार बनने के पश्चात् इस सदन के बहुत से सदस्य अलग-अलग जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देकर आये हैं। हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी स्वयं जाकर माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर उनका स्वागत अभिनंदन करके उनको बधाई देकर आये हैं। जब व्यक्तिगत रूप से जाकर हम बधाई दे सकते हैं तो समवेत स्वर में सदन में सर्वसम्मति से उनको बधाई का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, यह निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मेरे विधान सभा के विकासखंड जैजेपुर के परसदा ग्राम में शनिवार के दिन शाम को खेलते हुए...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव के ऊपर में आपका निर्णय तो आ जाना चाहिए कि इस प्रस्ताव के ऊपर आप चर्चा करवाएं। इस प्रस्ताव पर सामान्यत: चर्चा होती है...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- शून्यकाल में चर्चा किया जाता है बृजमोहन भैया। शून्यकाल में निर्णय थोड़ी होता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यदि यह धन्यवाद प्रस्ताव आया है तो इस प्रस्ताव के ऊपर निर्णय होना चाहिए..।

श्री देवेन्द्र यादव :- केन्द्रीय पूल ने चावल देने के लिए मना कर दिया। राज्य सरकार के हित के लिए केन्द्र सरकार से..।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम चाहेंगे कि यह जो प्रस्ताव है, इसमें सत्ता पक्ष भी सहमति दे और यह सदन समवेत स्वर में प्रधानमंत्री जी को बधाई दे कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के लिए समवेत स्वर में बधाई देती है और सत्ता पक्ष को भी इसका समर्थन करना चाहिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- राज्य के हित में तो कुछ करवाइए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रस्ताव है कि विधायकों को खरीदने में कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में इनकी पार्टी में प्रधानमंत्री जी अव्वल रहे हैं, उस बात का भी प्रस्ताव रख दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाइए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी..।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाइए। मरकाम जी बैठिए। आपका प्रस्ताव मिला था, मैंने उसे कक्ष में अग्राह्य कर दिया है। मैं दूसरा प्रस्ताव ले रहा हूं। मेरे पास नक्सली...।

श्री बृहस्पत सिंह :- विधायकों को खरीदने के मामले में भी प्रस्ताव आना चाहिए। विधायकों को खरीदने में नरेन्द्र मोदी जी अव्वल रहे हैं, इस बात का भी प्रस्ताव आना चाहिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- केन्द्रीय पूल ने चावल देने से मना कर दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने प्रस्ताव अग्राह्य किया है तो कौन से नियम के तहत अग्राह्य किया है। जो वस्तुस्थिति है। प्रस्ताव को अग्राह्य करने की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यह हम लोग चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मरकाम जी आप बैठिए। आप अध्यक्ष हो गये हैं। आप बैठिए। मेरे पास नक्सली घटनाओं के वृद्धि के संबंध में सदस्यों की 13 स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बृजमोहन जी ने जो प्रस्ताव रखा है ..।

अध्यक्ष महोदय :- मैं स्थगन ले रहा हूँ। ....(व्यवधान) आप बैठिये न, क्या बात है। आप लोग बैठिये।...(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सत्ता पक्ष के लोग ....(व्यवधान) यह परिपाटी ठीक नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बेलगाम हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी नक्सली घटनाओं पर स्थगन आया है। लेने दीजिये। यह इतना महत्वपूर्ण घटना है, आप लोग क्या समझते हो, क्यों हल्ला कर रहे हो।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:31 बजे

<u>स्थगन प्रस्ताव</u>

<u>प्रदेश में नक्सली घटनाओं में वद्धि होना।</u>

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास नक्सली घटनाओं में वृद्धि के सम्बन्ध में सदस्यों की ओर से 13 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना	--	श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
दूसरी सूचना	--	श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
तीसरी सूचना	--	श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
चौथी सूचना	--	श्री नारायण चंदेल, सदस्य
पांचवी सूचना	--	श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
छठवी सूचना	--	श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
सातवी सूचना	--	डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
आठवीं सूचना	--	श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
नवमी सूचना	--	श्री सौरभ सिंह, सदस्य
दसवी सूचना	--	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
ग्यारहवीं सूचना	--	डॉ0 रमन सिंह, सदस्य
बारहवीं सूचना	--	श्री धरम लाल कौशिक, सदस्य
तेरहवीं सूचना	--	श्री केशव चन्द्रा, सदस्य

चूँकि श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ।

वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात प्रदेश में नक्सलवाद की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण "जेड" सुरक्षा प्राप्त विधायक श्री भीमा मण्डावी व उनके सुरक्षा कर्मियों की लैंड माईंस ब्लास्ट में हुई हत्या है। श्री भीमा मण्डावी लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 09 अप्रैल को प्रचार की समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात श्यामगिरी मेले में सम्मिलित होने गये। उन्होंने बचेली से श्यामगिरी जाने की सूचना कुआकोंडा थाने में दी थी, जो घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर है। सूचना के पश्चात भी उन्हें पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, ना ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के पश्चात भी रोड ओपनिंग पार्टी भेजी गई।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

घटना के तत्काल पश्चात प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का बयान कि उन्होंने पुलिस के निर्देशों की अवहेलना की, यह पुलिस की असफलता को छिपाने वाला है। उक्त घटना के पश्चात परिवार की सुरक्षा हटा दी गई। बस्तर संभाग में लगातार नक्सली घटनाएं घटित हो रही हैं। 12 मार्च को थानेदार को अगवा कर मार डाला गया, 19 मार्च को माओवादी ब्लास्ट में 1 सी0आर0पी0एफ0 का जवान मारा गया, 06 घायल हो गए, 21 मार्च को नक्सलियों ने शिक्षक को पुलिस जवान समझकर गोली मारी, 30 मार्च को बीजापुर कैंप में नक्सलियों ने राकेट दागा, 05 अप्रैल को कांकेर जिले में बी0एस0एफ0 के चार जवान नक्सलवादी घटना में मारे गये, 06 अप्रैल को धमतरी में एक जवान मारा गया, 23 अप्रैल को गांव के पटेल को डंडे से पीटकर मार डाला गया, 28 अप्रैल को बीजापुर में 2 जवान मारे गये, 02 मई को नारायणपुर में 5 ग्रामीणों को नक्सलियों ने पीट-पीटकर मार डाला, 29 जून को बीजापुर के नक्सली हमले में 03 जवान मारे गये।

बस्तर संभाग में जहां भी सड़क व पुल-पुलिया निर्माण का कार्य हो रहा है, वहां विकास कार्य में लगे वाहनों को नक्सलियों द्वारा जलाया जा रहा है तथा कार्य करने वाली एजेंसियों को कार्य छोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है। सरगुजा संभाग में नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो गया था, पर जून के अंतिम सप्ताह में एक के बाद एक 40 से 50 लैण्ड माईंस ब्लास्ट हुए।

नक्सलवाद पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कभी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इन्हें क्रान्तिकारी बोलकर संबोधित करते हैं तो कभी बातचीत से समस्या का हल निकालने की बात करते हैं, कभी हथियार छोड़ने की समझाईश सरकार के मंत्री व नेता देते हैं। एक तरफ पुलिस महानिदेशक मुठभेड़ में नक्सलवादियों को मारने की घोषणा करते हैं, वहीं सरकार के मंत्री उक्त मुठभेड़ में नक्सलवादियों को फर्जी बताते हुए मृतक जनों के परिवार को मुआवजा देने की मांग करते हैं ।

प्रदेश में घटित हो रही इन घटनाओं से जहां जनता में भय व्याप्त है, वहीं सरकार के प्रति जन सामान्य में आक्रोश भी है ।

अतएव इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है ?

(गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के खड़े होने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सदन ने चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया है, ग्राहता पर चर्चा हो रही है या ग्राहय होने के बाद चर्चा शुरू हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं इसमें शासन की राय मांग रहा हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाये, फिर आप ग्राह्यता पर चर्चा कराना चाहें, ग्राह्य करके चर्चा कराना चाहें...।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वह तय हो जाये, फिर उत्तर आये । ऐसा हुआ है कि जब स्वरूप तय हुआ है, तब उत्तर हुआ है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- ऐसा भी हुआ है, माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ये तय हो जाये कि ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है या ग्राह्य होने के बाद चर्चा हो रही है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- कोई अड़चन नहीं है । उसके बाद आपके प्रश्नों का भी उत्तर देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले तो वह स्वरूप तय हो जाये, उसके बाद मंत्री जी का उत्तर आये, उसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी आसंदी से पढ़कर सुनाया गया, उन्होंने कहा कि शासन का क्या कहना है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अध्यक्ष जी से वही मांग कर रहा हूं कि ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है, उसके बाद उत्तर पढ़ रहे हैं या ग्राह्य हो गया है, उसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ रहे हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- उत्तर आ जाये, फिर आप जो कहेंगे, उसके लिए तैयारी हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो वह स्परूप तय हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले उनका उत्तर आ जाने दीजिए, उसके बाद हम विचार करेंगे कि ग्राह्य करना है या नहीं, तब आप चर्चा करिए ।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 09.04.2019 के प्रात: 8.30 बजे माननीय श्री भीमा मण्डावी दंतेवाड़ा से ग्राम मटेनार, नेटापुर, चंदेनार आदि स्थानों में चुनाव प्रचार हेतु बूलेट प्रूफ वाहन एवं 2 एस्कॉर्ट वाहनों में कुल 10 का सुरक्षा बल तथा काफिले के दोनों ओर मोटर सायकल में 49 डीआरजी एवं थाने का सशस्त्र बल के साथ रवाना हुए थे । कार्यक्रम स्थल में कटेकल्याण थाना के 18 का बल भी सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात था । चुनाव प्रचार के पश्चात् श्री भीमा मण्डावी उपरोक्त बल के साथ दोपहर लगभग 12:00 बजे पार्टी कार्यालय दंतेवाड़ा वापस आ गए थे । दोपहर भोजन पश्चात् श्री मण्डावी द्वारा अब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है, कहते हुए उनकी सुरक्षा में तैनात डीआरजी एवं अतिरिक्त बल को वापस कर दिया गया ।

दोपहर लगभग 12:45 बजे श्री भीमा मण्डावी अचानक अपने बूलेटप्रुफ वाहन एवं 2 एस्कार्ट वाहन में कुल 10 सुरक्षाकर्मियों के साथ किरन्दुल के लिए रवाना हो गए । श्री भीमा मण्डावी के सुरक्षा अधिकारी द्वारा इसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दिये जाने पर पूर्व से भांसी-बचेली-किरन्दुल मार्ग

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पर रोड ओपनिंग हेतु तैनात डीआरजी एवं थाना का पेट्रोलिंग पार्टी सहित कुल 83 का सशस्त्र बल को सतर्क किया गया ।

माननीय श्री भीमा मण्डावी करीबन 14:10 बजे किरन्दुल पहुंचे तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वापस बचेली की ओर लगभग 15:30 बजे रवाना हुए । लगभग 15:40 बजे माननीय श्री भीमा मण्डावी के सुरक्षा अधिकारी द्वारा दंतेवाड़ा कंट्रोल रूम को सूचित किया गया कि माननीय विधायक श्यामगिरि होकर कुआंकोण्डा जाएंगे । बचेली थाना प्रभारी को यह जानकारी मिलने पर उन्होंने अपने मोबाईल से 15:50 बजे श्री मण्डावी को यह बताया कि उस मार्ग पर आर.ओ.पी. नहीं है और पर्याप्त सुरक्षा नहीं होने से उस मार्ग की ओर से न जाने का अनुरोध किया । इसके बावजूद माननीय विधायक अपनी गाड़ी और सुरक्षा वाहनों के साथ उस रास्ते की ओर चले गए, जहां कुआंकोण्डा से 4 कि.मी. पहले यह घटना माओवादियों द्वारा कारित की गई।

आईईडी ब्लास्ट के उपरांत उनके साथ चल रहे सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे माओवादी भाग गए । घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा तत्काल अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंचे । इस घटना में श्री भीमा मण्डावी के साथ उनके ड्राईवर आरक्षक दंतेश्वर मौर्य तथा 03 पीएसओ (1) प्रधान आरक्षक छगन कुलदीप, (2) प्रधान आरक्षक रामलाल ओयामी, (3) आरक्षक सोमडू कवासी शहीद हो गए ।

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना कुआकोण्डा में अपराध क्रमांक 11/2019 धारा 147, 148, 149, 302, 396, 307, 120 बी एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट 3.5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 13 (1)(क) 38 (2), 39(2) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

अब तक इस प्रकरण में शामिल 01 माओवादी की गिरफतारी हुई है तथा विभिन्न मुठभेड़ों में इस घटना में शामिल 05 अन्य माओवादी मारे गये हैं । प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसकी कार्यवाही जारी है ।

यह कहना सही नहीं है कि सूचना होने के बावजूद श्री भीमा मण्डावी को सुरक्षा नहीं दी गई, वस्तु स्थिति यह है कि श्री मण्डावी को पूर्व से जेड श्रेणी सुरक्षा दी गई थी एवं भ्रमण की सूचना प्राप्त होने के उपरांत विभिन्न थानों के द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा दी गई थी । यह कहना भी सही नहीं है कि घटना के पश्चात श्री मण्डावी के परिवार की सुरक्षा हटा दी गई, बल्कि वस्तु स्थिति यह है कि श्री भीमा मण्डावी के परिवार को संपूर्ण सुरक्षा लगातार प्रदान की जा रही है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

यह कहना सही नहीं है कि बस्तर संभाग में लगातार नक्सल घटनायें घटित हो रही है । दिनांक 12.03.2019 को माओवादियों द्वारा थानेदार को अगवा कर मारने जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है । इसी प्रकार दिनांक 21.03.2019 को माओवादियों द्वारा पुलिस जवान समझकर किसी शिक्षक को गोली मारने की कोई घटना घटित नहीं हुई है । दिनांक 04.04.2019 को जिला कांकेर में बी.एस.एफ. की पार्टी जो सड़क-पुलिया निर्माण में लगी थी, उस पर माओवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, जिसका सुरक्षा बलों द्वारा कड़ा प्रतिरोध किया गया एवं वीरता से लड़ते हुए बी.एस.एफ के 04 जवान शहीद हो गये । इस घटना में कुछ माओवादियों के भी घायल होने की सूचना है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माओवादी लगभग डेढ़ घंटे तक चले मुठभेड़ के उपरांत भी शहीद जवानों के हथियार लूटने में सफल नहीं हुए, जो कि जवानों के अदम्य साहस एवं वीरता का परिचायक है ।

सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ते दबाव के कारण माओवादियों द्वारा कई स्थानों पर आई.ई.डी. लगाकर अथवा पुलिस मुखबिर बताकर विगत 06 माह में 27 आम नागरिकों की हत्या कर दी गई, जबकि वर्ष 2018 के प्रथम छः माही में 42 आम नागरिकों की हत्या माओवादियों द्वारा की गई थी ।

यह कहना सही नहीं है कि नक्सलवाद पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, बल्कि सच यह है कि प्रदेश में नई सरकार आने के पश्चात दिनांक 11.07.2019 तक लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जाकर 63 मुठभेड़ों में रूपये 8 लाख के ईनामी-09 माओवादी, रूपनये 5 लाख के ईनामी-05 माओवादी, रूपये 2 लाख के ईनामी-01 माओवादी एवं रूपये 1 लाख के ईनामी-05 माओवादियों सहित कुल 36 माओवादियों को मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली है । इसके अलावा 273 माओवादियों को गिरफतार किया गया तथा 174 माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है ।

यह कहना सही नहीं है कि बस्तर संभाग में लगातार नक्सली घटनायें घटित हो रही है, बल्कि वर्ष 2018 की प्रथम छमाही में बस्तर संभाग में कुल 248 नक्सली घटनायें घटित हुई है, जबकि वर्ष 2019 की प्रथम छमाही में मात्र 164 नक्सली घटनायें हुई है । नक्सली घटनाओं में यह कमी शासन की स्पष्ट नीति का ही परिणाम है ।

पिछले वर्षों में भी विकास कार्यों में लगे वाहनों एवं ठेकेदारों तथा सहयोगियों को माओवादियों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है । अतएव यह कहना भी सही नहीं है कि जहां भी पुल पुलिया निर्माण हो रहा है वहां विकास कार्य में लगे वाहनों को नक्सलियों द्वारा जलाया जा रहा है । बल्कि यह माओवादियों की नीति है कि अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्य न हो, जिससे उन क्षेत्रों में माओवादियों का वर्चस्व बना रहे ।

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

माननीय मुख्यमंत्री जी एवं स्वयं मैं एवं अन्य मंत्रियों के साथ नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों जैसे-पोलमपल्ली, भोपालपटनम आदि क्षेत्रों में स्वयं जाकर वहां की जनता एवं नक्सल प्रभावित लोगों से संवाद स्थापित किया । निश्चित ही यह प्रदेश सरकार की अभिनव पहल है ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वयं मैं एवं वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा बस्तर रेंज के सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ने, विभिन्न विकास कार्यों, शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार हेतु समयबद्ध एवं चरणबद्ध कार्ययोजना बनाने हेतु आदेशित किया गया है ।

पुलिस अधीक्षकों एवं समस्त सुरक्षाबलों को यह निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा बल न केवल माओवादियों के विरूद्ध आक्रामक अभियान चलाकर क्षेत्र मेंसुरक्षा का वातावरण तैयार करें, बल्कि सरकार के द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों में सभी सहयोग प्रदान करें । साथ ही जिन क्षेत्रों में अभी तक सुरक्षा बलों की पकड़ नहीं हुई है उन क्षेत्रों में पहुंच स्थापित की जाए। शासन द्वारा यह भी निर्देश किया गया है कि सुरक्षा बलों के द्वारा विभिन्न नक्सल अभियानों के दौरान निर्दोष ग्रामीणों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही न की जाए। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि नक्सलवाद के संबंध में प्रदेश सरकार की नीति एवं नीयत बिल्कुल स्पष्ट है। नक्सल प्रभावित सुदूर अंचलों में रोजगारोन्मुखी विकास कार्यों के साथ-साथ सुरक्षाबलों के परस्पर सामंजस्य से नक्सलवाद को मिटाये जाने हेतु यह सरकार प्रतिबद्ध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन का यह वक्तव्य है, उसके बाद यदि आपके द्वारा इसे ग्राह्य करके चर्चा कराई जाती है तो सरकार इस पर सहमत है और हम पूरी तरह तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य किया जाता है। अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। श्री बृजमोहन अग्रवाल।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना थी।

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन प्रस्ताव आने के बाद ये सब चीजें पीछे चली जाती हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- पहले दो बार आपने अनुमति दी थी और दोनों बार आपने मुझे मना कर दिया।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, फिर देखेंगे। ग्राह्य हो गया, उसमें आप अपनी चर्चा करें। उसमें क्या दिक्कत है? स्थगन प्रस्ताव आता है तो ये सब चीजें पीछे चली जाती हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सदन में एक ऐसे गंभीर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे बीच के एक विधायक जो हमारे साथ बैठते थे और आज भी उनकी सीट रिक्त है। हम सब गमगीन हैं कि हमारे बीच के एक विधायक नक्सलवाद की बलिवेदी पर शहीद हो गये। अभी मैं मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था। मंत्री जी, आपने हमारे साथी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विधायक, हम सबके साथी, सदन के सदस्य भीमा मंडावी जी की हत्या के बाद, उनके शहीद होने के बाद कौन-कौन से कदम उठाये हैं? आप एक भी स्पेशिफिक कदम बता दें? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप माननीय मंत्री जी से पूछें कि उन्होंने क्या कदम उठाया है? ऐसा एक भी कदम नहीं बताया गया कि हमने यहां पर कैंप खोले, यहां पर अतिरिक्त बल लगाया, बस्तर के विधायकों को यह अतिरिक्त सुरक्षा दी गई। मैं गंभीरता के साथ कहता हूं कि हम सब लोग गये थे, भीमा मंडावी जी को रायपुर में जो घर आवंटित हुआ है उस घर में उनकी पत्नि को रहने से मना कर दिया गया कि ये घर आपको नहीं मिलेगा और मुझे बात करनी पड़ी। ये सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है? (शेम-शेम की आवाज) हमारे बीच के विधायक की हत्या हो जाती है, रायपुर के मकान में उनकी पत्नि और बच्चों को रहने से बेदखल किया जाता है, हमें उसमें इंटरफेरेंस करना पड़ता है? और उसके बाद ये सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस सदन में बतायें कि उनके गांव के घर में उनके माता-पिता, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कितनी फोर्स लगी है? आप जरा बतायें कि दंतेवाड़ा में उनके घर में कितनी फोर्स लगी है? रायपुर के उनके घर में कितनी फोर्स लगी है? क्या आपने उनके परिवार को बुलेटप्रूफ गाड़ी दी है? अध्यक्ष महोदय, झीरमघाटी के जितने भी प्रताड़ित परिवार थे, हमारी सरकार ने उन परिवारों को पूरी सुरक्षा-व्यवस्था, उनके रहने की पूरी व्यवस्था, उनके गाड़ी-घोड़ों की पूरी व्यवस्था की। अभी भी वहां हमारी पार्टी के केवल एक विधायक थे, परंतु आज आपके 11 विधायक हैं, आपको चिंता करनी चाहिए। हम इसे पार्टीबाजी से अलग हटकर देखना चाहते हैं। झीरमघाटी की घटना के बाद ये दूसरी घटना हुई है, हमको आज इस सदन में संकल्प लेना चाहिए कि भविष्य में इस सदन का कोई भी प्रतिनिधि नक्सल गतिविधियों में शहीद नहीं होगा, इस सदन का कोई स्थान रिक्त नहीं होगा। हमको यह संकल्प लेना चाहिए। क्या यह संकल्प लेने के लिए हम तैयार हैं? इस गंभीर मामले में हमको चिन्ता करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि विधायक की हत्या हो जाती है, विधायक शहीद हो जाते हैं और उसी दिन समाचार पत्रों में छपता है कि विधायक की मौत उनकी स्वयं की गलती से हुई है। क्या हममें संवेदनशीलता समाप्त हो गई है? हम संवेदनहीन हो गये हैं? हमारे बीच का एक साथी चला जाता है । प्रदेश के पुलिस के प्रमुख का ऐसा बयान आता है। एस.पी. का बयान आता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है। कम से कम दो चार दिन रूक जाते, हमारा एक साथी गया है। एक विधायक गया है, एक जनप्रतिनिधि गया है, आप ऐसा बोलकर क्या नक्सलियों की महिमा मंडित करना चाहते हैं ? मैंने उसी दिन कहा था कि कम से कम हमारी संवेदनशीलता तो जिंदा रहनी चाहिए। चलिये, विधायक जी के सुरक्षा गार्ड ने सूचना दी कि माननीय विधायक जी इस रास्ते से जायेंगे। थानेदार ने वहां पर फोन करके बता दिया आरोपी नहीं है। उसके बाद शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी होती थी कि नहीं कि अगर विधायक जी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उस क्षेत्र में गये हैं तो उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैय्या कराई जाये। मेरे साथ चलने वाले सुरक्षा गार्ड को मैं ऐसी जगह पर जाऊं, जहां मेरी जान का खतरा है और मैं कहूं कि तुम वापस चले जाओ और वह वापस चला जायेगा। मंत्री जी, बड़ी मासूमियत से आपने जवाब दे दिया। प्रचार समाप्त हो गया है, कहते हुए उनके सुरक्षा में तैनात बी.आर.जी का अतिरिक्त बल वापस कर दिया गया। कौन से नियमों में है बताईये ? कहां पर लिखा हुआ है ? कौन सी शर्तें हैं ? क्या हम लोग सुरक्षा में ऐसी चूक करेंगे? एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा में करेंगे ? हमने तो सामान्य लोगों को सुरक्षा नक्सलाईड बेल्ट पर, जो सामान्य लोग हैं, जिनकी जान को खतरा है, हमारे मुखबिर हैं, उनको भी हमने सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। परंतु मैं तो आपके माध्यम से चाहूंगा कि इसको हमें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस प्रदेश में अगर हम अपने जनप्रतिनिधियों की जान की रक्षा नहीं कर सकते, उनके जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकते। पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, अराजकता का वातावरण। कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। पूरा पुलिस विभाग गुटबाजी में उलझा हुआ है। एस.पी. की जो तैनाती है वह हर एक महीने, दो महीने, तीन महीने में बदल जाती है। हर अधिकारी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसको लगता है मुझे मालूम नहीं कितने दिन में हटा दिया जायेगा। कम से कम ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों का यह होता था कि कम से कम दो या तीन साल रहेंगे। ऐसी भावना या जब ऐसा वातावरण होगा तो कोई अधिकारी काम नहीं करेगा। कोई अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन अधिकारियों को आप इन संवेदनशील क्षेत्रों में भेज रहे हैं वे जिम्मेदारी से काम करें। जिनको लंबा समय हो गया है उनको उन क्षेत्रों से निकालें जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत करें। आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इतने साल में रहने के बाद में वहां रहने वाले पुलिस अधिकारियों को हम वहां से बाहर निकाले। वहां पर नये अधिकारियों को भेजें। आज तो यह हो रहा है। आई.पी.एस. में सलेक्शन होता है, नौकरी को चार-चार पांच-पांच साल नहीं हुए हैं, उनको मलाईदार जिलों का एस.पी. बना दिया जाता है। उनकी पहली ट्रेनिंग होनी चाहिए, पहले उनको नक्सलाईड बेल्ट में भेजिए, सरगुजा भेजिए, बस्तर भेजिए। हमारे प्रदेश में अगर हम नक्सलवाद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तेलंगाना ने क्यों नियंत्रण कर लिया ? आंध्रप्रदेश ने क्यों नियंत्रण कर लिया ? हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? इसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है। राजनीति से दूर उठकर इसके बारे में पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है और कम से कम अगर जनप्रतिनिधि इस सदन के सदस्य, इस सदन, इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत जो पॉलिसी बनाती है, जो नक्सलवाद के ऊपर में नीति बनाती है, जो प्रदेश के विकास का निर्णय करती है। जिस दिन यह सरकार आती है, प्रदेश के मुखिया बोलते हैं, हम बातचीत के माध्यम से नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, इसका समाधान करेंगे। कौन सी बातचीत, कहां की बातचीत, कैसी बातचीत, जो देशद्रोही लोग हैं, जो सिर्फ बंदूक की भाषा जानते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को फेल करना

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाहते हैं, जो हमारी मतदान प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करते, क्या आप उनसे बातचीत की भाषा में बात करोगे ? यह सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है और स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण आज नक्सलवाद जिसको हमारी सरकार के समय नियंत्रित किया गया था, वह आज फिर से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ? हमारे कार्यकर्ता बताते हैं कि नक्सलवादी आजकल बोलते हैं कि अब तो प्रदेश में हमारी सरकार आ गई है, हमको कोई चिंता नहीं है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। (शेम-शेम की आवाज) इससे बुरी बात और क्या हो सकती है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपत्तिजनक है, इस तरह..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सलवादी इस भाषा में बात कर रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपत्तिजनक है कि नक्सली ऐसा बोल रहे थे और बृजमोहन जी सुन रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस सदन में आप वार्ता में भाग लेने, बात रखने के लिए नाम दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सली बोल रहे थे और ये सुन रहे थे कि ऐसा नक्सली बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर:- आप स्थगन में भाग लेने के लिए नाम दे दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब, मैं दे रहा हूँ लेकिन ये घोर आपत्तिजनक है कि नक्सली बोल रहे थे और ये सुन रहे थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपत्तिजनक विषय, गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और किसी विषय पर भी, बिना किसी की अनुमति के माननीय सदस्य बार-बार उठ जाते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या आपत्ति की बात नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं। आप हमेशा खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- इन्होंने आखिर क्या आपत्तिजनक बात कह दी ? ऐसा लोग कहते हैं, उसको उन्होंने उद्धृत किया है। ये न आपको कह रहे हैं, न आपको कह रहे हैं। अब आपसे पूछ-पूछ कर कितना बोलेंगे भई ? उनको बोलने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ग्राह्यता के बाद चर्चा की है। इसमें सत्तापक्ष के सदस्य भी बोल सकते हैं। उनको भी इसका अधिकार है। आप उनको बोलने के अवसर दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आज इस सदन में एक गंभीर चर्चा हो रही है। स्थगन प्रस्ताव

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पर चर्चा हो रही है। पूर्व में भी झीरम घाटी में हमारे इस सदन के बहुत से सदस्य शहीद हुए हैं। उसके बाद भी हम चेते नहीं। अभी भी हमारे सदस्य शहीद हो रहे हैं और भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग हल्ला करते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि नहीं, जो प्रभावित लोग है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या हुआ, अभी तक क्या नतीजा निकला ? 7 महीने हो गये। 7 महीने में इस सरकार की कोई नीति नहीं बनी। फिर बोलते हैं कि यह नक्सलवाद कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। ये आर्थिक, सामाजिक समस्या है। पहले सरकार ये तो तय करे कि ये आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक समस्या है। ये कानून व्यवस्था की समस्या है ? हम तो इस सदन में कहना चाहते हैं कि नक्सलवादी देशद्रोही हैं। नक्सलवादी इस देश के कानून, संविधान को नहीं मानते। अरे, ये कौन सा विकास है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सलवादियों का क्या कहना है ? पुराना जमाना चला गया। पुराने जमाने में वे बोलते थे कि यहां पर सड़क, पानी, बिजली, राशन चाहिए। वहां पर आज सरकार स्कूलें खोल रही हैं। उन स्कूलों को नक्सली बारूद से उड़ा देते हैं। पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल खोदते हैं, उनमें बारूद डाल देते हैं। उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थानों, स्कूलों की बिल्डिंगों को बनने नहीं देते। वहां पर जाने वाले राशन को लूट लेते हैं। सड़कों को बनाने वाली गाड़ियों को जला देते हैं। ये कौन सी विचारधारा है ? जो विकास को रोकती है। मैं तो सब हमारे, हम भी उसमें शामिल हैं ? परंतु इस सदन में भी बहुत बार वनवासी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति में बांटने की कोशिश की जाती है। मैं हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के विधायकों से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी विचारधारा है ? जो हमारे वनवासियों का विकास नहीं होने दे रही है। ये कौन सी विचारधारा है ? जो वहां पर सड़कों को बनने से रोकती है ? ये कौन सी विचारधारा है ? जो स्कूलों को बमों से उड़ा देती है, ये कौन सी विचारधारा है ? जो राशन को लूट लेती है। ये कौन सी विचारधारा है ? जो तेन्दूपत्ते के मजदूरों को मजदूरी नहीं करने देती है, उनके तेन्दूपत्तें के फड़ों को जला देती है। ये कौन सी विचारधारा है ? जो वनवासियों के जेब में पैसा जाने नहीं देती है और आप इस विचारधारा को बोलते हैं कि ये सामाजिक, राजनीतिक विचारधारा है। ये आर्थिक समस्या है। अगर उस क्षेत्र के छत्तीसगढ़ को विकसित करना है तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प हमको लेना होगा, इसके लिए हम, पूरे सदन को सम्वेत स्वर में तैयारी करनी पड़ेगी। नक्लवाद की कोई भी घटना हो, उसकी हमको भर्त्सना, निंदा करनी पड़ेगी। उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम उसको राजनीतिक चश्में को उतारकर देखेंगे तब हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ इस देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पर आ सकता है, छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सकता है। अगर ये नक्सलवादी क्षेत्रों में विकास के जितने आयाम हैं, उनको हम पूरा कर सकें और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज जब इसके ऊपर चर्चा हो रही है तो इसमें सरकार की स्पष्ट नीति, नियत, पॉलिसी हो। भविष्य में हमें कभी इसी किसी सदन के किसी सदस्य के चले जाने पर उसकी चर्चा इस सदन में करनी पड़े, ऐसा दुर्भाग्य हमारा दोबारा नहीं आये, ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो। हम सब बैठकर इस प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त प्रदेश बना पायें, विकसित प्रदेश बना पायें, सर्वश्रेष्ठ राज्य बना पायें और आने वाला समय हम सब के लिए एक अच्छा समय हो। आज आपकी सरकार है, कल हमारी सरकार थी। पहले भी हम चर्चा करते थे, आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसी चर्चाओं का कोई रिजल्ट निकले। माननीय मंत्री जी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि खाली यह रटा-रूटाया लिखा हुआ जवाब देने से नहीं होगा, अगर आप इसमें कुछ बताते कि आपने स्पेसीफिक एक्शन क्या लिया है? आपने इतनी पुलिस फोर्स, बटालियन, कंपनी बढ़ाई है, इतने नये थाने, नये कैम्प खोले हैं, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए आपने ये नया काम किया है। उस क्षेत्र में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए आपने स्पेसीफिक कितनी सड़कें बनाने का निर्णय लिया है? कितने मोबाईल टॉवर लगाने का निर्णय लिया है? कितनी नई स्कूलें, अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है? माननीय मंत्री जी, मुझे दु:ख, खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 7 महीनों में आपकी सरकार लकवाग्रस्त हो गई है। कोई काम नहीं हो रहा है। पंचायतों से पैसे वापिस हो गये हैं। विकास के काम नहीं हो रहे हैं। थानों का, स्कूल बिल्डिंगों का, पंचायत भवनों का, सड़कों का निर्माण रूक गया है। पूरी तरह आज बस्तर का वनवासी जो नक्सलवाद से मुक्त होना चाहता है, वह बेरोजगार हो गया है। वह नक्सलवादियों के साथ में काम करने के लिए मजबूर हो रहा है। क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है तो नक्सलवादी थोड़ा-बहुत पैसा दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री जी बैठे हैं, वहां पर तेंदूपत्ता तोड़ने की स्थिति क्या है? आप संकल्पबद्ध होकर कि वहां पर तेंदूपत्ता की तोड़ाई होगी, तेंदूपत्ते की मजदूरी दी जायेगी। जो हमारा माईनर फारेस्ट प्रोड्यूज है उसको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके उसको खरीदा जायेगा। जिस दिन उनको लगेगा कि हमारे विकास का एक ही रास्ता नक्सलवाद से मुक्ति है। आज हम इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। सलवा जुडूम क्या था? वह नक्सलवाद से मुक्ति का अभियान था। पर कुछ सोकाज प्रोग्रेसिव लोगों ने उसका विरोध किया। सोकाज प्रोग्रेसिव लोगों ने जाकर उस पर रोक लगाई। हमारे इसी सदन के नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र कर्मा जी उसके प्रणेता थे। मैं उस समय गृहमंत्री थी, मुझे याद है। वह अभियान अगर आज तक चलता तो ये नक्सलवादियों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता। सरकार को नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दृढ़संकल्पित होकर खड़ा होना

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पड़ेगा और जिस दिन सरकार खड़ी हो जायेगी, उस दिन मुझे लगता है कि हम नक्सलवाद से मुक्ति पाकर छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्रों का भी विकास कर पायेंगे, छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य बना पायेंगे। भविष्य में इस सदन में इस सदन के किसी सदस्य की हत्या हो जाये, शहीद हो जाये, उसे चर्चा करने का अवसर न आये, इस बात के संकल्प के साथ में हम इस सदन में कुछ निर्णय करें। माननीय अध्यक्ष जी, इसी भावना के साथ आपने अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्माननीय विपक्ष के साथियों द्वारा नक्सली समस्या को लेकर भीमा मंडावी जी के शहीद होने को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, आपने स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत किया और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए सदन को मौका दिया, माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह गंभीर समस्या है। हमारे बीच के बस्तर के होनहार साथी जो हमारे बीच में घुलमिल गये थे और हमेशा बस्तर के विकास के लिए, निर्माण के लिये जो इस सदन में बस्तर से प्रतिनिधित्व करते हुए इस सदन में आकर इस गंभीर विषय को हमेशा रखते थे, आज हमारे बीच वह नहीं रहे, मेरे दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार को इस दु:ख की खड़ी में दु:ख सहने की शक्ति मिले। आज जो विषय इस सदन में चर्चा के लिये आया है, कहीं न कहीं यह विषय बहुत गंभीर विषय है । सदन को कोई निर्णय लेना चाहिए, ऐतिहासिक निर्णय लेना चाहिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- श्री मोहन मरकाम जी, आप विधायक के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष हो गये हैं तो आपका भाषण असाधारण होना चाहिए । आपकी पार्टी का नक्सलवाद में क्या दृष्टिकोण है यह जरूर बताईयेगा ।

श्री मोहन मरकाम :- जरूर । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और कहीं न कहीं हम बस्तर के जनप्रतिनिधि या छत्तीसगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारी सरकार इस पर गंभीर है । छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनते साथ ही इस गंभीर विषय पर लगातार चिंतन-मनन कर रही है और नीतिगत निर्णय भी ले रही है । जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, सरकार नक्सली समस्या के समाधान हेतु सुरक्षा के साथ-साथ विकास की अवधारणा पर कार्य कर रही है जिसके तहत् नक्सली क्षेत्रों में विकास हेतु लगातार प्रयास हो रहे हैं । विकास योजनाओं के तत्पर क्रियान्वयन हेतु बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व प्रभारी मंत्री के तहत् स्थानीय जनप्रतिनिधियों को वहां के प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है । आज अगर बस्तर विकास प्राधिकरण का पैसा खर्च होगा तो उसी क्षेत्र में होगा । तत्कालीन सरकार, पहली सरकार पहले बस्तर विकास प्राधिकरण का पैसा रायपुर और दुर्ग में गाडियां और बंगला सजाने में पिछली सरकार खर्च करती थी लेकिन हमारी सरकार स्थानीय क्षेत्रों में पैसा खर्च करेगी, वहां के विकास

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

के लिये खर्च करेगी । डीएमएफ पैसा जिस ढंग से दंतेवाड़ा की बात आयी थी, वहां के डीएमएफ के पैसे को पिछली सरकार ने आनन-फानन में अन्य योजनाओं में खर्च किया और आज सरकार चार्ज भी कर रही है लेकिन हमारी सरकार ने स्पष्ट निर्देश किया है कि चाहे वह डीएमएफ का पैसा हो, बस्तर विकास प्राधिकरण का पैसा हो, बस्तर के विकास के लिये खर्च होगा इस प्रकार का नीतिगत निर्णय हमारी सरकार ने लिया है ।

समय :

1:07 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, नक्सली हिंसा के फलस्वरूप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित ग्रामीणों के पुनर्वास हेतु शासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। शासन द्वारा ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु हाट बाजारों में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने से ग्रामीण लाभांवित हो रहे हैं । शासन की विभिन्न योजनाओं में नक्सली क्षेत्रों में तस्वीर बदल रही है । आज माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जब से बनी है, राज्य सरकार के प्रयासों से विगत् वर्षों की तुलना में वर्ष 2019 की प्रथम छमाही में 37 प्रतिशत नक्सली गतिविधियों में कमी आयी है । विगत् 6 माह में सुरक्षा बल द्वारा चलाये गये नक्सली विरोधी अभियान में कुल 59 मुठभेड़ों में 30 नक्सलियों को मार गिराया गया है एवं 106 लैण्डमाईन्स एवं 78 हथियार जब्त किये हैं । पुलिस सुरक्षा बल की अलग-अलग सर्चिंग पार्टियों द्वारा 242 गिरफ्तारियां की गयी हैं और नयी सरकार पर भरोसा कर 158 नक्सली जनमलीशिया सहयोगियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है जिनका पुनर्वास सरकार कर रही है । नक्सली विरोधी अभियान में साहस और वीरता का परिचय देने वाले पुलिस बल के कुल 41 अधिकारी-कर्मचारियों को क्रम के पूर्व पदौन्नति प्रदान की गयी है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप संसदीय कार्यमंत्री भी रहे हैं और सबसे सीनियर भी हैं । यदि सरकारी उत्तर को देखकर पढ़ रहे हैं तो उसको टेबल करवा दीजिये । पहले जब ये बोलते थे तो ज्यादा अच्छा बोलते थे । उसको टेबल करवा दीजिये, उसको पूरे लोग पढ़ लेंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, यह मेरी तैयारी है, आप पहले मेरी बात सुन लीजिये । आपकी बातों को हमने गंभीरता से सुना ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य के पास जानकारी है वे बोल सकते हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- आपको इस मुद्दे में हो-हल्ला करने को नहीं मिला । आप इस गंभीर विषय को सुनिये ।

सभापति महोदय :- आप जारी रखिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, नक्सल गतिविधियां कैसे कम हों इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं । राज्य सरकार वहां पुलिस बल की तैनाती और कर्मचारियों की भर्ती के लिए लगातार काम कर रही है । पिछले 15 सालों में तत्कालीन सरकार कुछ काम नहीं कर पाई । लेकिन हमारी भूपेश बघेल सरकार पुलिस आवास योजना, पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के साथ ही पुलिस कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है । प्रधान आरक्षक, आरक्षक के 1728 एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के 336 आवास गृह, 6 माह में पूर्ण कराकर आवंटित करेंगे । राज्य सरकार पुलिस कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रही है । सभापति जी, नक्सल गतिविधियों पर रोकथाम के लिए विकास कार्यों के अतिरिक्त कार्य भी सरकार कर रही है । घोर नक्सल प्रभावित सुकमा, इंजरम, भेज्जी की 13 मिलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है । दोरनापाल से जगरगुंडा 46 किलोमीटर की सड़का का निर्माण किया गया है । इसके साथ विगत 50 वर्षों से अधिक समय से जो काम नहीं हुए, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार और माननीय गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं और सरकार लगातार विकास के साथ, उस क्षेत्र के लोग नक्सल मुक्त कैसे हों इसके प्रयास कर रही है जिसमें पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन का पूर्ण सहयोग है ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है और जो बातें आ रही हैं उनके लिए प्रयास हो रहे हैं । आज हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था एवं जनमानस की रक्षा संबंधी मामलों में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस विभाग में जिला कार्यपालिक बल में आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अमले को रिस्पॉन्स भत्ता । पिछली सरकार ने 15 सालों में कुछ काम नहीं किया लेकिन हमारी सरकार ने पुलिस के जवानों को और पुलिस के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए काम किया है । इसके लिए बजट में 45 करोड़, 84 लाख का प्रावधान किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 45 करोड़ मनोबल बढ़ाने के लिए किया है ?

श्री मोहन मरकाम :- मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि उनको नियुक्ति के साथ-साथ सुविधाएं भी मिल सकें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये कौन से मद में है, पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए?

श्री मोहन मरकाम :- आप सुन लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए 45 करोड़, यह कौन सा मद है ? हम लोगों ने भी बजट पढ़ा है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सुनने की क्षमता तो रखिए साहब । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आपकी सरकार 15 सालों में नहीं कर पाई । अब सुनने की हिम्मत रखिए । आपको हल्ला करने का मौका नहीं मिला । राजनीतिक रंग देने का मौका आसंदी ने नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दिया । इसलिए आपका व्यवहार खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जैसा है । आप सुनिए, आप इंतजार करिये । हम आपकी हर बात का जवाब देंगे । सभापति जी, पुलिस बल की विभिन्न शाखाओं में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 2 हजार पदों का सृजन आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है । ताकि कर्मचारियों की कमी न रहे और नक्सली मोर्चे पर हमारे जवान बेहतर कार्य कर सकें ।

सभापति महोदय, अभी आदरणीय सदस्य बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे कि सरकार क्या कर रही है ? हमारी सरकार ने आते ही 5 नवीन थाने तथा चौकियों को थानों में उन्नयन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया है । 5 थानों एवं 20 चौकी भवन के निर्माण हेतु 12 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया है । सरकार नक्सली समस्या पर गंभीर है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है । देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि नोटबंदी से नक्सली समस्या खत्म होगी और आतंकवाद खत्म होगा। सभापति जी, 2016 में नोटबंदी हुई लेकिन 2016 से 2019 के बीच में पूरे देश में नक्सली समस्या कितनी कम हुई ? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। आज ये धन्यवाद की बात कर रहे थे। आज पी.डी.एस. चावल में कटौती कर दी। आज आपने मात्र 85 रूपये धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। आप कैरोसीन में कटौती कर रहे हैं। आप किस मुंह से केन्द्र सरकार को धन्यवाद देने की बात करते हैं? आपमें थोड़ी भी नैतिकता है तो केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखने में सहयोग करिए। हमारी सरकार को सहयोग करिए कि क्यों छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- मोहन जी, आप इस विषय पर चर्चा करा लीजिए। निवेदन कर लो फिर चर्चा करेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं तो आप भी केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखिए। छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार और भेदभाव करना मोदी जी छोड़ दें। क्या हुआ माननीय शर्मा जी? क्या हुआ चन्द्राकर साहब? आज 2016 से नोटबंदी हुआ। क्या आज नक्सली समस्या खत्म हुई ? क्या आज आतंकवाद खत्म हुआ? इनकी केन्द्र की सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। मगर हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार इस पर गंभीर है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल साहब व गृहमंत्री जी, डी.जी.पी. और सचिव स्तर के अधिकारी लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं। वहां के पीड़ित पक्षों से चर्चा कर रहे हैं। वहां के समाजसेवियों से चर्चा कर रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों से चर्चा कर रहे हैं और मीडिया से लेकर सभी वर्गों से चर्चा कर रहे हैं। इस गंभीर समस्या का कैसे बेहतर विकल्प हो सके, उसके लिए हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार गंभीर है और आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम आयेंगे। आज जो भी बातें आ रही हैं। नक्सली

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

समस्या के बारे में हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि नक्सली समस्या आर्थिक व सामाजिक समस्या भी है। अगर इस समस्या का निराकरण करना है तो उसके जड़ तक हमें जाना पड़ेगा और उसका बेहतर विकल्प क्या हो सके, उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पिछले 15 वर्षों में तत्कालीन संस्थाकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इसी सदन में इस समस्या का निराकरण करने के लिए क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। 15 सालों तक माननीय रमन सिंह जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की सरकार रही है। 15 वर्षों में 2 जिलों से बढ़कर 13 जिलों में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। मगर इनकी तो सिर्फ राजनीति करनी है। सिर्फ राजनीति करनी है। शहीद भीमा मंडावी के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। इनको राजनीति करनी थी। मगर हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी शहीद भीमा मंडावी जी के गृह ग्राम भी गये, उनको श्रद्धांजलि भी दी। आज अगर दुख है तो मात्र विपक्ष के साथियों को नहीं है। हम बस्तर के छत्तीसगढ़ के हर जनप्रतिनिधियों को दुख है? आखिर हमारे बीच का साथी अगर शहीद होता है तो हमसे ज्यादा दुखी कौन होगा। मगर विपक्ष के साथियों को राजनीति करनी है। इसीलिए ये लोग इस ढंग से आरोप लगा रहे हैं। आज हमारी सरकार लगातार काम रही है। आज अगर प्रदेश में नक्सली समस्या गंभीर है तो वह भाजपा सरकार की देन है। नक्सलवाद पर पिछली सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ के माटी के सपूत कहा करते थे। आज ये राजनीति कर रहे हैं। इनके मुखिया के ऐसे बयान आते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? माननीय सभापति जी, झीरमघाटी में नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं की 32 लोगों की मौत हुई। तब भी इस षडयंत्र का खुलासा नहीं हो पाया। आज भी यह छत्तीसगढ़ जानना चाहता है कि जो तत्कालीन सरकार रही है, क्या वह झीरमघाटी में जो शहीद हुए जेड. प्लस सुरक्षा प्राप्त शहीद महेन्द्र कर्मा जी, श्रद्धेय शहीद नंद कुमार पटेल जी, शहीद योगेश शर्मा जी, शहीद विद्याचरण शुक्ल जी जैसे बड़े नेता हमारे छततीसगढ़ के टॉप लीडर थे, क्या सरकार उनको सुरक्षा दे पायी थी? आज क्या राजनीति कर रहे हैं ? इसी सदन में सी0बी0आई0 जांच की मांग की गई थी। केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मगर इनकी नीयत साफ होती तो सी0बी0आई0 की जांच करवाते। माननीय सभापति जी, इनको तो राजनीति करनी है। आज छत्तीसगढ़ में जो भी गंभीर समस्या है, वह पिछली सरकार, तत्कालीन सरकार, रमन सरकार की देन है और आज यह समस्या इतनी बड़ी हो गई है। माननीय सभापति जी, हमारे जो भी शहीद नेता हैं, उनको न्याय मिले, उन परिवारों को न्याय मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एस0आई0टी0 का गठन किया था। मगर माननीय सभापति जी, केन्द्र सरकार की रिपोर्ट एन0आई0ए0, एस0आई0टी0 को नहीं दे रही है। सी0बी0आई0 जांच की जो मांग की गई थी, उसके प्रति केन्द्र सरकार गंभीर नहीं है। तत्कालीन सरकार के लोग लगातार केन्द्र सरकार पर दबाव डालकर सी0बी0आई0 जांच करवाने से मना कर रहे हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, भा0ज0पा0 शासनकाल में कांग्रेस नेताओं के हत्यारों को, नक्सलियों को पुरस्कार दिया जाता था। इनकी सरकार उनको महिमामंडित कर रही थी। बकायदा ढोल-बाजों के साथ उनकी शादियां करवाई जाती थीं, ये है भारतीय जनता पार्टी की नीयत, ये है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी और ये है भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र। हमारे 32 नेताओं और जवानों की हत्या का दोष हमेशा भारतीय जनता पार्टी के टीके पर रहेगा। यह इतिहास के पन्नों पर दर्ज रहेगा। क्योंकि आज भी हमारे नेताओं को, उनके परिवारजनों को न्याय नहीं मिला है।

माननीय सभापति जी, नक्सलियों का फर्जी समर्पण कराकर करोड़ों की घोटाले करने वाली भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार, आज उन पर भी प्रश्नचिन्ह लगते हैं। केन्द्र सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 1210 समर्पित नक्सलियों में से मात्र 4 लोग ही वास्तव में नक्सली थे। यह पैसों का बंदरबांट करते थे। माननीय सभापति महोदय, केन्द्र में जब हमारी सरकार थी, यू0पी0ए0 की सरकार थी, लगभग 200 करोड़ रूपया खुफिया तन्त्रों के लिए रहता था तथा 1200 करोड़ रूपया सी0आर0पी0एफ0 कैम्पों के रखरखाव एवं उनकी सुख-सुविधाओं के लिए देता था। मगर उन पैसों का बंदरबांट तत्कालीन सरकार करती थी। यदि पिछली सरकार गंभीर होती तो नक्सली समस्या 02 जिलों से 13 जिलों में नहीं पहुंचती। लेकिन आज हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है, इस समस्या पर गम्भीर है और इस समस्या का कैसे निदान हो, हम इसके लिए गंभीर हैं। हम बस्तर के जनप्रतिनिधि जब वहां से सुबह निकलते हैं तो शाम को वापिस आयेंगे, इसकी सचमुच में गारन्टी नहीं रहती है। लेकिन आज हम गंभीर हैं। यदि आपकी सरकार गंभीर होती तो 13 जिलों में नक्सली गतिविधियां नहीं बढ़ती। नक्सली गतिविधियों के लिए जो फण्ड आता था, आप लोग उसका भी बंदरबांट करते थे। तो आज आपके चाल और चरित्र में पता चलता है कि आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, शहीद भीमा मण्डावी की मौत पर। हमारी सरकार की जो भी पुनर्वास नीति होगी, सरकार की नीति के तहत उनके परिवार को पुनर्वास भी देगी। शासन की जो भी नीति है, उसके तहत काम करेगी। माननीय सभापति जी, हम गंभीर हैं। हमारी सरकार गंभीर है, हमारे मंत्रिमण्डल के साथी और अन्य साथी भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए जितने भी विकास के कार्य हैं, हमारी सरकार लगातार विकास का काम कर रही है और आगे भी उस पर कार्य करेगी। राज्य के सभी थानों को आदर्श थाना बनाने के लिए काम कर रही है। उसके साथ-साथ अभी तक जो भी घटनाएं घट रही थीं, उसके लिए भी लगातार काम कर रही है। पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े-बड़े स्लोगन देती थीं- विश्वसनीय छत्तीसगढ़। हम देखते हैं कि इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अविश्वसनीय छत्तीसगढ़ बन गया है। उस अविश्वसनीय छत्तीसगढ़ को विश्वसनीय छत्तीसगढ़ बनाने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए हैं और हमारी सरकार का निर्णय है-

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ । छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता की सुरक्षा, छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता का विकास, छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता के प्रति उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास होगा और नक्सली समस्या आज देश की समस्या है । इस ओर केन्द्र सरकार भी गंभीर नहीं है । कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मगर हमारी सरकार गंभीर है, इस पर जरूर निराकरण होगा । माननीय गृहमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना स्पष्ट विजन, अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा है और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम होंगे । हम विकास के साथ-साथ इस छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को दूर भगाने का प्रयास करेंगे, यह हमारी सरकार का नीतिगत निर्णय है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप मंत्री नहीं हो, कैसे प्रयास करोगे ?

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- वे अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हमेशा आदेश देते हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- वे संगठन के अध्यक्ष हैं न ।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- वे हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वे मंत्री नहीं हैं, लेकिन सभी मंत्रियों के मुखिया हैं।

समय :
1:26 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय गृहमंत्री जी, उन्होंने कहा कि मैं अभी भी असुरक्षित महसूस करता हूं । एक बार घर से निकले तो शाम को घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, अभी उन्होंने ऐसा कहा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वे सभी मंत्रियों के मुखिया हैं, इसलिए बोल रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय वरिष्ठ सदस्य, अनुभवी सदस्य ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं, हमारी सरकार ने जो-जो कदम उठाये हैं, उसके संबंध में मैंने जानकारी दी है । उसके साथ-साथ तत्कालीन सरकार संवेदनहीन थी । झीरमघाटी में हमारी पार्टी के बहुत से लोग शहीद हुए, श्री योगेन्द्र शर्मा जी शहीद हुए, उनकी पत्नी श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा जी इस सदन की सदस्य हैं । मैं तत्कालीन सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनको कौन सी सुविधा दी गई, पूर्व विधायक स्वर्गीय उदय मुदलियार शहीद हुए, उनके परिवार को आपकी सरकार ने कौन-कौन सी सुविधा दी, उनके साथ-साथ अन्य नेताओं को आपने कौन-कौन सी सुरक्षा दी, बताने की कृपा करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक होनहार आई.पी.एस. राहुल शर्मा जी ने मौत को गले लगा लिया । तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको इतना प्रताड़ित किया और आज भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है । हम तेलंगाना, आंध्रप्रदेश की बात करते है, वहां की सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण था । आपकी पार्टी 15 सालों से सरकार में थी,

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लेकिन आपने इन 15 सालों में क्या किया ? 15 सालों में इस समस्या का निराकरण हो सकता था । आपको तो सिर्फ राजनीति करना था । जो फंड आता था, उसका बंदरबांट करना था इसीलिए नक्सली समस्या गंभीर समस्या है, मगर हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार इस पर गंभीर है । अभी हमको मात्र 6-7 महीना काम करने का मौका मिला है । आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम आएंगे, हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता में अमन-चैन होगा, शांति होगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(पक्ष के सदस्यों द्वारा ताली बजाने पर)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- देखिए, ऐसे हर चीज में ताली नहीं बजाना है, बेंच नहीं ठोकना है । एक सदस्य की हत्या हो गई और बेंच ठोक रहे हैं, शर्म नहीं आती ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको ट्रेनिंग सिर्फ ताली बजाने की मिली है क्या? कभी-कभी विषय की गंभीरता को भी समझा करिए न ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा):- माननीय अध्यक्ष जी, पंचम विधान सभा में शायद ये पहला स्थगन प्रस्ताव है, जिसको ग्राह्य करके इस सदन में चर्चा हो रही है और दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि हम जिस स्थगन पर चर्चा कर रहे हैं, उस स्थगन का विषय हमारे अपने विधायक साथी भाई भीमा मण्डावी जी की मृत्यु से जुड़ा हुआ है ।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्थगन पर अपना जवाब प्रस्तुत किया । आदरणीय सदस्य मोहन मरकाम जी ने विस्तार से अपनी बात रखी और सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए क्या कर रही है, यह उन्होंने बताने का प्रयास किया । छत्तीसगढ़ में नई सरकार गठित हुई, भूपेश बघेल जी उस सरकार के मुखिया चुने गए और उसके पश्चात् छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बढ़ा है । जब डा. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, उस समय नक्सलवाद सरगुजा और बस्तर संभाग तक सीमित था...।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा । सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए स्थगित ।

(अपराह्न 1:30 बजे से 3:00 बजे तक अंतराल)

समय :
3:00 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुये)

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात नक्सलवाद छत्तीसगढ़ को विरासत में मिला था । डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उस समय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ का पूरा बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग नक्सलवाद से पीड़ित था । माननीय रमन सिंह जी की सरकार ने नक्सलवादियों के प्रति कठोर रूख अपनाया । उसका लाभ यह मिला कि सरगुजा संभाग नक्सलवाद से मुक्त हुआ और बस्तर संभाग में भी नक्सलवाद नियंत्रित हुआ था । माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि नई सरकार का गठन हुआ, माननीय भूपेश जी मुख्यमंत्री बने, नक्सलवाद में सरकार की जो नीति स्पष्ट होनी चाहिये थी, वह आज तक स्पष्ट नहीं है । पहले मुख्यमंत्री जी का सार्वजनिक बयान आया कि हम नक्सलवादियों से बातचीत करेंगे, फिर बयान आया कि हम गोली का जवाब गोली से देंगे । आज माननीय मोहन मरकाम जी का भाषण हो रहा था, मोहन मरकाम जी ने कहा कि हम पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की अस्पष्ट नीति का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ । सभापति जी, बस्तर में गोड़ेलगुड़ा गांव में एक घटना घटी, दो लोग मारे गये । पुलिस का बयान आया कि दो नक्सलवादियों को पुलिस ने मारा । इस सरकार के मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी का यह बयान आया कि गोड़ेलगुड़ा मुठभेड़ फर्जी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय गृह मंत्री जी, जब आप उत्तर देने के लिए खड़े होंगे तो इस बात को जरूर शामिल करेंगे । यह बहुत गंभीर घटना है । आप पुलिस का मनोबल बढ़ा रहे हो ।

श्री शिवतरन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के अधिकारी प्रेस कांफ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से बोलते हैं कि हमने नक्सलवादियों को मारा है । सरकार का मंत्री प्रेस कांफ्रेंस करके यह कहता है कि मुठभेड़ फर्जी है । प्रदेश की जनता किसको स्वीकार करे ? सरकार का मंत्री सही बोल रहा है कि पुलिस का अधिकारी सही बोल रहे हैं ? आज तक सरकार के किसी भी मंत्री का, सरकार के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का इस कंट्रोवर्सियल बयान पर कोई भी बयान नहीं छपा, खंडन नहीं छपा । पुलिस का मनोबल ऐसे ही बढ़ेगा ? या तो पुलिस गलत बोल रही है या मंत्री गलत बोल रहे हैं । कौन गलत है, यह कौन बतायेगा ? माननीय सभापति जी, वेंकट उर्फ नक्का सिर्फ इसलिए छूट गया कि तीन महीने के अंदर पुलिस को चालान पेश करना था । पुलिस ने समयसीमा में चालान पेश नहीं किया । समयसीमा में चालान पेश नहीं होने के कारण नक्का की जमानत हो गयी । नक्सलवाद पर यह आपकी नीति है ? आप इस नक्सलवाद पर काम कर रहे हो ? माननीय अध्यक्ष महोदय, झीरम घाटी की घटना पर बहुत बार चर्चा हुई है । छत्तीसगढ़ की सबसे दु:खद घटना हुई है । आज इस सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी का इस सदन में दस बार बयान हुआ है कि मेरे पास तथ्य है । मैं सारी जानकारी रखने को तैयार हूँ, इसकी जांच कराई जाये । मैंने उस समय भी माननीय भूपेश जी को सदन में कहा था कि अगर आपके पास तथ्य है तो आपको पुलिस के सामने प्रस्तुत करना चाहिये, ताकि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही हो सके । उस समय उनका जवाब था, तथ्य है, मैं विषय रख दूंगा । जिनके नाम

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

आयेंगे, उनको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा ? आज तो आप सरकार में है ? आप सरकार के मुखिया हैं ? आप तथ्य रखिये, जो दोषी है, उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिए । सुरक्षा देने में तो आप स्वयं सक्षम है । माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद के नाम पर यह सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेंरा तो सीधा-सीधा आरोप है कि नक्सलवादी आज घटना करते हैं । घटना करने के बाद सार्वजनिक रूप से बात करते हैं कि अब चिंता करने की बात नहीं है । अब जो सरकार है, वह हमारी सरकार है । 9 तारीख को जब भीमा मंडावी की हत्या हुई, हत्या होने के बाद नक्सलवादियों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव से मारकर भगाओ । कहीं कोई कार्यवाही नहीं होगी । अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सारे समाचार पत्रों ने इस विषय को प्रमुखता से छापा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, भाई भीमा मंडावी की घटना के संबंध में सदन में अपना वक्तव्य पढ़ रहे थे। अपने उत्तर में उन्होंने लिखा है कि पर्याप्त सुरक्षा नहीं होने से उस मार्ग की ओर न जाने का अनुरोध किया इसके बावजूद माननीय विधायक अपनी गाड़ी और सुरक्षा वाहनों के साथ उस रास्ते की ओर चले गये, जहां कुआकोंडा से चार किलोमीटर पहले यह घटना माओवादियों द्वारा कारित की गई। माननीय मंत्री जी, भाजपा का सारा विधायक दल पीड़ित परिवार से मिलने गया था, पहली बात तो मैं आपको बता दूं आप इसकी जानकारी लीजिए कि वहां जो बातचीत सब लोगों के सामने आई तो लोगों ने बताया कि जिस दिन घटना घटित हुई, उस दिन दंतेवाड़ा एस.पी. ने माननीय विधायक जी से सिर्फ एक निवेदन किया था और वह निवेदन यह था कि वह गदापाल न जाएं। गदापाल सेन्सिटिव है भी, आप गदापाल न जाएं, बाकी आपको कहीं आना-जाना है तो आप जाएं। दूसरी बात माननीय मंत्री जी जवाब में कह रहे हैं कि कुआकोंडा से चार मिलोमीटर पहले यह घटना माओवादियों द्वारा कारित की गई। ये घटना माननीय भीमा मंडावी जी के जाते समय घटित नहीं हुई। जब भीमा मंडावी जी श्यामगिरी से लौट रहे थे तो लौटते समय ये घटना घटित हुई। दूसरी बात एक बात बार-बार कही जाती है, पुलिस विभाग के प्रमुख डी.जी.पी. का बयान आया कि भीमा मंडावी जी को जाने से मना किया गया था, टी.आई. से 1 मिनट 59 सेकेंड बातचीत हुई। पहली बात तो उनके साथ उनके जाने से पहले जो लोग थे हमने उन सबसे बातचीत की। सबका यही कहना है कि टी.आई. से उस पीरियड में उस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई, दूसरे विषयों पर बातचीत हुई और उनने वही बताया कि एस.पी. ने केवल गदापाल जाने के लिए मना किया था, श्यामगिरी जाने के लिए मना नहीं किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा प्रश्न यह है कि अगर श्यामगिरी जाने से मना किया, भीमा मंडावी जी के पास बार-बार श्यामगिरी से बुलावा आ रहा था तो उनके कॉल डिटेल्स निकाल करके आप ये तो जांच कराईये कि भीमा मंडावी जी को बुलाने वाले कौन लोग थे? क्या यह कोई षड़यंत्र तो नहीं है? इसे जांच के बिन्दु में शामिल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना को घटित हुए लगभग तीन महीने हो गये, आज तक पुलिस ने इस विषय पर जांच को आगे नहीं बढ़ाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब में बोल रहे हैं कि भीमा मंडावी के परिवार को संपूर्ण सुरक्षा लगातार प्रदान की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विधायक दल के लोग मिलने गये थे। पूरा परिवार दहशत में है, भयभीत है कि जो घटना भीमा मंडावी जी के साथ घटित हुई है वह हमारे साथ भी घटित हो सकती है। भीमा मंडावी जी की पत्नि श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी ने 24.04.2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने निवेदन किया है कि मेरा पूरा परिवार असुरक्षित एवं असहज महसूस कर रहा है। उक्त घटना को देखते हुए मैंने आपको पत्र क्रमांक फलां-फलां में पहले भी 13 तारीख को पत्र लिखा है और पूर्व की तरह सुरक्षा बनाये रखने हेतु निवेदन किया था, किन्तु आज दिनांक 26-04-2019 तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। 09 तारीख को घटना घटित हुई, भीमा मंडावी जी की पत्नि के द्वारा पहला पत्र 13 तारीख को लिखा गया, 26 तारीख को भीमा मंडावी जी की पत्नि के द्वारा दूसरा पत्र लिखा गया और माननीय गृहमंत्री जी बोलते हैं कि पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा रही है? इस पत्र के बाद केवल जो तीन पी.एस.ओस. हैं उन तीन पी.एस.ओस. को वहां रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महेन्द्र कर्मा जी के साथ भी दुखद घटना घटित हुई थी। पूरे परिवार को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का काम डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने किया था पर, आप यहां भी सुरक्षा देने में भेदभाव कर रहे हैं? उनका पूरा परिवार पीड़ित है, अपने आपको असहज महसूस कर रहा है पर आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भीमा मंडावी जी को रायपुर में रहने के लिए भवन मिला था। इस सरकार के पास इतनी भी मानवता नहीं है। भीमा मंडावी जी के देहांत के तत्काल बाद रायपुर का शासकीय आवास खाली करने के लिए कह दिया जाये और उस विधवा पत्नी ओजस्वी को निवेदन करना पड़े कि मुझे रहने के लिए मकान दिया जाये। माननीय महेन्द्र कर्मा जी के साथ घटना घटित हुई, आज तक उस परिवार के पास शासकीय आवास रमन सिंह की सरकार ने दिया वह था, पर कहां गई आप लोगों की मानवता। नक्सलवाद की घटनाओं पर भी आप लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं। हमने जो ध्यानाकर्षण के बिन्दु दिये हुए हैं। उस ध्यानाकर्षण के बिन्दु में मैंने एक थानेदार की मृत्यु का और एक शिक्षक की मृत्यु का जिक्र किया है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है। यह कहना सही नहीं है कि बस्तर संभाग में लगातार नक्सल की घटनाएं घटित हो रही है। माओवादियों द्वारा थानेदार को अगुवा कर मारने जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई। इसी प्रकार माओवादियों द्वारा पुलिस जवान समझकर किसी शिक्षक को गोली मारने की घटना घटित नहीं हुई। 12 मार्च का यह भास्कर का समाचार है। नक्सलियों ने अगुवा कर थानेदार को मार डाला, शिक्षक को साथ ले गये। पूरे प्रदेश में प्रमुखता के साथ छपा है। 21 मार्च का नवभारत का समाचार पूरे प्रदेश में छपा है। पुलिस जवान समझकर नक्सलियों ने शिक्षक को गोली

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मारी। प्रमुखता के साथ दोनों बड़े समाचार पत्र छप रहे हैं और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आपको काग्नीजेंस लेना चाहिए कि अगर विधानसभा में गलत जवाब दिया जा रहा है और इस प्रकार की घटनाओं को नकारा जा रहा है। माननीय मंत्री जी आपको भी विभाग को टाईट करना चाहिए कि ऐसे गलत जवाब वह कैसे दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि अगर ऐसे गलत जवाब दिये हैं तो इसी सदन में आप कार्यवाही करने की घोषणा कर सही जवाब सदन में आये। माननीय अध्यक्ष जी, आपका इसमें संरक्षण मिलना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, जिन घटनाओं का जिक्र हमने अपने स्थगन प्रस्ताव में किया है। सारे प्रदेश के इलेक्ट्रानिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, प्रमुखता से यह समाचार प्रकाशित हुए। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने लोगों को भेजकर सारे घटनाओं की तस्दीक की और मंत्री जी कहते हैं कोई थानेदार नहीं मारा गया। किसी शिक्षक को नहीं मारा गया। यह जवाब सदन में पढ़ रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं कि अगर यह घटना घटित नहीं हुई तो जो प्रिंट मीडिया के लोगों ने छापा है उसके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी क्या ?

सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी, जरा वह थानेदार और शिक्षक का नाम तो बता दीजिए ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कापी उपलब्ध करा देता हूं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, नहीं आप नाम बताईये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, समाचार छपा है वह पढ़ देता हूं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, समाचार की बात, समाचार जिक्र नहीं होता। आपके पास है आप नाम बताईये कि थानेदार कौन था ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जो शिक्षक है उनका नाम योगेन्द्र मेश्राम है। योगेन्द्र मेश्राम नामक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अब बोलिये पंडित जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो बोल रहे हैं नाम बताओं मैं 20 नाम अभी बताऊंगा और 20 नाम को आप सत्यापित कर लेंगे। सत्यापित करने के बाद में उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करते हैं और आपके पुलिस ने जो झूठा, यहां पर असत्य कथन मंत्री जी से करवा रहे हैं, क्या कार्यवाही करेंगे अभी आप बतायेंगे ? 20 नाम अभी बताऊंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, साहब आप 20 नाम की बात कर रहे हैं। मैं 500 नाम इसी सदन में गिनवा देता हूं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं 20 नाम अभी बताऊंगा। आप एक नाम पूछ रहे हो न। मैं आपको अभी 20 नाम बताऊंगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं 500 नाम गिनाने को तैयार हूं। आपने 15 साल में क्या कार्यवाही की वह भी बताऊंगा ?

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं अभी इस घटना के बाद में 20 नाम बताऊंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए। आप कार्यवाही करवाईये, बताईये तो कार्यवाही करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल 500 नाम पर तगड़ा कार्यवाही करवाओ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शर्मा जी ने शिक्षक का नाम पूछा वह मैंने बता दिया और जिस थानेदार की मैं बात कर रहा हूं उस थानेदार का नाम ललित कुमार कश्यप है। उस थानेदार का नाम ललित कुमार कश्यप है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपकी थोड़ी सी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में पूरी तरह से असत्य कथन किया है और मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण पर उनके असत्य कथन के मामले को आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति में भेजे, मैं वहां सारे प्रमाण प्रस्तुत करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय आया कि माननीय भीमा मण्डावी जी को जाने से मना किया गया था। प्रदेश के सारे समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है कि माननीय भीमा मण्डावी जी को जेट श्रेणी की सुरक्षा थी। सुरक्षा के लिए 50 जवान उनके साथ थे। पर जब 9 तारीख को जिस दिन 3.00 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हुआ तो जवानों के पास असमंजस की स्थिति थी कि अब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया तो हमको इनके साथ रहना है या हमको वापस जाना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई स्पष्ट निर्देश न होने के कारण, सुरक्षा में लगे जवान वापस चले गये। अगर उनको स्पष्ट निर्देश रहता कि चुनाव तक उनके साथ रहना है तो शायद ये घटना घटित नहीं होती।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विधायक, प्रतिनिधि की हत्या हुई। इन्होंने दो चीजें कहीं कि माननीय विधायक जी ने जवानों को वापस जाने के लिए कहा, कोई प्रमाण है? माननीय मंत्री जी मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप इस सदन में प्रमाण प्रस्तुत कर दीजिये कि उन्हें विधायक जी ने वापस जाने के लिए कहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रमाण कि थानेदान ने उनको कहा कि आप उस क्षेत्र में मत जाईये, इसका कोई प्रमाण हो तो आप प्रस्तुत कर दीजिए। कम से कम एक विधायक हमारा साथी ...।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रिकॉर्ड है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप प्रमाण लाईये। सत्यनारायण शर्मा जी आप जो बोलेंगे, वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप प्रमाण ले आईये। इस हाऊस के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। हमारा कोई सदस्य...।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जब मोबाईल पर बात हुई तो रिकार्डेड होगा। प्रमाण मिल जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप प्रमाण लाईये। इसी सदन में लाईये और पटल पर रखिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अभी इसी सदन में यह बात कह रहे हैं, दस्तावेज ...(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसी को मुरव्वत नहीं है। ये सरकार है।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- पहले झीरम के प्रमाण भी दे दिये जाएं, जो एन.आई.ए.के पास हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- या (व्यवधान) बन जाओ। सरकार है, यहां पर सरकार प्रमाण रखे।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं झीरम के बारे में बोल चुका हूँ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने जवाब में हम बोल चुके हैं, रख चुके हैं। आप इतने उद्वेलित क्यों हो रहे हैं? हम रखेंगे। ...। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमें अधिकार है, माननीय मंत्री जी आप जवाब देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप यहां पर प्रमाण रखें।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम रखेंगे। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी गंभीरता से सुन रहे हैं और समय आने पर जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि इस सदन के सदस्य का सम्मान है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार खड़े होकर जवाब दें। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- झीरम घाटी के हत्यारे... (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी कह रहे हैं कि समय आने पर खड़े होकर जवाब देंगे।

एक माननीय सदस्य :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार एक ही बात के लिए जवाब मांगा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 अप्रैल को घटना घटित हुई और 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्र नवभारत ने एक समाचार छापा। आज नहीं मिली थी पूरी सुरक्षा, घटना की खुफिया सूचना और सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। आला पुलिस अफसर ने बताया कि कल सोमवार को भी भीमा मण्डावी इसी इलाके में चुनाव प्रचार के लिए गये थे। जेट केटेगिरी होने की वजह से उनके साथ राज्य पुलिस की एण्टी नक्सल फोर्स डी.आर.जी.के 50 जवान दिये गये थे। केवल

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा नेताओं को दी जा रही थी। डी.आर.जी. जवान सुरक्षा के अलावा रोड ओपनिंग का भी काम देखते थे। पर आज चुनाव प्रचार का वक्त खत्म हो जाने की वजह से सुरक्षा दी जाए या नहीं, इसे लेकर पुलिस अफसरों से चूक हो गई। ये प्रमुख समाचार पत्र नवभारत ने लिखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लैण्ड माईन्स की घटनाएं होती हैं। हमारे यहां नक्सलवादियों ने चाहे जवानों के ऊपर घटना घटित की हो, चाहे झीरम घाटी की घटना की हो, चाहे भीमा मण्डावी की घटना हुई हो, ये सारी घटना एम्बुस लगाकर, लैण्ड माईन्स के माध्यम से की है। पर लैण्ड माईन्स हमेशा वहां लगाया जाता है जहां राजनेता अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में जाते हैं और आते हैं। जब उनको ये मालूम रहता है कि ये फला रोड से गये हैं और फला रोड से वापस आने वाले हैं तब वे लैण्ड माईन्स लगाते हैं। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- मतलब आप मान, कबूल रहे हैं कि झीरम के समय में वहां कांग्रेस यात्रा जानी है ये पूर्व में निर्धारित था इसलिए उस मार्ग को ऐसा किया गया था।

एक माननीय सदस्य :- ये तय था। ये सही बात है।

श्री मोहन मरकाम :- आपने प्रूव कर दिया कि आपकी सरकार के समय (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- आप इस बात को स्वीकार रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अपने जवाब में स्वयं कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य :- ये पूर्व की सरकार के जिम्मेदार सदस्य स्वीकार रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि मतलब ऐसा हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अपने जवाब में स्वयं कह रहे हैं कि मेले में अचानक भीमा मण्डावी गये। अचानक लौटे, तो ये लैण्ड माईन्स की घटना कैसे घटित हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का एक सदस्य हमारे बीच नहीं रहा । वास्तव में यह नक्सलवादी घटना नहीं है, यह कोई बड़ा षडयंत्र है और यह सीधा-सीधा भीमा मण्डावी जी की हत्या का षडयंत्र है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे मुद्दों पर उसकी काल डिटेल निकाल करके जांच करायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का कोई जवान शहीद होता है तो सरकार 1 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था करती है। पर कोई जनप्रतिनिधि शहीद हो जाये तो उसका खाली 10 लाख रुपये का बीमा है। भीमा मण्डावी जी, महेन्द्र कर्मा जी, माननीय नंदकुमार पटेल जी नहीं रहे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर ये घटना घटित हुई है तो उसके परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपये दिलाने की व्यवस्था शासन के स्तर पर की जानी चाहिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपकी सरकार थी, आपने 15 सालों में क्यों नहीं किया?

असंशोधित/मुद्रणार्थ के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, उसका कम से कम 1 करोड़ रुपये का बीमा कराया जाना चाहिए। क्योंकि विधायक, पूर्व विधायक सार्वजनिक जीवन में रहता है, उसको सब जगह आना-जाना पड़ता है। उनके बीमा की व्यवस्था की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अंतिम बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, जांच की मांग कर रहे हैं। इनकी केन्द्र की एन.आई.ए. ने जांच पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है।

श्री मोहन मरकाम :- इनकी सरकार ने हमारे नेताओं के परिजनों को क्लास-4, की नौकरी आफर की थी। हमारे नेता शहीद हुए थे, उनके परिजनों को चपरासी की नौकरी आफर की थी। इनकी संवेदनशीलता इससे पता चलती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भीमा मण्डावी जी के परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, मकान बैंक फाईनेन्स से है, जो गाड़ी लैण्ड माईन्स में ब्लास्ट हो गई, वह फाईनेन्स में है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनको आर्थिक मदद देने के साथ-साथ परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की व्यवस्था भी शासन के स्तर पर करें।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बहन रश्मि आशीष सिंह जी, माननीय देवेन्द यादव जी बार-बार झीरम घाटी का विषय उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप समाप्त करें। बाकी लोगों को बोलने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप लोग इस सदन के मेम्बर नहीं थे। मैंने पहले कहा है और आज फिर भी चुनौतीपूर्वक बोलता हूं कि अगर भूपेश बघेल जी के पास उस घटना से संबंधित कोई तथ्य है तो जांच एजेन्सी अभी उनके पास है, उनको जांच कराने से कौन रोक रहा है? वह जांच कराने के लिए स्वतंत्र हैं, वास्तव में इस घटना में कोई आपके षडयंत्र के कारण हुई है .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप समाप्त करिये।

श्री मोहन मरकाम :- इसी सदन ने सी.बी.आई. जांच की मांग की थी, केन्द्र सरकार स्वीकार क्यों नहीं कर रही है?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे एक निवेदन करता हूं कि भीमा मण्डावी के साथ हुई घटना की पूरी जांच हो, षडयंत्र था या नहीं था, उसकी जांच करके दोषी के ऊपर कार्यवाही हो। उस परिवार को आर्थिक सहायता दिलायें और उस परिवार के एक बच्चे को शासकीय सेवा में नौकरी देने की कृपा करें। इस निवेदन के साथ आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हम सबके लिए दु:ख की बात है कि दंतेवाड़ा के माननीय विधायक, एक साहसी, दबंग विधायक भीमा मण्डावी जी की हत्या दिनांक 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा जिले के श्यामगिरी मार्ग पर कर दी गई। यह घटना एक तरह से लोकतंत्र और वामपंथी उग्रवादियों की चुनौती की है किन्तु हमारी सरकार ने भी उसी दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते उसी भाषा में जवाब देने की बात भी कही है। यह बात की पुष्टि इस बात से होती है कि इस हत्याकांड में शामिल लोगों को पुलिस बल के द्वारा मार गिराया गया। जो इस हत्याकांड में शामिल थे, वे लोग मार गिराये गये, आदरणीय शर्मा जी, यह भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। भीमा मण्डावी जी की हत्या के तुरन्त बात सरकार ने जांच के लिए जस्टिश सतीशचन्द्र अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति सिक्किम उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया और उस संवेदनशीलता का परिचय दिया और ये साफ किया कि यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी निष्पक्ष जांच की जाये और जांच के 8 बिन्दु भी तय कर दिये गये थे। किन्तु एन.आई.ए. के आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस की कार्यवाही पर रोक लगा दी। माननीय शिवरतन शर्मा जी कह रहे थे कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पुलिस कार्यवाही कैसे करेगी? एन.आई.ए. ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधिपति ने उस पर रोक लगा दी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय शर्मा जी, एनआईए की जांच आपके नेताओं के निवेदन पर ही डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने स्वीकार की थी । माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, माननीय सोनिया जी थीं, माननीय राहुल गांधी जी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप किस एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं हम सहमत हैं और जब इन्होंने एनआईए की जांच की मांग की तो माननीय रमन सिंह जी ने सहमति दी, उस समय केंद्र में आपकी सरकार थी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले एसआईटी बनी, एसआईटी बनने के बाद आपकी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने एनआईए का फैसला लिया, पुलिस की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिये एनआईए ने एप्लीकेशन लगायी और पुलिस की कार्यवाही रोक दी गयी इस बात की जानकारी आपको है या नहीं मैं यह नहीं जानता ? माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे अत्यंत नक्सली प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण श्री भीमा मण्डावी जी के लिये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये थे किंतु अपनी सुरक्षा में तैनात कर्मियों को उन्होंने वापस कर दिया कि चुनाव प्रचार समाप्त हो गया उसके बाद श्री भीमा मण्डावी जी अचानक क्यों गये यह एक रहस्यमय बात है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब माननीय मण्डावी जी ने सारे सुरक्षा बलों को वापस कर दिया और उनको विश्वास हुआ कि माननीय मण्डावी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं तब सुरक्षा बलों को वापस कर दिया, फिर अचानक चले गये तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अचानक जाने का क्या काम था, वह कौन सा गोपनीय कार्य था जिसके लिये उन्होंने अचानक जाने का ईरादा बनाया और इस तरह से यह दुर्घटना घटी है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है । माननीय सत्यनारायण जी हम आपका बहुत सम्मान करते हैं । कम से हमारा एक सदस्य जो दिवंगत हुआ है उसके गोपनीय काम और उसके ऊपर तो आरोपित मत करिये ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- नहीं, कौन से ऐसे जरूरी काम आ गये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या आपके पास कोई प्रमाण है ? (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- कौन से ऐसे जरूरी काम आ गये जिस काम के लिये उन्हें फिर जाना पड़ा । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वे बस यही पूछ रहे हैं कि वे किस काम के लिये गये ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि उन्होंने वापस जाने का कहा ? आप प्रमाण रखिये, आप सदन के पटल पर प्रमाण रखिये । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- श्री बृजमोहन भाई, क्या आपको यह जानकारी है कि वे वहां किसलिये गये थे ? (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- श्री शर्मा जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन आप जिस ढंग से आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- यह सामान्य ज्ञान की बात है, मैंने एक सामान्य ज्ञान की बात कही ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के अधिकारियों की जान बचाने के लिये जानबूझकर इस बात को कह रही है । (व्यवधान) वे फिर वापस चले गये इस तरह की भाषा का उपयोग करना उचित नहीं है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसी दिवंगत विधायक के मामले में ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है । आप वरिष्ठ हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वे किसलिये गये थे, यही तो पूछ रहे हैं । क्या आपको जानकारी है कि वे किसलिये गये थे ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप सत्तापक्ष के विधायक हैं, प्रमाण बताईये न ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, वह सावधानी उन्होंने बिल्कुल नहीं बरती । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप यह बताईये न कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? आपके पास क्या प्रमाण है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- वह मंत्री जी जवाब देंगे कि क्या है क्या नहीं है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- सरकार के अधिकारियों की जान बचाने के लिये श्री सत्यनारायण शर्मा जी इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उन्होंने सावधानी नहीं बरती, बचेली के टी.आई. के मना करने के बाद भी उसी मार्ग से गये और इसीलिये मैंने यह कहा । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व मंत्री श्री रामविचार नेताम जी का बयान याद दिलाता हूं । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उन्हें मना किया गया था । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उन्हें किसने मना किया ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- केवल एसपी ने उन्हें गदापाल जाने से मना किया था । आपके पास कोई प्रमाण है तो रखिये न । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मंत्री श्री रामविचार नेताम जी ने कहा था कि क्यों मरने गये थे बस्तर कांग्रेस के नेता यह शब्द वे इस्तेमाल करते थे और वे हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उनको सावधानी बरतनी थी । उन्होंने सावधानी नहीं बरती, लापरवाही की । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको विलोपित करें । वे दूसरे सदन के सदस्य हैं, श्री रामविचार नेताम जी राज्यसभा के सदस्य हैं उनके नाम का उल्लेख यहां नहीं हो सकता । जो दूसरे सदन के सदस्य हैं उनके नाम का उल्लेख नहीं हो सकता इसलिये इसको आप विलोपित करें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं । इसको विलोपित करें । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- मैं आपके स्मरण के लिये आपको याद दिला रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शर्मा जी को बोलने दीजिये । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामविचार नेताम जी का नाम विलोपित करिये, श्री रामविचार नेताम जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अगर वे सावधानी बरतते तो शायद यह दुखद घटना नहीं होती ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप किसी घटना से संबंधित उल्लेख कर सकते हैं लेकिन आप आरोपित नहीं कर सकते जो दूसरे सदन का सदस्य है तो आरोपित किया उसको आप विलोपित करें ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, देख लेंगे ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वे आरोप कहां लगा रहे हैं, उन्होंने जो बोला है उसके बारे में बता रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उन्होंने बोला है तो रिकॉर्ड दिखाओ न कि कब बोला है, कैसे बोला ?

श्री बृहस्पत सिंह :- आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो आप ही बता दीजिये न ।

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्मरण करवा रहा था । इसको विलोपित कर दीजिये लेकिन विपक्ष के नेताओं को अपनी बातों को भी स्मरण रखना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शर्मा जी बोलिये ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि माननीय भीमा मण्डावी जी थोड़ी सावधानी बरतते तो शायद यह दुखद घटना नहीं घटी होती और उसके बाद दुखद इंटीलेजेंस की चूक और सुरक्षा का मामला तो उस समय दिखायी दिया था जब झीरम की घटना घटी थी । उस वक्त यह तय था, पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही थी और आपकी पार्टी को अहसास हो गया था, उस वक्त झीरम की घटना घटी । झीरम की परिवर्तन यात्रा से आप लोग भयभीत थे और उसमें आपने सुरक्षा नहीं दी । हमारे दोनों नेता आदरणीय महेन्द्र कर्मा और आदरणीय नंदकुमार पटेल, जेड प्लस सुरक्षा में थे । लेकिन आपने उस वक्त सुरक्षा में चूक की । आप किस तरह की बात कर रहे हैं । आप यह कह रहे हैं कि यहां सुरक्षा में चूक हुई है । माननीय शर्मा जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है । इंटेलिजेंस और सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, इस बात का जवाब माननीय मंत्री जी ने यहां दृढ़ता से दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद का सबसे बड़ा दंश हम लोगों ने झेला है । आप क्या बात कर रहे हैं । झीरम घाटी में हमारे बड़े बड़े नेताओं ने कुर्बानी दी, वे शहीद हुए । यहां तक कि हमारे पारिवारिक मित्र आदरणीय चौबे जी, जो राजनांदगांव में एस.पी. थे, वे भी शहीद हुए हैं । नक्सलवाद का दुष्परिणाम हम लोगों ने भोगा है । अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार एवं असंवैधानिक कार्यों के खिलाफ पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही थी । उस वक्त हम लोगों ने 29-29 नेताओं और शासकीय कर्मचारियों को खोया है । आप क्या जानेंगे नक्सलवाद का दर्द । हम लोग जानते हैं कि परिस्थितियां थी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शर्मा जी, बीजेपी के 100 से जयादा कार्यकर्ता मारे गए हैं । हमारे मंत्री केदार कश्यप जी के सगे भाई की हत्या नक्सलवादियों ने की है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- तो आप लोगों ने क्या किया । 15 साल तक आपकी सरकार यहां थी, केन्द्र में आपकी सरकार थी ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- केन्द्र में आप बैठे थे और आप लोगों ने ही तो नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कहकर सम्बोधित किया ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का माटीपुत्र कहा है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- 15 साल तक नक्सलवाद को बढ़ावा देकर, केवल कमीशनखोरी की है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, अभी बात आई सबूत देने की । आदरणीय सदस्य सबूत दे दें कि कांग्रेस के लोगों ने किस तरह से मिलकर काम किया है । जब गंभीर बात हो रही है तो उस समय ऐसी हल्की बात नहीं करनी चाहिए । आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने किया तो आप सबूत दे दीजिए । अभी सबूत दे दीजिए । ये कोई बात हुई ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप जैसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने किया तो कांग्रेस के लोगों ने ही झीरम में हत्या करने के लिए कहा । तो क्या हम लोग भी यह बोल सकते हैं कि आप लोगों ने हमारे नेताओं की हत्या कराई ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चुनाव के दौरान आदरणीय राज बब्बर जी की आम सभा हुई और राज बब्बर जी ने सार्वजनिक रूप से नक्सलियों की तुलना क्रांतिकारियों से की । ये पूरे देश के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- प्रिंट मीडिया ने यह भी छापा है शिवरतन जी (समाचार पत्र की कॉपी दिखाते हुए) । प्रिंट मीडिया ने यह भी छापा है कि छत्तीसगढ़ की माटी के सपूत है नक्सली । यह भी छापा है ।

श्री मोहन मरकाम :- तत्कालीन मुख्यमंत्री का बयान था ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- रमन सिंह ने कहा ।

श्री रामकुमार यादव :- आप ही मुख्यमंत्री ने कहा था, शिवरतन जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- राज बब्बर की बात मत करो, उनको तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने बब्बर कर ही दिया ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, अप्रैल 2012 में सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण के बहाने राज्य ने नक्सलियों से सीधे वार्ता का रास्ता खोल दिया । डॉ. बी.पी.शर्मा ने इसे गुप्त समझौता भी कहा, यह बात भी अखबार में छपी है । डॉ. बी.पी.शर्मा ने भी इसका उल्लेख कर दिया । ये था नक्सलियों से सीधे बातचीत का रास्ता खोलने का तरीका, जो आप लोगों ने अपनाया । माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सली हमला एक सामान्य हादसा नहीं था । वह सोची समझी राजनीतिक साजिश थी । जिसके तहत हमारे माननीय

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नंदकुमार पटेल जी, महेन्द्र कर्मा जी जैसे हमारे साहसी लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी । उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन विधायक भीमा मंडावी की हत्या से संबंधित है । इसमें झीरम का जिक्र कहां से आ गया । (व्यवधान)

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- यह नक्सली घटना नहीं है क्या ?

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- यह भीमा जी को श्रद्धांजलि के साथ ही नक्सलवाद पर भी चर्चा है । नक्सलवाद की बात होगी तो झीरम की भी बात होगी ।

श्री नारायण चंदेल :- यह विषय से हटकर बात हो रही है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- परिवर्तन यात्रा पर हमले के पहले एक से अधिक कई बार सूचनाएं दी गईं । खुफिया एजेंसी से सूचना मिलने के बाद भी कोई सुरक्षा का इंतजाम आप लोगों ने नहीं किया, यह आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी थी और इसीलिए हम कहते हैं कि झीरम की घटना एक राजनीतिक हत्या थी । वह राजनीतिक घटना थी और इसमें हमारे माननीय कई लोगों को जान देनी पड़ी । अध्यक्ष महोदय 4.45 बजे हमले की सूचना, 15 मिनट के भीतर नजदीक में दरभा, तोंगापाल पुलिस थानों और जगदलपुर तथा रायपुर तक पहुंच चुकी थी । तब वे जिंदा थे। अगर समय पर सहायता मिलती, तो शायद उनकी जान बचायी जा सकती थी। आपके समय में ऐसी करतूतें हुई हैं। नक्सलियों के करतूत से छत्तीसगढ़ राज्य कितना प्रभावित है, यह भी आंकड़ा बताना चाहता हूं। बार्डर में जितनी भी घटनाएं नहीं होतीं, उससे कई गुना हत्याएं नक्सलियों के द्वारा की गई हैं। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 3100 मुठभेड़ हो चुकी हैं। इसमें लगभग 1002 के आसपास नक्सली मारे गये। वहीं इससे अधिक लगभग 1,234 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए। वहीं दूसरी ओर 1,782 नागरिकों की मृत्यु नक्सली हमले में हुई है। जिसमें राजनेता भी शामिल हैं। लगभग 3,896 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। वहीं 10,273 नक्सली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये गये। पुलिस द्वारा 2,900 के आसपास अग्नेय शस्त्र जब्त किये गये। इसमें 2,588 लैंड माइन जब्त किये गये हैं। एक हजार से अधिक आई.डी. विस्फोट हो चुके हैं। उपरोक्त आंकड़ों से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि राज्य गंभीर रूप से नक्सल पीड़ित है। स्थगन में उल्लेख किये गये तथ्य राजनीति से प्रेरित हैं और काल्पनिक हैं। सरकार तथा प्रशासन की ओर से कोई चूक नहीं दिखाई देती, इस बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का आरोप बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। घटना की जांच पर संपूर्ण विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, पर विपक्ष सहयोग नहीं करना चाहता। इस मामले में राज्य सरकार के द्वारा सुरक्षा में चूक अथवा इंटेलीजेंस की असफलता जैसी कोई बात सामने नहीं आयी है। राज्य सरकार पर इस बात के संबंध में किसी भी प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। राज्य सरकार

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ने संवदेनशीन क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों तथा माननीय विधान सभा के सदस्यों को विशेष सुरक्षा उपलब्ध करायी है...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सरकार का जवाब है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- जवाब नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको मंत्री नहीं बनायेंगे भाई। आप क्यों जवाब दे रहे हो?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे मंत्री जी जवाब देंगे न।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप चिंता क्यों करते हैं?

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा पहले हो चुकी है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- यह मेरी जानकारी है भैया। मैं जानकारी दे रहा हूं। लगातार नक्सलियों द्वारा समर्पण और बड़े इनामी नक्सलियों का मारा जाना तथा सामाजिक क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी उपाय जैसे टाटा द्वारा जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, वापस करायी गई है और इसी तरह से हमारी सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तू भैया, आपकी पहचान आपके वास्तविक स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप में बोलने से है, ये लिखा हुआ पढ़ने से नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। आप बहुत ही सीनियर सदस्य हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- लिखा हुआ कहीं नहीं है। मेरे पास जो आंकड़े हैं, मैंने केवल उन्हें पढ़ा है। शर्मा जी, जो आंकड़े हैं, उन्हें पढ़ा है। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह काल्पनिक आरोप है। यह राजनीति से प्रेरित आरोप है। इसमें कोई आधार नहीं है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, आपने आज बहुत ही गंभीर विषय पर स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इसी बात से पता चलता है कि यह विषय बहुत ही गंभीर है और इस पर विस्तृत चर्चा और चिंतन होना आवश्यक है। अध्यक्ष जी, यह सिर्फ भीमा मंडावी की मौत का स्थगन नहीं है। हमारे बहादुर जवान भी उसमें मरे हैं और आये दिन हम देखते हैं कि हमारे बहादुर जवान ही नक्सली क्षेत्र में लड़ रहे हैं। इसलिए इस पक्ष का आशय यह नहीं है कि श्री भीमा मंडावी की मौत के लिए यह सरकार जिम्मेदार है। आशय यह है कि आखिर इतनी मौतें लगातार हो रही हैं। जब आप यहां बैठते थे तो इस सरकार की तरफ उंगली उठाते थे। जब आप वहां बैठे हैं तो आपकी तरफ उंगली उठ रही है। पर आपको इस माध्यम से यह अवसर है कि आपको चिंतन करना चाहिए। पुलिस तो अपना काम

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कर रही है। उनको सुविधा चाहे जितनी मिले या न मिले, वे गोलियां चला रहे हैं। नक्सली से लड़ रहे हैं, परन्तु किसी लड़ाई के अंजाम तक तब तक नहीं पहुंचा जा सकता, जब उस लड़ाई को लड़ने वाला नेतृत्व मजबूत न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो उदाहरण देना चाहता हूँ। श्रीलंका में जाफना एक छोटा सा एरिया है, वह हमारे बस्तर का 1/10 हिस्सा होगा। वहां पर प्रभाकरन जैसा एक खूंखार आतंकवादी ने पूरी श्रीलंका की सरकार को हिलाकर रख दिया था। वहां की सरकार को मजबूरी में मिलेट्री उतारना पड़ा। आधे-आधे फर्लांग पर मिलेट्री के फ्लेग लगते हुए पूरी जाफना को उस आतंकवाद से मुक्त कराया गया। तो वहां का नेतृत्व मजबूत था, उसने निर्णय लिया कि हमको इसको खत्म करना है तो वहां की सेना ने अपने प्राण की आहुति देकर वहां पर काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के किनारे में पाकिस्तान, उसके दो टुकड़े हुए। जब बंगलादेश बना, तो वहां पर जनरल नियाजी ने 96 हजार सैनिकों के साथ जनरल अरोरा के सामने आत्मसर्पण किया। वह इसलिए किया कि पाकिस्तान का नेतृत्व कमजोर था और उस वक्त हिन्दुस्तान का नेतृत्व मजबूत था। जब नेतृत्व मजबूत होता है तब पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ता है और जब मनोबल बढ़ता है, वे बहादुरी से तो लड़ रहे हैं, परन्तु मार भी दिए जाते हैं, उनके शव आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, बिगुल बजता है। जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। हमारे लोग मर रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं, जनप्रतिनिधि मर रहे हैं, छोटे-छोटे सरपंच मर रहे हैं, जनपद सदस्य मर रहे हैं। इस तरह से सारे जनप्रतिनिधि खतरे में पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा बहादुर और दिलेर कोई जनप्रतिनिधि हैं, तो वह बस्तर के हैं। जब आप बोल रहे हैं तो मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। लेकिन आपकी मजबूरी आपको बोलने के लिए मजबूर कर रही है, मोहन मण्डावी जी।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- मरकाम।

श्री धर्मजीत सिंह :- मरकाम जी। अध्यक्ष का झगड़ा था तो मण्डावी याद आ गए थे। मरकाम साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि बस्तर का जनप्रतिनिधि कितना बहादुर है।

समय :
3:42 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, वह अपनी जान को हथेली में लेकर रोज निकलता है, आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। कितनों को जेड-प्लस मिला है ? आपको जेड-प्लस सुरक्षा क्यों नहीं मिलना चाहिए ? जब मंत्रियों के गाड़ी के सामने में आरंग, बिलासपुर, सरगांव, तखतपुर जाने के लिए आगे-पीछे सायरन बजाती छः गाड़िया जलती हैं, तो जब आप नक्सली क्षेत्र में जा रहे हो, तो आपको जेड-प्लस सिक्योरिटी क्यों नहीं

अशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

मिलनी चाहिए।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- तखतपुर नही भैय्या।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपको कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो मंत्रियों से बात कर रहा हूँ। आपको जेड-प्लस सुरक्षा क्यों नहीं मिलना चाहिए ? सरकार इस पर विचार क्यों नहीं करती ?

माननीय सभापति महोदय, झीरम में भी हमला हुआ, हमारे बड़े-बड़े नेता और इस प्रदेश के नामी-गिरामी नेता उसमें शहीद हुए। जांच के नाम पर विवाद हो रहा है। आप विवाद मत करिये न। आप जांच कराईये। अगर इनकी सरकार ने जांच नहीं कराया तो अब तो आपकी सरकार है, अब किसका बहाना है ? आप सरकार से जांच करवाईये न। जो दोषी हैं, उनको बेनकाब करिये। लेकिन झीरम-झीरम करके जांच एन0आई0ए0, सी0बी0आई0 करके बात मत करिये, मोहन मरकाम जी। आप बोल रहे थे कि सी0बी0आई0 जांच की मांग नहीं मानी गई। आपकी सरकार ने सी0बी0आई0 की जांच को छत्तीसगढ़ में बेन कर दिया है, आपको यह मालूम है या नहीं ? अपने गृहमंत्री जी से पूछिये। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में सी0बी0आई0 का प्रवेश वर्जित है। आप दोनों बात मत करिये। या तो बोलिये कि सी0बी0आई0 की जांच हो, सरकार प्रस्ताव पास करे। अगर उसके बाद दिल्ली की सरकार ना कहे तो फिर आरोप लगाओ। दूसरी तरफ आपकी कैबिनेट में प्रस्ताव पास होता है कि छत्तीसगढ़ में सी0बी0आई0 की नो-एन्ट्री, एन0आई0ए0 की नो-एन्ट्री। हम एस0आई0टी0 बनायेंगे। तो एस0आई0टी0 तो बना दिए हैं न, छः महीने में क्या किए हैं, इस सदन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बताईये न, हम यही तो पूछना चाहते हैं। हम कोई आरोप थोड़ी लगा रहे हैं कि आप मार दिए, कि गृहमंत्री मार दिए, कि कोई पुलिस वाला मार दिया। चूँक क्यों हों, हम इस चूँक को कैसे फूल-प्रूफ रोकें, कैसे हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को, आगे आने वाले जनप्रतिनिधियों पर कोई हमला न हो, कोई बेमौत, मौत के आगोश में न जाने पाये, इसके लिए हम यहां पर बात करने के लिए खड़े हुए हैं। सभापति महोदय, जब शुरू-शुरू में इनकी सरकार बनी, मैंने खुद पढ़ा था कि पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बातचीत करेंगे। तो आपने बात क्यों नहीं की, आपको किसने रोका था? जब इनकी सरकार बनी थी तो एक आई.ए.एस. आफिसर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण हुआ था । उससे बात करके लोगों ने छुड़ाया । क्या कभी आपने समीक्षा की कि एलेक्स पॉल मेनन को छोड़ने के लिए क्या-क्या बात हुई और समीक्षा की तो सदन में बताइए कि उस वक्त क्या बात हुई थी, कौन बीच में गया था ? नक्सली उससे कैसे बात करके, किन टर्म्स और कंडीशन में एलेक्स पॉल मेनन को छोड़ा गया, ये आपको बताना होगा ।

सभापति महोदय, बोली से अब नहीं होगी, अब गोली से बात होगी । कौन मना किया है, गोली चलवाईए न, गोली चलवाईए । आज ही केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने बयान दिया है कि अगर ये हरकत बंद नहीं होगी तो वे सेना भी उतारने के लिए तैयार हैं । पुलिस और सेना के लोग तो

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गोली खा रहे हैं, पुलिस के अफसर भी काम करने के लिए वहां बैठे हैं, हम उनके भी खतरे को समझते हैं, लेकिन जब मानवाधिकार के लोग कोर्ट में जाते हैं तो आप उनको कितनी मदद करते हैं, आप क्यों मदद नहीं करते हैं कि ये नक्सली से लड़े हैं । मानवाधिकार वालों को इस तरीके से बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मानवाधिकार से भी आप और आपकी सरकार डरती है । इसलिए जब तब आप हिम्मत नहीं देंगे, तब तक नक्सली समस्या पर निराकरण होना मुश्किल है ।

सभापति महोदय, जो जवान शहीद होता है, उसके परिवार के लिए कभी आपने समीक्षा की कि ये जवान जो मरा है, उसके परिवार के लोगों की माली हालत क्या है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उनके परिवार में खाना है या नहीं है ? सिर्फ चंद रूपये जो पैकेज में आता है या जो आपके नियमों में आता है, वह देकर अगर उस शहीद की शहादत को आप सलाम करना चाहते हैं तो ऐसा सलामी शहीदों के काम नहीं आयेगा । सबके घर में रोजी-रोटी की समस्या है, उनके बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है, उनकी शहादत को याद करने के लिए एक छोटा सा स्मारक नहीं बना है, उनकी विधवा पत्नियों के ईलाज के लिए कभी पूछने के लिए सोशल वेल्फेयर के काम को भी आपने एक साईड में कभी देखा ? माननीय गृहमंत्री जी, इसको भी देखिए, सिर्फ कानून-व्यवस्था और पुलिस का बयान, पुलिस और थाने से प्रदेश नहीं चलना है, उनकी भी संवेदना है, वे भी छत्तीसगढ़ के हैं, वे भी तो देश के लिए मर रहे हैं । वे भी तो छत्तीसगढ़ के लिए मरे हैं, वे भी तो हमारी और आपकी हिफाजत करने के लिए मरते हैं। अगर वे मरते हैं तो उनके भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस की भर्ती का विज्ञापन भाजपा सरकार में हुआ । शायद 12 सौ, 15 सौ लड़कों की भर्ती हुई । 6 महीने में आपने आदेश क्यों नहीं दिया, क्यों आदेश नहीं दिया ? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्यवाही करिए । भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो सरकारे तो जनतंत्र में बनती हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं । उनको जनादेश मिला था, उनकी सरकार बनी, उन्होंने निर्णय लिया, पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती के बाद आपको जनादेश मिला, आप सरकार में बैठे, आप के पास 68 विधायकों का बहुमत है । उन बच्चों का क्या दोष है, जो छत्तीसगढ़ के लोग दौड़ते-दौड़ते कई लोग अपनी जान गवां दिए हैं, जिनके पैरों में छाले पड़े हैं, जिनके बाप ने सपना देखा है । उनको आपने रोक दिया, क्यों रोका भई, आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं ? इस सदन में बोलिए कि उनकी भर्ती करेंगे । आप उनकी भर्ती नहीं करेंगे तो ये भी बोलिए कि नहीं करेंगे, पर कारण बताकर करिए।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, एक समाचार-पत्र के हवाले से माननीय शिवरतन शर्मा जी ने सदन में जो जानकारी दी, उन्होंने एस.आई. ललित कश्यप के बारे में कहा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, पर वे जीवित हैं । उन्होंने दूसरी जानकारी शिक्षक मेश्राम के बारे में दी,

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वास्तव में वे शिक्षक मेश्राम नहीं थे, वे जय सिंह कुरेटी थे और वे भी जीवित हैं । अब सार्वजनिक तौर पर इनसे आप माफी मंगवाईए, उनको माफी मांग लेना चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, जिस समाचार-पत्र में छपा, मैंने उसका उल्लेख किया, उसकी कटिंग आपके सामने दिखायी । अगर ये घटना गलत है तो उस समाचार-पत्र पर आप कार्यवाही करिए । आपकी सरकार है, अगर ऐसे असत्य समाचार छप रहे हैं तो कार्यवाही करने का अधिकार आपके पास है और मैंने जो भी कहा, मैंने समाचार-पत्र का नाम बताया, समाचार-पत्र की कटिंग सबके सामने रखी ।

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, लेकिन समाचार-पत्रों को आधार बनाकर कोई बात नहीं कहनी चाहिए, ये भी रूल्स में है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, जिस विषय पर स्थगन आया, भीमा मण्डावी जी की हत्या के संबंध में मैं अपना विषय रख रहा था ।

सभापति महोदय :- उस समय मैंने आपत्ति की थी, नाम बताईये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जो रिलीवेंट विषय था । जो समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा, उसका मैंने उल्लेख किया और जो मैंने उल्लेख किया है, पेपरों में मैंने नाम बताया है, किस पेपर में छपा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति जी, ठीक है । लेकिन किसी भी जीवित आदमी को मृत बताकर सदन में चर्चा करना गंभीर बात है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने समाचार पत्र का नाम लिया है । आप बोलो तो मैं पटल पर भी रख देता हूँ ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जीवित व्यक्ति को सदन में यह कह देना कि मृत है । अच्छी बात नहीं है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, जिस समय उल्लेख किया, उस समय ही समाचार पत्र का उल्लेख किया है । उसके हवाला इन्होंने कहा है कि यह छपा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ।

श्री शिवरतन शर्मा:- आप बोले तो मैं आपको कटिंग दे देता हूँ ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपकी सरकार है, आप उस पर कार्यवाही करो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेताजी अपने सदस्यों को कहिये... ।

श्री मोहन मरकाम :- गंभीरता है तो प्रकाशित तो करना चाहिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- गंभीरता है, आप ...। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, सदन में बैठकर केवल आरोप लगाने का ही काम नहीं है। यह समझने की आवश्यकता है ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, उस विषय पर जानकारी दे दी । कवासी लखमा जी ने जो बयान दिया है, आप उस पर कुछ बोलेंगे क्या । क्या इसमें बोलेंगे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं । आपको इन सब मामलों का तस्दीक कर लेना था । सत्यता का पता लगा लेना था, उसके बाद

उल्लेख करना चाहिये । आप कम से कम सत्यता का पता तो लगा लेते । सत्यता का पता लगाना आपकी जिम्मेदारी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गृह मंत्री जी सदन में है..। यह घटना तो गृह मंत्री जी की ओर से आना चाहिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX][7]

श्री देवेन्द्र यादव :- गुमराह किया जा रहा है, झूठेआरोप लगाये जा रहे हैं।

सभापति महोदय :- नियमों में जो है, रूल्स में जो हैं, मैंने उसका उल्लेख किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय बैठे थे । उन्होंने एलाऊ किया था । इसलिए मुझे लगता है कि वह समय निकल गया है । इसलिए उसका उल्लेख करना ...।

सभापति महोदय :-जब माननीय मोहम्मद अकबर साहब ने बात की, तब यह मामला सामने आया ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, मैं शर्मा जी के जवाब को कई बार सुना हूँ....। (व्यवधान) ... आज उसी जीवित व्यक्ति को मृत बता रहे हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- बहुत गोपनीय विषय है, बहुत दु:खद विषय है । (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- आज मीडिया निष्पक्ष नहीं है, पक्षपात करते हैं, इसलिए मीडिया की बात को न सुना जाये । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य को बोलने दीजिए । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- सदन को गुमराह कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग बोलने तो दो । दो मिनट बोलने दो दादा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- इन बातों को जिस तरह से रखा जा रहा है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिये । जीवित व्यक्ति को मृत बताकर सदन में चर्चा में ला रहे हैं । उस पर कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- जिन जीवितों को मृत बता दिया गया था, उसको विलोपित कीजिए । ऐसा करके डिमारालाईज आप नहीं करा पाओगे ।

सभापति महोदय :- राय साहब, बैठिये ।

---

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- उसके पहले भी माननीय शर्मा जी ने कहा कि राजबब्बर जी ने कहा है कि अपने आपको क्रांतिकारी, उन्होंने यह नहीं कहा था । उन्होंने यह कहा था कि नक्सली अपने आपको क्रांतिकारी समझते हैं । इस बात को भी गलत तरीके से यहां पर उल्लेख किया । सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है ।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, समाचार पत्रों का हवाला देकर जो बात कही जाती है, वह कभी भी साक्ष्य के रूप में, चाहे यहां हो या हाई कोर्ट हो उसे नहीं माना जाता । आपने समाचार पत्र का हवाला दिया, दो जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया । यह सब मामला भी विलोपित होना चाहिये । यह यह तो विवाद में बरसों रहेगा । आप इसको विलोपित कराईये ।

सभापति महोदय :- ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी कार्यवाही देखकर विलोपित कर देंगे ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- दोनों लोगों का लाईन जो है, विलोपित होना चाहिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर गलत जानकारी है, गलत जानकारी पर कार्यवाही कराईये, विलोपित करने का अधिकार नहीं है । उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है...(व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- जीवित व्यक्ति को मृत बताने के लिए माफी मांगनी चाहिये ।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी, अपना वक्तव्य जारी रखिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो बोल रहा हूँ सर, मैं तो खड़ा ही हूँ । इसमें अगर आपको विलोपित करवाना हो तो करवा दीजिएगा । मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आखिर नक्सल समस्या के बारे में वहां पर लोगों को कैसे उद्वेलित किया जाता है । पूरा लोहा बैलाडीला और बस्तर से मिलता है, लेकिन माननीय मंत्री जी, उसका ऑफिस कहां है?

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन्होंने और भी गुमराह करने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नक्सलियों से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं कहा था कि नक्सलियों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो पीड़ित पक्ष है उससे चर्चा करेंगे। उस विषय पर भी यह गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये आपत्तिजनक है, ये बार-बार टोक रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य बोल रहे हैं कृपया बीच-बीच में न टोकें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय यादव जी, मंत्री जी जवाब दे देंगे, आप उनको समझा दीजिए कि क्या बोलना है। अध्यक्ष जी, आखिर लोग उद्वेलित क्यों होते हैं? बस्तर से पूरा लौह अयस्क निकलता है लेकिन उसका आफिस कहां है? हैदराबाद में है। आपने अपनी सरकार की तरफ से पहल क्यों नहीं की कि

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

वह हैदराबाद का ऑफिस जगदलपुर में आये, वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिले, वहां पर जो उद्योग लगा है उसे बेचने की जो कार्यवाही चल रही है या संभावनाएं या शंकाएं होती हैं उस पर रोक लगे? आप कभी शिष्ट मंडल लेकर गये। आप अगर दिल्ली की सरकार से इतना परहेज करके चलेंगे तो वह तो नल की टोंटी बंद करेंगे और आप लोग यहां एक-एक बूंद के लिए तरस जाओगे। इसलिए थोड़ा व्यवहार ठीक रखिए, वहां जाकर मिलिए, बात करिये और वहां से फंड आदि लाईये। प्रदेश की जनता को इससे मतलब नहीं है कि आप वहां गये, क्या बात किए और क्यों गये? यह पूछने वाला कोई नहीं है। आप वहां जाईये, गृहमंत्री जी से मिलिए, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कितना रूपया आया, आपने कितना खर्च किया? हमारे जवानों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट है या नहीं है? उनके लिए जूते हैं या नहीं? रात को बंदूक चलाने वाली जो मशीनगनें हैं जो कि रात में चलती हैं, उनको पुलिस की भाषा में अंग्रेजी में जो भी बोलते होंगे ये आपके पास कितना उपलब्ध है? जवान को तो बोल दिये कि पोलमपल्ली जाओ, एर्राबोर जाओ। सभापति महोदय, अडाणी जी आये, चुनाव तक अडाणी जी दुश्मन थे, अडाणी जी को सरकार से अनुमति मिल गई कि जाओ नंदी पर्वत गायब कर दो। अब वहां के आदिवासी गुस्से में नहीं आयेंगे तो क्या होगा? आपको कहां से समर्थन मिलेगा? अडाणी तो पूरे देश को खाने के चक्कर में है उसमें आप भी उसके साथ में आ गये? आप लोग नंदी पर्वत दे देंगे? अडाणी खोद लेगा क्या? वहां के आदिवासी तीर-धनुष लेकर खड़े हैं, नक्सली आ जायेंगे और इसलिए नक्सली घटना बढ़ती है। सभापति महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि हमारे जवानों को जब गोली लगती है तो उनको लेने के लिए हेलीकॉप्टर जाता है और इसके लिए एक हेलीकॉप्टर यहां खड़ा रहता है। जवान को ले आकरके सीधे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भर्ती करता है। आप वहां अस्पताल क्यों नहीं खोल सकते? वहां के डॉक्टरों को आप 10-10 लाख रूपये का पैकेज क्यों नहीं दे सकते? आपका 1 लाख करोड़ रूपये का बजट है, छत्तीसगढ़ संपन्न प्रदेश है और मान लो हम किसी कारण से किसी चीज में संपन्न न भी हों तो भी हमारा इतना बड़ा भूभाग संकट से जूझ रहा है हमारे जवानों, हमारे किसानों और वहां के रहने वालों की जान की हिफाजत के लिए एक लखनऊ सरीखे ऑटोनॉमस बॉडी वाला पी.जी. हॉस्पिटल वहां क्यों नहीं खोल सकते? हेलीकॉप्टर में बुलवायेंगे। जवान तो आ जायेगा, वहां का गांव वाला कैसे आयेगा? वहां टंगिया में काटे जाते हैं, बाजार में कोई सब्जी लेता है तो उसे पीछे से हंसिया से काट देते हैं, आदि-आदि घटनाएं वहां विभत्स तरीके से हो रही हैं। आपको उनके बीच विश्वास जगाना होगा। कोई घटना घटी है तो उसमें आरोप-प्रत्यारोप से न तो भीमा मंडावी जी की जिन्दगी जा सकती है और न महेन्द्र कर्मा जी की जिन्दगी आ सकती है। हम इतना ही बोल सकते हैं कि उनके हत्यारों को आप सजा दो। चाहे वह हत्यारा कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे वह कितना भी प्रभावी हो उसको मौत की सजा देने का आप इंतजाम करिये और आने वाला कल आपसे पूछेगा यदि आप इंतजाम नहीं कर सके, इस सजा को मुकर्रर

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं करा सके तो गृहमंत्री जी उसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं होगा, आप और आपकी सरकार दोषी होगी। मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि आप विश्वास पैदा करने के लिए जाईये न। गृहमंत्री जी, आप या आपके सारे मंत्री पारी-पारी से एर्राबोर में थोड़ा दो दिन रहिए न। जैसे यहां कांग्रेस भवन में बैठते हैं वैसे एकाध बार बस्तर में भी दो-दो दिन के लिए बैठिए। आप बस्तर में विधानसभा का सत्र लगवाईये ना। सुविधा कम होगी पर विधानसभा का सत्र लगाकर एक मैसेज दीजिए कि प्रदेश की पूरी जनता बस्तर के गरीब आदिवासियों के साथ है और इस प्रदेश में बुलेट से कोई फैसला नहीं होगा, इस प्रदेश की तकदीर का फैसला बैलेट से हुआ है, बैलेट से होगा और बैलेट ही जीता है, बैलेट ही जीतेगा। भीमा मंडावी की मौत से हम व्यथित हैं। एक 40 साल का बेगुनाह, नौजवान जो यहां पर बैठता था, पढ़ा लिखा था, उत्साही था, आदिवासियों की बात करता था, उनके हितों की बात करता था, आपसे बात करता था, आपके और हमारे बीच का था। वह मर जाये तो हम दुखी भी नहीं हो सकते। मतलब अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो राजनीतिक दृष्टि से बोल रहे हैं। राजनीति को आड़े मत आने दीजिए। मंत्री जी, अगर झीरम घाटी में हमारे नेता मरे हैं। आपने झीरम घाटी का क्या किया ? किसी एक नेता के आदम कद मूर्ति लगवाया 6 महीने में, आपकी सरकार तो बन गयी है। आप लोग लगवाये हैं क्या बताईये ? कहां लगा ?

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, जगदलपुर में शहीद महेन्द्र कर्मा जी का लग गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हां विद्याचरण शुक्ल जी का भी लगा लो वे भी गोली खाये हैं। वह तो उनके परिवार के लोग लगाये हैं आप क्या बताओगे?

उनके परिवार के लोग रायपुर में लगाये हैं वह भी इतना छोटा सा पुतला सरी के विद्या भैय्या हैं करके लग भी नहीं रहा है, बड़ा लगवाईये। जो झीरम घाटी में मारे गये हैं उनके परिवार को पेंशन दीजिए, जो घायल हैं उनको पेंशन दो न, निशाबंदियों का आप पेंशन बंद किये। आपको कौन मना किया। आप पेंशन दो न कौन मना कर रहा है। झीरम घाटी में जो मरे हैं और जो शहीद हुए हैं, जो घायल हुए हैं तो आपको यह सब करना नहीं है। सिर्फ आप बताते रहो कि आपके राज में यह हुआ। हुआ यह तो दुनिया जानती है कि किनके राज में हुआ। यह तो आपके राज में हुआ, पर किसी के राज में भी ऐसा न हो इसका इंतजाम करिये। गृहमंत्री जी, आप हाई पावर कमेटी की बैठक लीजिए। उसमें समीक्षा करते रहिए। उनको सुविधा देते रहिए और अगर कोई पार्टी का नेता नहीं मानता है, जैसे आप अभी आरोप लगा रहे थे वह भीमा मंडावी नहीं माने, आप एक नियम बनाओ न....।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत जी, समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, जिस पार्टी के नेता को पुलिस के द्वारा यह कहा जाये कि आप इधर नहीं जाना है। अगर वह नहीं मानता है, आप उस पार्टी के बड़े नेता को पुलिस के द्वारा खबर

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

करिये कि आपके नेता को वार्निंग दिया गया कि नहीं माना है। हमारी भी जिम्मेदारी है। हम भी अनुशासन में रहना चाहेंगे। आखिरी में पुलिस चाहे तो जबर्दस्ती भी रोक सकती है। सभापति महोदय, एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। तालमेटला में आग लगी थी, हम लोग नंदकुमार पटेल के नेतृत्व में बस्तर गये थे। रात को 12 बजे डॉ. रमन सिंह साहब का फोन आया कि आप वहां बिल्कुल जाइये। लेकिन पोलमपल्ली के आगे न तो वहां पुलिस इस स्थिति में है कि आपकी सुरक्षा कर सके और न पुलिस खुद इस स्थिति में है कि वह अपनी सुरक्षा कर सके। पोलमपल्ली, एर्राबोर तक हम लोग गये। वहां पुलिस ने फोर्स पुल को अरेस्ट किया। सुकमा मे लाकर हमको थाने में रख लिया। आप भीमा मंडावी को क्यों अरेस्ट नहीं कर लिये ? भीमा मंडावी अगर पुलिस की मर्जी के खिलाफ जा रहा था, उसको अरेस्ट कर लेते, कोई थाने में बैठा लेते उनका भी काम हो जाता और उनकी जान भी नहीं जाती। आप थोड़ा हौसली करने की भी ताकत रखिये, मापदा रखिये। हर चीज को राजनीतिक चश्में से और नजरिये से देखेंगे तो यह मौत हुई है। आगे भी यह मौत होगी। इसी तरह से स्थगन पेश होगा। इसी तरह से आप बयान देंगे। इसी तरह से हमारे बृहस्पत सिंह और मोहन मरकाम जी खड़े होकर सरकार का कसीदा पढ़ेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय केशव प्रसाद चंद्रा जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, इसका हल नहीं होगा। इसलिए संपूर्ण मामलों को देख करके विस्तृत रूप से, बड़े दिल से सोचिये। गृहमंत्री जी आप हमारे जवान, हमारे नागरिकों और नेताओं की सुरक्षा का इंतजाम करिये। इस स्थगन का उद्देश्य यही है और हम आशा करते हैं कि आप अपने जवाब में इन तथ्यों को देंगे और बस्तर में सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जो मेडिकल कॉलेज है वहां कोई डॉक्टर, वाक्टर नहीं है तो ऐसा नहीं, आपको जब कुछ करना है तो ठोस करिये ताकि वहां पर लोगों को लगे कि यह सरकार हमारे लिये कर रही है। गृह मंत्री जी, कौन क्या बोला, नहीं बोला जवाब दे देंगे। हम उसका उचित समझेंगे तो जवाब दे देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, सर आपको जानकारी दे दूं। जगरगुंडा में 15 साल से स्कूलें बंद थी। हमारी सरकार आते साट जगरगुंडा में स्कूल भी खुल गई, चालू भी हो गयी। भोपालपट्नम और पल्ली सब हमारे.....।

सभापति महोदय :- मोहन मरकाम जी बस। चंद्रा जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, खोल दिये तो अच्छा किये। कौन मना कर रहा है मत खोलो करके।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीरता को समझते हुए आपने स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके चर्चा पर लाये हैं। लेकिन पूरे चर्चा पर

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

आरोप-प्रत्यारोप के अलावा इस बात का चिंतन किसी ने नहीं किया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कैसे समाप्त होगा। उन समस्याओं को आपने भी झेला है, उनकी पीड़ा को आपने भी झेला है। हमारे साथी जो हमारे साथ बैठ करके यहां पिछले सत्र तक हमारे साथ में रहे। उनके शिकार हो गये। इस प्रदेश के नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता उनके शिकार हो गये और हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे कि राजनैतिक लाभ लेने के लिए, राजनैतिकरण कर रहे हैं। जहां तक मेरी सोच है उचित नहीं है। गंभीर चिंतन की आवश्यकता है और इस बात पर चिन्तन होना चाहिए कि शासन और प्रशासन के पास इतना बड़ा पूरा सिस्टम है उसके बाद माओवादी के पास सरकार से भी ज्यादा सिस्टम क्यों है ? पहले उनके पास सूचना क्यों पहुंच जाती है? हम क्यों और किसलिये चूक रहे हैं? और आज ये विषय, हमारे साथी विधायक नहीं रहे तो आज स्थगन के रूप में आया है तो जरा उन लोगों के ऊपर चिन्तन करें, वह सामान्य व्यक्ति, नागरिक, बस्तर में रहने वाला छोटा जनप्रतिनिधि जो इनके शिकार हो जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जान चली गई और उनके आंकड़े भी सरकार के पास नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अगर आज विधायक या राष्ट्रीय नेता की जान सुरक्षित नहीं है तो बस्तर में रहने वाले सामान्य नागरिक हैं वे अपने आपको कैसे सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे ? पुलिस की व्यवस्था की बात है। हमने तो सुना है कि बस्तर में जो थाना है वहां पुलिस वाले केवल ड्यूटी निभाते हैं। वे इसलिए ड्यूटी निभाते हैं क्योंकि वे खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और अगर पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है तो वह सामान्य आदमियों को कैसे सुरक्षा देगा? वे केवल थाने में बैठकर अपनी ड्यूटी को निभाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए दु:खद घटना है। चाहे वह झीरम घाटी की घटना हो या अभी भीमा मण्डावी जी की श्याम गिरी की घटना हो या इनके अलावा हमारे सिपाहियों, आम नागरिकों की घटना हो। ये पूरे सरकार के लिए चिन्तन का विषय है। केवल ये आरोप लगा देंगे कि आप 15 सालों तक सत्ता में रहे, आपने क्या किया ? तो 15 सालों के पहले आप भी तो सत्ता में थे? और इसी बात का हम चिन्तन करते रहे कि आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया? तो ये नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा। अगर इसको समाप्त करना होगा तो दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ ही हम समाप्त कर सकते हैं। एक ठोस रणनीति बनाकर, हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन सरकार ये बोले कि हम उसके सामने लाचार है तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे पास सिस्टम, पुलिस, सेना और तमाम् व्यवस्थाएं हैं और चन्द लोग जो हमको परेशान कर रहे हैं, कानून के खिलाफ जान ले रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं। इस प्रदेश के विकास को रोक रहे हैं, सड़क, स्कूल, अस्पताल नहीं बनने दे रहे हैं ऐसे लोगों को हमको समाप्त करना होगा, उसके लिए चाहे आप बातचीत का रास्ता निकाले या आप इच्छाशक्ति के साथ बुलेट का रास्ता निकाले।

असंशोधित/अप्रमाणित के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल आरोप मत लगाईये, आपको मौका मिला है और बस्तर ने तो आपको भरपूर समर्थन दिया है, आप कोई ठोस नीति बनाईये कि नक्सलवाद समाप्त हो। हो सकता है कि इनकी आड़ में कितने न कितने लोग फायदा उठा रहे होंगे? और ये भी हो सकता है कि ऐसे नक्सलवादियों को किसी न किसी रूप में राजनीतिक सरंक्षण भी मिल रहा होगा? अगर आप प्रदेश और उस बस्तर के बारे चिन्तन कर रहे हैं तो चाहे किसी के साथ भी बात करना हो, चाहे पक्ष या विपक्ष के हों या राज्य के बाहर ऐसा कोई सिस्टम हो, जिससे आपको बात करने में फायदा मिल रहा हो तो मेरा तो निवेदन है कि आप चर्चा कीजिए। अगर आपको केन्द्र सरकार से भी सहयोग लेने की आवश्यकता है तो लीजिए, सेना भी उतारनी पड़े तो आप उतारिये, ताकि कल हमको यहां झीरम घाटी जैसा कोई कांड सुनने को न मिले, उस पर चर्चा करने का अवसर न लगे। भाई भीमा मण्डावी के दु:खद निधन पर हमको यहां चर्चा करने का अवसर न लगे। माननीय सभापति महोदय, आज हम जन-प्रतिनिधि लोग इनके शिकार हो रहे हैं, हम तो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सामान्य आदमी उनके शिकार हो रहे होंगे, उनकी चर्चा कौन कर रहा होगा? उनके परिवार के बारे में कौन चिंतन कर रहा होगा? वह गांव के लोग, बस्तर के लोग जो इनकी दहशत में जीवनयापन कर रहे हैं, उनके बारे में कौन चिंतन कर रहा है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से और इस स्थगन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई न कोई ठोस कदम उठायें। इतनी बड़ी चूक कि पुलिस का कहना नहीं माना गया, इसलिए भीमा मण्डावी उनके शिकार हुए। आखिर वह बारूद कहां से आया? आपकी सरकार उसमें फेल क्यों रही? केवल आप आरोप लगायेंगे कि झीरम घाटी में ये घटना हुई, आपने सुरक्षा नहीं दिया, तो क्या आप उसका बदला ले रहे हैं? आरोप पर मत जाईये, आपको मौका दिया है। पहल कीजिए, कार्यवाही कीजिए। माननीय सभापति महोदय, यह तो सरकार का जवाब केवल औपचारिकता है। ये जवाब तक समाप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका कोई परिणाम आना चाहिए। नक्सली लोगों को भी पता चले न कि आज छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च सदन विधानसभा में नकसलवाद के विरोध में चर्चा हुई। उनके पास कहीं ये संदेश जायेगा कि एक दूसरे के ऊपर केवल ऊंगली उठा रहे थे तो उनका तो फिर वाह-वाह है। हम सबको मिल करके एक संदेश देना है, ऐसे कानून के खिलाफ बगावत करने वाले लोगों के ऊपर, यहां के विकास को रोकने वालों के ऊपर एक संदेश जाना चाहिए कि दल और पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ करके छततीसगढ़ के हित में सोच करके एक संदेश जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बार पुन: सरकार से यही निवेदन करते हुए कि आप पहल करें। जैसे आप अन्य अपनी नीति को या जो घोषणा किये हैं उसको लागू करने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं, इस नक्सलवाद की लड़ाई में भी आप तत्परता दिखायें। केवल बस्तर हीं नहीं, अब तो बस्तर से भी आगे आ करके राजनांदगांव और शहरी क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पड़ रहा है, इनका प्रभाव

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

समाप्त हो, नक्सलवाद समाप्त हो और सबको सामान्य ढंग से जीने का अधिकार मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, आज हम नक्सलवाद जनित घटनाओं पर चर्चा के लिए खड़े हैं जिस पर महत्वपूर्ण बात यह रही कि हमने इस 6 महीने में अपने एक विधायक साथी को खोया। जब आरोप-प्रत्यारोप होते हैं कि 15 साल में, 6 महीने में क्या किया, आपने भी अपने भाषण में उस बात को कहा। दीर्घा में पूरे नक्सल के विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, गृहमंत्री जी बैठे हैं। यदि नक्सलवाद के इतिहास को आप खोल लें तो छत्तीसगढ़ में 1980 के दशक में नक्सलवाद ने बस्तर में प्रवेश किया। जब बंगाल में नक्सलवाद था या उसको जिस तरीके से कुचला गया, जिन प्रान्तों में, जिस जगह में मिलिट्री लगी, और भी फोर्सेस ने वहां एक्शन लिया, उस दौरान भी जहां पर ये आंदोलन शुरू हुआ, जब सरकारें थीं, यह कौन सी सरकारें थीं, जिनकी विफलता के कारण ये आंदोलन उनके बीच में पहुंचा? माननीय गृहमंत्री जी एक शब्द निकलेगा कि 1980 के दशक में या 1967 के पहले जब नक्सलवाद शुरू हुआ उस समय पश्चिम बंगाल में या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और सरकार थी तो वह नक्सलवाद जो बस्तर में प्रवेश किया और छत्तीसगढ़ में पहुंचा तो वह एक शोषण का इतिहास है और आपके प्रशासन तंत्र के फेल्योर में इसका इतिहास है और उसके विरूद्ध उन्होंने कहा, जब नक्सलियों ने पहली बात यह कही कि आप जमीन के अधिकार का संघर्ष मत कीजिये, आप संघर्ष कीजिये राजनीतिक सत्ता को बदलने की लड़ाई लड़िये, उसके लिये सोचिए, उसके लिये तैयार होईए और उनको उसी मुद्दे पर उत्तेजित किया जाता था जो आपके शोषण का इतिहास था कि नमक के बदले चिरौंजी हो या एक पटवारी का इतिहास हो या जमीन को या जंगल के उनके प्राकृतिक संसाधनों पर जो उनका प्राकृतिक अधिकार था और जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता था वह वन विभाग को जाता था । आप उसके दस्तावेज पढ़िए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य विचारधाराओं की सरकार की ओर आरोप लगाने की कोशिश कीजिये, यदि इतिहास पढ़ेंगे तो उस काल दौर में हर समकालीन दौर में आजादी के बाद कांग्रेस की सत्ता वहां पर मौजूद थी ।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी का बयान अभी यहां पर सुन रहा था । एक छोटी सी बात सुनी, उन्होंने खड़े होकर बड़े गर्व से बताया कि 15 सालों से जगरगुंडा का स्कूल बंद था उसको हमने चालू कर दिया । आप 80 से 95 तक, 98 तक ले लीजिये कि कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम क्या थे ? नक्सलवाद के लिये क्या एक्शन थे, क्या तौर-तरीके अपनाये ? कौन सी बातें उन्होंने कही, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि जब आप बोलेंगे तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर बोलेंगे और बस्तर केवल बस्तर नहीं बल्कि मैं राजनांदगांव से लेकर सरगुजा के बारे में बात कर सकता हूं कि

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

यदि आज प्राधिकरण बने तो प्राधिकरण की एक चर्चा से बस्तर के मेडिकल कॉलेज का जन्म होता है । एक चर्चा से वहां की यूनिवर्सिटी का जन्म होता है ।

सभापति महोदय :- माननीय चंद्राकर जी, जरा स्थगन पर चर्चा करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं स्थगन पर ही चर्चा कर रहा हूं ।

सभापति महोदय :- स्थगन के दायरे में चर्चा करें । आप स्थगन को देख लें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इनके बोलते-बोलते बहकने की पुरानी आदत है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे नक्सल के कारणों पर बोल रहे हैं ।

सभापति महोदय :- स्थगन के विषयवस्तु के दायरे में रहिए न ।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह पश्चिम बंगाल और कलकत्ता की कहां से बात आ गयी, ये छत्तीसगढ़ की चर्चा करें न ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जो आरोप 15 साल के लगाये गये और उस दल के मुखिया के द्वारा यदि वक्तव्य में आते हैं तो उनको मैं शामिल करूंगा ही और दूसरी बात जब मेरे दल के या किसी भी सरकारों के बारे में, उनके नीति कार्यक्रमों पर बात होगी तो वह श्री भीमा मण्डावी पर ही केंद्रित नहीं होगा, श्री भीमा मण्डावी जी की तरह की घटनायें क्यों होती हैं, उस पर बिल्कुल चर्चा होगी । माननीय सभापति महोदय, जो बना है उससे एक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जन्म हो जाता है, आज वह फण्ड किसमें जन्म ले रहे हैं, आज मेरे प्रश्न के उत्तर में है कि अब उस पैसे से नरवा, घुरवा, बाड़ी जन्म लेता है । बस्तर में उसके अभिसरण के लिये पैसे लगाये जाते हैं, डीएमएफ का पैसा उस बस्तर में कभी उल्लेख नहीं किया । जब डीएमएफ का दुरूपयोग होता है बोला जाता है तो सुकमा का अस्पताल या बीजापुर का अस्पताल या दंतेवाड़ा का अस्पताल आप जाकर देखिये तो अब निकलता है डीएमएफ से आज ही उत्तर है अभिसरण के बारे में आपने मुझे बताया है नरवा, घुरवा, गरूआ, बाड़ी । यह आपके बस्तर के विकास का दृष्टिकोण आज छलकता है, मैं और अन्य-अन्य उदाहरण दे दूंगा । माननीय सभापति महोदय, आपने जो कहा कि नीति और कार्यक्रमों में श्री शिवरतन जी ने जितने तथ्य उठाये, श्री बृजमोहन जी ने जितने तथ्य उठाये कि साहब कहां-कहां पर गेप था । तथ्यों के साथ वह बात कहनी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य है कि गृहमंत्री जी ने एक लाईन में या गृह विभाग ने एक लाईन में स्वीकार कर दिया या एक लाईन में उसको रिजेक्ट कर दिया, बयानों में एक लाईन में रिजेक्ट कर दिया कि वह गलती श्री भीमा मण्डावी जी की है, मना करने के बाद भी वे वहां पर गये । पूरे समाचार पत्रों में छपा है कि उस घटना के पहले दिन उसके पिता जी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके कहा कि आज तुम्हारा बेटा नहीं लौटेगा । यदि आप जांच करेंगे तो यह बात आयेगी कि नहीं आयेगी कि वह शख्स कौन था जिसने यह कहा कि आपका बेटा लौटेगा कि नहीं, अब जांच की बात जो

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हो रही थी कि आप जब झीरम की बात करते हैं, एनआईए जांच शीर्ष स्तर पर तय हुई उसके बाद जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग उसकी जांच कर रहा है । मुझे 3 महीने वहां पर गृहमंत्री के तौर पर जब काम करने के लिये बात की तो हमने सीबीआई जांच की भी घोषणा कर दी । उसके बाद आपने एसआइटी जांच की घोषणा की, एसआईटी जांच हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसकी प्रक्रिया है । आप इधर-उधर बयान देने के बजाय सदन में यह बात जरूर कहेंगे कि किन कारणों से झीरम की एसआईटी जांच नहीं हो रही है ? क्यों नहीं हो रही है, यह जरूर बताएंगे ? जब आप जांच के बारे में उद्वेलित होते हैं, भीमा मंडावी की हत्या की एनआईए जांच की घोषणा केन्द्र सरकार ने की तो आप उसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं ? आप किन कारणों से सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप क्यों पीछे भग रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने पुलिस के मनोबल के विषय में बात कही। मैं बताना चाहूंगा कि एक मंत्री की पसंद या नापसंद के चलते, सुकमा का एस.पी. हटा दिया जाता है । प्रशासनिक अराजकता यह है कि आज के समाचार पत्र में छपा है कि 32 बार आईएएस, आईपीएस की ट्रान्सफर लिस्ट जारी हुई है, 32 बार । आप किसको काम करने का मौका दे रहे हैं ? जो प्रशासन का राजनीतिकरण कर रहे हैं आप उनका मनोबल गिरा रहे हैं और आप कहते हैं कि आप परिणाम देंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, स्थगन प्रस्ताव में क्या ये ट्रान्सफर का मामला भी जुड़ा हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तीसरा, आप सामाजिक, आर्थिक या कानून व्यवस्था की बात कहें । तीसरा कारण उसमें वैचारिकता है । माननीय गृहमंत्री जी सुन लीजिए, चौथा कारण यह भी है कि आप नशे को संरक्षण दे रहे हैं । नशे के धंधे को भी संरक्षण दे रहे हैं । आप अखबार निकालकर पढ़ लीजिए कि इस दौरान सबसे ज्यादा अवैध शराब की जप्ती हुई तो वह सुकमा जिले में हुई, सबसे ज्यादा गांजे की जप्ती हुई तो सुकमा जिले में हुई, यदि रेत का सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन् कहीं हो रहा है तो सुकमा जिले में हो रहा है । इसके कारण कोई भी ईमानदार अधिकारी, कोई भी पुलिस का आदमी वहां रहना नहीं चाहता है । तीसरी बात - आपके वैचारिक लड़ाई की बात जो मैंने कही, जब बजट सत्र हुआ, उस समय धन्यवाद् प्रस्ताव में मैंने कहा था, मैंने भी एक समाचार पत्र का उद्धरण दिया था कि नंदिनी सुंदर के लेख में कहा गया है कि इस बार नक्सलियों ने भीतर तक प्रचार करने की अनुमति दी, उसका लाभ उठाना चाहिए । आपके नेताओं के द्वारा उन तत्वों को क्रांतिकारी कहना, आपकी कोई नीति का न होना । यह कोई नीति नहीं है कि मंत्री जी मिलने गए हैं तो चार लोगों से मिलें । आपने इन 6 महीनों में नक्सलियों के विरूद्ध एक भी दृढ़ता प्रदर्शित नहीं की, नक्सलियों को कुचलने के लिए, उन राष्ट्र विरोधी तत्वों को कुचलने के लिए प्रदर्शित नहीं की । मान लो यदि आप भाजपा की पुनर्वास नीति से असहमत

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं तो आपने कोई नई पुनर्वास नीति लाई ? यदि आपने कोई नया बल, नई फोर्स, कोई नया तरीका ऑपरेशन के लाया ? आप मनोबल भत्ता दे रहे हैं । हम ऑपरेशन के लिए तो पैसे देते रहे लेकिन यह मनोबल भत्ता मैंने पहली बार सुना । आपकी सरकार नीतिगत् तौर पर पूरी तरह से फैल्युवर रही । झीरम को आप राजनीतिक चश्मे से इस्तेमाल करते रहे या नहीं करते रहे, यह बोलने का विषय नहीं है । आपने जो मांग की उस मांग को पूरा करने की कोशिश झीरम के द्वारा हुई, लेकिन आप पहले दिन से ही भीमा मंडावी, उसके परिवार और उस घटना की जांच को एक लाईन में समाप्त करना चाहते हैं, यह बहुत आपत्तिजनक है कि उन्हें थानेदार ने कहा और आपने उस बात को मान लिया जो पुलिस ने लिखकर दिया । उसके कोई तथ्य नहीं, उसके कोई कारण नहीं, उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं । सिर्फ एक लाईन और उस एक लाईन से भीमा मंडावी या नक्सल आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है, जो दृढ़ता दिखनी चाहिए, जो कमिटमेंट दिखना चाहिए, वह शासन के इन 6 महीनों में नहीं दिखा है । जिसको आपकी उपस्थिति में माननीय मोहम्मद अकबर जी ने एक मास्टर और एक थानेदार के बारे में कहकर बताया । आप मौजूद थे, चाहते तो आपके विभाग को खंडन करवाना था । लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि नक्सल में रिपोर्टिंग भी जोखिम का काम होता है, सत्य असत्य हो सकता है । लेकिन जब मृतक का नाम आ रहा है तो क्या आप जांच करेंगे, क्या उसको अपनी जांच के बिंदु में शामिल करेंगे । क्योंकि स्थगन में उस घटना का उल्लेख है तो आप कहेंगे कि जिन्होंने भी गलत कहा है मैं कार्रवाई करूंगा या हमेशा की तरह इसी बहस में फंसाएंगे कि इसका उल्लेख हो सकता है, इसका उल्लेख नहीं हो सकता है । तकनीकी चीजों में भीमा मंडावी का या झीरम का कोई मतलब नहीं है । मतलब है तो सिर्फ कमिटमेंट का, वह कमिटमेंट । शिवरतन जी ने जो मुद्दे उठाए, वैचारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर, आपके विभाग में कहूं या एक मंत्री के संरक्षण में कहूं, जिले में अराजकता है, उस क्षेत्र में अराजकता है और उस अराजकता से आप नहीं लड़ सकते जब तक आप बड़ा कदम नहीं उठायेंगे। आप जब उत्तर देंगे तो देखेंगे कि आप कौन सा बड़ा कदम उठाते हैं? नहीं, तो अगर जगरगुंडा में एक स्कूल खोले हैं, यही उपलब्धि है तो भगवान माफ करे, आपसे चर्चा का कोई मतलब नहीं है। सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। लोग शहीद होंगेग। जिसके हाथ की रेखा जितनी लंबी होगी, उतना जीवन होगा। आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि आज भी हम शाम को निकलते हैं तो असुरक्षित रहते हैं और लगता है कि वापस आयेंगे या नहीं आयेंगे। यदि सरकार असफल होती है तो हम मान लेते हैं कि सरकार से ऊपर भगवान है। व्यवस्था है। उसकी भी व्यवस्था है। हम अपने हाथ में लेकर सार्वजनिक जीवन जीयेंगे। इस शासन से और आप जैसे लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे और यदि अपेक्षा रखते हैं। अगर कानून का राज है, यह दिखता है तो भीमा मंडावी के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके एन.आई.ए. जांच के लिए क्या कर सकते हैं ? उसके परिवार के लिए क्या कर सकते हैं?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ताकि दोबारा घटना न घटे। जो इस सदन की अपेक्षा है। लोगों की अपेक्षा है। उसमें आपके कमिटमेंट क्या है, यह मैं जरूर देखना चाहूंगा। हम सब जानना और देखना-सुनना चाहेंगे। आपसे यही अपेक्षा है और इन्हीं के साथ माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- सभापति महोदय, आज स्थगन चर्चा पर हम लोग चर्चा के लिए खड़े हैं। हमारे राज्य में 27 जिले हैं, जिनमें से 13 जिले नक्सल पीडित हैं अथवा नक्सल से प्रभावित हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट-एक मिनट।

श्री बृहस्पत सिंह :- बोलिए-बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- नक्सल के उन्मूलन का यह भी एक उपाय है। जो 2 से 13 गिनते हो न। सुकमा नहीं बना था, बीजापुर नहीं बना था, कोंडागांव नहीं बना था, नारायणपुर नहीं बना था, बलरामपुर नहीं बना था, गरियाबंद भी नहीं बना था। यह एक उपाय था जो प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का।

श्री बृहस्पत सिंह :- चलिए, 15 साल बाद आपको याद आया अच्छी बात है। 15 साल बाद आपको होश आया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, 27 से 13 जिलों में हम लोग नक्सवाद के दंश को झेल रहे हैं। विधायक भीमा मंडावी हमारे बहुत ही अच्छे साथी थे जो पिछले सत्र तक हम लोग साथ में गले लगाकर बैठते थे, प्यार से बात करते थे। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी याद आता है। निश्चित ही उनकी हत्या बहुत ही दुखद घटना है और यह हम सभी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। निश्चित ही हम सभी को दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर विषय है। हम सभी विधायकों के साथ, सांसद के साथ, हमारे आम जनप्रतिनिधि के साथ, आम जनता की रक्षा करना और सुरक्षा करना हम सबकी जवाबदारी बनती है और यह हमको करना भी चाहिए। इसमें किसी प्रकार के मतभेद की बात नहीं है। यह जो नक्सली समस्या है, यह एकाएक 6 महीने के अंदर नहीं आ गया। यह 6 महीने के अंदर भूपेश बघेल की सरकार बनने के साथ पूरे 13 जिले में नक्सली नहीं आ गये। इतने नक्सलियों की हत्या एकाएक चालू नहीं हो गई। इसके पहले भी हमारी पूववर्ती सरकार ने हमें विरासत में दिया है। यह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। जो विपक्ष के साथी लोग भाषण दे रहे हैं, वे सिर्फ पेपरों में कटिंग दिखा रहे हैं। मैंने तो नक्सली का पहला हादसा झेला है। 1999 में मेरा अपहरण हुआ था। नक्सलियों ने मेरा अपहरण किया था। मैंने उस दिन को देखा है। हमारे कई कांग्रेस साथी जिनमें कि उमेश पटेल भाई हमारे साथ मंत्री हैं, जिनके पिता की हत्या हुई, जिनके भाई की हत्या हुई। जो लगातार घटना को देख रहे हैं और इधर बैठकर सरकार के सामने लगातार गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। हमारे पीछे बैठी हुई बहन मिसेस

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शर्मा हैं, जिनके पति की हत्या हुई है। यह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हमारे बहुत ही अच्छे केन्द्रीय मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल की नक्सली घटना में हत्या को देखा है। नंदकुमार पटेल जी की और हमारे दहाड़ते हुए नेता महेन्द्र कर्मा जी जो कि आदिवासियों के मुखिया हुआ करते थे तथा योगेन्द्र शर्मा जिनकी विधवा पत्नी हमारे बीच में एक विधायक के रूप में हमारे सदन में सुशोभित हो रही है और उसके साथ-साथ दिनेश पटेल जिसका कि राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था, उसकी तक हत्या हुई है। यह हमें 15 सालों में विरासत में मिला है। जिस दर्द को हम झेल रहे हैं, वह 6 महीने में नहीं हुआ है। साथियों, आप याद कीजिए। यह घटना होने के पहले जो घटना हुई थी, आपको बता दूं हमारे प्रदेश के सारे शीर्षस्थ नेता जा रहे थे। वे राजनीतिक कामों से गये थे। 100 से ऊपर गाड़ियों का काफिला था और वे गाड़ियां जब आगे बढ़ती गईं, ज्यों-ज्यों हमारे नेता बस्तर की ओर घुसते गये, सारी सुरक्षा हटाते चले गये और पता नहीं सरकार को क्या हो गया था? लगातार सुरक्षा क्यों हटाया गया ? यह सवाल हम लोगों ने 5 सालों में पूछा और लगातार पूछते रहे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसी सदन में कई बार लगातार सी.बी.आई. की घोषणाएं की गईं लेकिन कोई भी पहल नहीं हुई। सभापति महोदय, उस दिन की घटना बता रहा हूं। हमारे 32 लोगों की हत्या हुई, जिसमें कि जेड.प्लस सुरक्षा प्राप्त महेन्द्र कर्मा की भी हत्या हुई । काफिला आगे बढ़ता गया, उस काफिले में हमारे सरगुजा महाराज और मंत्री श्री टी0एस0 सिंहदेव साहब भी थे, वे उसके आगे-आगे निकल रहे थे। क्योंकि वे व्यवस्था का काम देख रहे थे। ईश्वर की कृपा से वे थोड़ा आगे निकल गए, नहीं आज वे हम लोगों के साथ, साथी नहीं होते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको दु:खद घटना बता रहा हूँ। जवाब ज्यों आगे बढ़ते गए, अचानक एक ब्लास्ट होता है, धुआं सा उड़ता है, गाड़िया उड़ती हैं, कुछ ही देर में दोनों तरफ से फायरिंग चालू होता है, दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग होता है। जो घायल अवस्था में थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन लोगों ने बताया है। उसमें आज भी वे लोग जिंदा हैं। उस काफिलें में सात सौ से एक हजार के बीच लोग थे। जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई, बाकी शेष लोग आज भी जिंदा हैं। सभापति महोदय, इतना भर नहीं होता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, बहुत से जवान दौड़ते हुए नजदीकी थाने पहुंचते हैं, वह रात की घटना है। पी0एस0ओ0 लोगों ने बताया कि थाने के गेट बंद कर दिए गए। कुछ ही दूर पर एक हजार फोर्स, बी0एस0एफ0 के जवान तैनात थे। वहां खबर तक नहीं दी गई, वहां सूचना तक नहीं दी गई। इतना ही नहीं हुआ, आपको याद करा दूं कि सिर्फ गोलियां नहीं चलाई गई, माओवादियों ने सिर्फ धुआंधार गोलियां चलाकर नहीं मारा, लेपटॉप में एक-एक लोगों की फोटो चेक किया कि यह फलाना व्यक्ति है या नहीं, ये नंदकुमार पटेल हैं या नहीं, ये महेन्द्र कर्मा हैं या नहीं, लैपटॉप में जिसकी फोटो की मेचिंग हुई, उन्हीं की हत्या हुई, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी घायल थे, उनका कहना है। सभापति महोदय, इतना भर नहीं हुआ, इतना भर नहीं होता है। उस रात न्यूज में इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि ऐसी

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

घटना हुई...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, सुन लीजिये, पहले बहुत बोले हैं, सुन लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- मोटर सायकल में कहां से चाबी लगी हुई मिली, कौन भागकर आया, किसको हास्पिटल में झापड़ मारा गया, यह सब बता दो।

श्री बृहस्पत सिंह :- सुनिये, सारी बात सुनने की हिम्मत जुटाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- लैपटॉप से चेहरा मिलाया गया तो लैपटाप में चेहरा मिलाकर मोटर सायकल में क्यों भाग निकले ? लैपटॉप में चेहरा देखने के बाद मोटर सायकल में चॉबी लगाकर दिया गया क्या ? झापड़ मारा गया तो क्या लैपटॉप मे देखने के बाद मारा गया क्या ?

श्री देवेन्द्र यादव :- जो सब मारे गये, उस आखिरी गाड़ी में मैं भी था।

श्री बृहस्पत सिंह :- सुनने की हिम्मत जुटाईये। सभापति महोदय, इसके बाद मैं उस दिन अम्बिकापुर के पास एक गांव में था, वहां से आ रहा था। घटना की बात सुनी तो हम लोग दौड़कर टी0व्ही0 में समाचार देखने के लिए आया। आठ-पौने आठ बजे की न्यूज में इनके तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान आता है कि नंदकुमार पटेल जी नहीं रहे। जबकि उसकी पुष्टि ही नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों, अधिकारियों ने उसकी पुष्टि सुबह की है। लेकिन रात आठ बजे इनके नेताओं को मालूम हो गया था कि नंद कुमार पटेल की हत्या हो गई है, वे अब नहीं रहे। यह बयान आया था। आज भी आन रिकार्ड है, आप उसकी पुष्टि करा सकते हैं। यह चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने सिर्फ वही नहीं किया, कई लोगों को हमने खोया है। हम उस छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जहां पूर्ववर्ती सरकार के जमाने में सात सौ गांव खाली हो गए और दो सौ से अधिक घर जला दिए गए। वहां के लोगो के शिविर में रहने के लिए मजबूर हो गए, हम उस राज्य के निवासी हैं। मैं यह अफसोस के साथ निवेदन कर रहा हूँ, जो हमें विरासत में मिला है। सभापति महोदय, यह सुरक्षा क्यों हटाई गई, ये बात तो ये ही बता सकते थे, लेकिन अब इनकी सरकार नहीं है। इसीलिए जनता ने यहां भेज भी दिया।

सभापति महोदय, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो बड़ी चिंताजनक है। हमारे जिन नेताओं की हत्या हुई, उसके बाद एक और घटना बता रहा हूँ। हम सब लोगों ने देखा और सुना सुकमा के डी0एम0 मिस्टर एलेक्स पॉल दौरे में जाते हैं। वहां पर उनके साथ जो सुरक्षा गार्ड थे, उनकी हत्या कर दी गई और माओवादी उनको मोटर-सायकल में बैठाकर ले गए। कुछ ही देर बार शाम को टी0व्ही0 चैनल में बयान आता है कि उन तक दवाई पहुंचा दिया जाये। उनको श्वॉस की बीमारी है। धैर्य से सुनियेगा, बहुत गंभीर बात है। छत्तीसगढ़ शासन के हेलीकाप्टर से वहां मनीष कुंजाम के माध्यम से उन तक दवाई

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पहुंचाई गई। कोई भी हेलीकाप्टर के उड़ान भरने के पहले आप पायलट को अक्षांश-देशान्तर की टोपोशीट देते हैं, तभी वह हेलीकाप्टर उड़ान भरता है, उसके पहले उड़ान नहीं भरता है। इसका मतलब पूर्ववर्ती सरकार को मालूम था कि डी0एम0 को कहां रखा गया है, तभी तो वहां दवाई पहुंची। इसके बाद इतना ही नहीं होता है। इसके कुछ ही दिन बाद हम लोग सुनते हैं कि दिल्ली से विशेष विमान से कुछनेताओं को बुलाया गया, हेलीकाप्टर से भेजा गया । हम लोगों ने इसके संबंध में पूर्ववर्ती सरकार से लगातार पूछते रहे कि छुड़ाने के लिए क्या शर्त हुई ? क्योंकि पहले भी एक केन्द्रीय मंत्री की बेटी का कंधार वाली घटना में अपहरण हुआ था तो हम लोगों ने देखा था कि उसके एवज में हमने किसको छोड़ा था, यह पूरा देश जानता है । उस समय हम लोगों ने तत्कालीन सरकार से लगातार पूछने की कोशिश की कि कौन से शर्त पर छोड़ा गया, लेकिन बताने के लिए तैयार नहीं हुए और हेलीकाप्टर से भेजा गया..।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बृहस्पत जी, आपके पास इतने तथ्य हैं तो पूरी जांच के लिए आप एस0आई0टी0 को दे दीजिए, जांच में सहायक होंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति जी, वहां जन अदालत लगा हुआ था, डा. साहब, वहां जन अदालत लगा हुआ था और इसके बाद इतना ही नहीं होता, वहां से उनको छुड़ाकर लाया गया और तत्कालीन डी.एम. ने कहा कि साहब, हमको यहीं रहने दिया जाये और सरकार ने उनको 6 महीने रहने दी, उनको हटाया नहीं गया और वे रहे । नक्सली घटना मेरे साथ भी हुई, जिस घटना से जिन्दगी में एक बार बचकर आता है, पलटकर कभी देखने का नाम नहीं लेता, मैंने अपने जीवन में बिताया है । इसके बाद आपको बता दूं, उस अधिकारी को वहां 6 महीने रखने के बाद उस को आई.टी. सेल में लाया गया, हम लोगों ने सरकार से लगातार जानने की कोशिश की, लेकिन सरकार से कोई जवाब नहीं आया था । उस अधिकारी को आई.टी. सेल में रखकर हमारे नेताओं की फोटो माओवादियों को भेजने की कोशिश की, लगातार ऐसे अधिकारियों को माओवादियों की मीटिंग में भाग लेने के लिए साथ दिया । मतलब हमारे नेताओं की हत्या कराने में अधिकारियों के सहयोग से आपने शामिल किया था, इसका मतलब ये था ।

सभापति महोदय, निश्चित ही नक्सली हमारे राज्य के लिए आतंक और भय का वातावरण है । हमने एक समाचार देखा था । हमारे देश के प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे कि आतंकवाद और नक्सलवाद से देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हम बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं और फैसला लिया गया कि नोटबंदी होने के बाद हमारे पूरे देश की नक्सली माओवादी घटना हो गई, लेकिन कुछ ही दिन बाद इसका असर नहीं दिखा।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, एक छोटा सा निवेदन करूंगा। सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि निश्चित ही हम सब के लिए बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति बनी हुई

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त पहल करके और राजनीतिक चश्मे से विपक्ष से हटकर हमको इस बात पर चर्चा करके निश्चित ही इसका निदान निकालना चाहिए, मेरा ऐसा आग्रह है ।

समय :
4:37 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो नक्सली क्षेत्र में हमारे जवान तैनात होते हैं, हम लगातार सोते हैं, वे रात-दिन जागते हैं, उनके परिवार-बच्चे बटालियन में रहते हैं और उनको हर तीन साल में बदलने का प्रावधान है । मेरे जिले के 12वीं बटालियन के जवान 6 कम्पनी, पांच साल से वहीं पर तैनात हैं, वहां लगातार हादसा हो गया, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं किया गया है । गृहमंत्री जी, जो तीन साल में बदलने का रूटीन है, उनको भी मैदानी क्षेत्र में भेजने का नियम है तो उनका भी ट्रांसफर किरए, ऐसा मेरा सुझाव है, आपसे आग्रह है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों से एक ही निवेदन करूंगा कि याद मत दिलाइए क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के समय में दंतेवाड़ा में जेल में सारे माओवादी, गिने-चुने नामी नक्सली वहां रखे गए थे और पूर्ववर्ती सरकार के समय में सारे जेल के गेट खुल जाते हैं, सारे पहरेदार सो जाते हैं, अपने आप ताला खुल जाता है, जैसे कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और सारे माओवादी भाग जाते हैं और वे बड़े-बड़े बात कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, कोरबा जेल, जो आपके क्षेत्र से लगा हुआ है, वहां पर बड़े खूंखार माओवादी जेल में थे और वहां भी कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी की तरह जेल के सारे पहरेदार सो जाते हैं, सारे गेट खुल जाते हैं और सारे कैदी भाग जाते हैं और ये सरकार सोती रही और बड़ी-बड़ी बात करते हैं । जब झीरम घाटी में हमारे नेताओं की हत्या हुई थी, तब हम लोगों ने टी.व्ही. चैनल में देखा तो तत्कालीन गृहमंत्री नेताम जी का बयान था कि बस्तर जाने के लिए किसने कहा था तो ये गैर जिम्मेदार बयान सरकार में बैठे लोग देते थे । आज बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं । आप मंथन करें, चिंतन करें और आरोप-प्रत्यारोप बंद करें, नक्सली समस्या है । हम सबको मिलकर इसका निदान करना चाहिए, ताकि हमारे राज्य में अमन-चैन हो सके । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी, आपके जिले में तो नक्सली समस्या नहीं हैं ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- मैदानी नक्सली । हम लोग बस्तर जाते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया और ग्राह्य करके चर्चा के लिए स्वीकार किया। हम लोग निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं । 9 अप्रैल को हमारे ठीक पीछे बैठने वाले विधायक साथी भीमा मण्डावी जी की नक्सलियों द्वारा क्रूरतम हत्या की जाती है । उसके दो दिन बाद प्रजातंत्र के महायज्ञ के लिए बस्तर

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

में मतदान होने वाला था । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल भीमा मण्डावी की हत्या नहीं है, नक्सलियों ने, माओवादियों ने, जो दो दिन बाद मतदान होने वाला था, भीमा मण्डावी की हत्या करके उन्होंने पूरे मतदाताओं को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वह मतदान न करे, वह मतदान केन्द्र पर न जाये, वह बैलेट का सहारा न ले, नहीं तो उनको छैः इन्च छोटा किया जायेगा । यह प्रजातंत्र के ऊपर हमला है, यह लोकतंत्र के ऊपर हमला है । यह सिर्फ भीमा मण्डावी के ऊपर हमला नहीं है, इसलिए हमारे सारे साथियों के स्वर में अपने स्वर को समाहित करता हूँ । हमारी सरकार को नक्सलवादियों पर, माओवाद के खिलाफ में कोई ठोस नीति बनानी चाहिये । सवाल हम पन्द्रह साल रहे या वह छैः सात महीने से है, नक्सलवाद के स्थगन की चर्चा, इनके बीच में न झूले । नक्सलवाद के इस स्थगन की चर्चा, कोई निर्णय पर पहुंचे, इसलिए स्थगन पर चर्चा हो रही है, इस पर हम सारा माथा पच्ची कर रहे हैं । आरोप प्रत्यारोप का यह समय नहीं है कि झीरम की घटना में क्या हुआ, इतने बड़े-बड़े नेता शहीद हुये, स्व. विनोद चौबे जी शहीद हुये, हमारे सैकड़ों जवान शहीद हुये, भीमा मण्डावी जी की शहादत हुई, यह तो जानकारी में है, लेकिन वहां गांव के लोग, वहां के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, छोटे-छोटे जनप्रतिनिधि जो शहीद होते हैं, जो माओवाद का शिकार होते हैं, उनकी खबर और उनकी सूचना राजधानी तक नहीं आती, सरकार तक नहीं आती । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस स्थगन के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि कोई ठोस और कारगर नीति बननी चाहिये । इस प्रदेश में पहले भी क्लोज डोर मीटिंग हुई, विधान सभा के अंदर में नक्सलवाद पर व्यापक दिन भर चर्चा हुई, सुबह 11 बजे से लेकर देर रात तक चर्चा हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है । सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के दौर में हम झूलते रहे । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवरतन जी ने जो बात कही है, कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे सांसद, शहीद होते हैं, उसके लिए कोई न कोई प्रावधान सरकार के तरफ से होना चाहिये । उसके बीमा की राशि बढ़ानी चाहिये । कोई मौजूदा विधायक शहीद होता है, जो सदन का सदस्य है, निश्चित रूप से उसको दो करोड़ की राशि सरकार को देनी चाहिये । उसका दो करोड़ रूपये का बीमा होना चाहिये । पूर्व विधायक शहीद होता है तो एक करोड़ रूपये का उसका बीमा होना चाहिये । सरकार को उस पर प्रीमियम पटाना चाहिये । उनके बच्चों की क्या व्यवस्था है ? हमारे सारे विधायक भीमा मण्डावी के निवास पर दंतेवाड़ा गये, छोटे-छोटे बच्चे हैं, पांच साल के, सात साल के, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, वह परिवार कैसे रह रहा है, जब उनके परिवार से हम बातचीत करने गये, हमारे सारे विधायक जब उनकी पत्नी से, उनके पिताजी से, उनके माताजी से, बातचीत की, चर्चा की और यह पूछा कि इस घटना को इतने दिन हो गये, कोई सरकार का उच्च अधिकारी आपके पास में आया था क्या ? इस जिले के कलेक्टर आये थे क्या ? इस जिले के पुलिस अधीक्षक आये थे क्या ? तो उन्होंने कहा कि हमारा हालचाल जानने के लिए कोई

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं आया । जिस दिन घटना हुई थी, जिस दिन उनका फयूनरल हुआ, उस दिन आये थे । उसके बाद में कई महीने बीत गये, कोई सरकार को जिम्मेदार अधिकारी नहीं गया । उस परिवार के सुरक्षा की क्या हालत है ? दंतेवाड़ा में जो उनका घर है, वहां पर क्या सुरक्षा की व्यवस्था है ? जो सुदूर उनका गांव है, वहां पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है ? किसी ने कोई खोज खबर नहीं ली । इसीलिए सरकार इस स्थगन के माध्यम से सिर्फ रस्म अदायगी मत करे कि सदन में इतने घण्टे चर्चा हुई । सरकार के माननीय गृह मंत्री जी का जवाब आये तो माओवाद पर सरकार की कोई ठोस नीति की झलक दिखनी चाहिये । उस पर कोई ठोस नीति की रणनीति बननी चाहिये कि आने वाले समय में नक्सलवाद की कोई घटना नहीं होगी, कोई जनप्रतिनिधि मारा नहीं जायेगा, कोई विधायक अपनी शहादत नहीं देगा। नक्सल क्षेत्र के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वह बैखौफ घूम सकते हैं इस तरह की कोई रणनीति बननी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पंजाब का आतंकवाद समाप्त हो सकता है, सरकार भिंडरावाले जैसे लोगों को वहां पर समाप्त कर सकती है, झारखंड, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नक्सलवाद कम हो गया तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद क्यों बढ़ रहा है? छत्तीसगढ़ में क्या कमी है? हम तो संपन्न राज्य हैं, हमारे पास सारे संसाधन हैं उसके बावजूद हमारे जवानों की शहादत होती है, हमारे विधायकों की शहादत होती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बड़े मन से काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप न लगायें। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि व्यापक मन से काम करें, ठोस नीति के साथ काम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कहा है कि- "छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।" धन्यवाद।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शहीद स्वर्गीय श्री भीमा मंडावी जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। सदन में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा आज जो चर्चा लाई गई है इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। अध्यक्ष महोदय, झीरम घाटी में मेरे पति, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं जवान भाईयों की शहादत हुई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हुआ करती थी, तब इनके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं थी। मेरे पति की शहादत के बाद मेरे परिवार को अनुकंपा में सिपाही की नौकरी के लिए बोला गया था जबकि मेरे द्वारा बताया गया था कि मेरी बच्ची एम.बी.बी.एस. हेतु नीट की तैयारी कर रही है। कलेक्टर, रायपुर को लिखित में आवेदन दिया गया था परंतु किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से निवेदन करती हूं कि इंसानियत को भी जिंदा रखें और थोड़ा अपने भी गिरेबान में झांककर देखें। भाई भीमा मंडावी की शहादत हम सबको बहुत ही पीड़ा पहुंचाती है, इस पर हमें बहुत ही खेद है। इसमें विपक्ष राजनीति कर रहा है जो कि बहुत ही दुखद है। उस दिन ये कहां

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय मेरे पति के पास स्मार्टफोन था और घटना के तीन दिन तक लगातार उस मोबाईल में जब भी हम कॉल करते थे तो रिंग जाती थी। उस समय सरकार चाहती तो मोबाईल ट्रेस करवा सकती थी, लेकिन उस समय ट्रेस नहीं हुआ। अगर उस समय ट्रेस हुआ होता तो वह अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होता और आज भाई भीमा मंडावी के साथ ऐसी दुखद घटना नहीं होती। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि इस प्रकार की घटना कभी किसी के साथ न हो। धन्यवाद।

डॉ रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा निश्चित रूप से इस विधानसभा और हम सभी सदस्यों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है क्योंकि हमने अपने एक साथी को खोया और उसके साथ ही उस पीड़ा की अनुभूति सभी सदस्यों के भाव में दिख रही थी। निश्चित रूप से इस घटना और इस घटना के साथ नक्सल के विषय को लेकर इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने एक सबसे बड़ी बात कही थी कि डेमोक्रेसी के लिए अगर सबसे बड़ा कोई थ्रेट है तो वह नक्सल प्राब्लम है। इस चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है। ये चुनौती चाहे झीरम की चुनौती हो, चाहे भीमा मंडावी की हो, मैने तो तालमेटला को देखा है। जवानों की लाईन लगी थी। इतनी बड़ी शहादत हिन्दुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं होगी जितने पुलिस के जवान मारे गये। मैंने झीरम को देखा, तालमेटला को देखा, जगरगुंडा को देखा। 35 से ज्यादा जवानों की शहादत हमने दे दी। झीरम की उस पीड़ा से हम अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं। इस सदन से एक मैसेज जाना चाहिए, एक बात जानी चाहिए कि नहीं, हम इस नक्सलवाद के खिलाफ पूरा का पूरा सदन एकमत है और इस पूरी ताकत के साथ इस नक्सल को कुचलने के लिए पूरा का पूरा विधानसभा पक्ष और विपक्ष राज्य और केन्द्र सरकार क्लोज डोर मीटिंग की थी, बंद करने में हमने बात की थी। एस.ओ.पी. भी तय किये थे। कुछ निर्णय के विषय आये थे। उसके क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने की बात है। व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है। व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। पुलिस के मनोबल को बढ़ाने की भी जरूरत है, मगर पुलिस का एक लाईन का बयान आना भी उचित नहीं है। भीमा की शहादत हुई तो उसका जवाबदार भीमा ही है। इस बात को स्थापति करने का काम होता है वह सरासर गलत है। इसके लिये व्यवस्था दोषी है। कोई व्यक्ति और किसी पर ऊंगली दिखाने की जरूरत मैं नही समझता मगर व्यवस्था दोषी है। आज भी अवसर है, यदि हम एस.ओ.पी. तैयार करते हैं, पुलिस के मनोबल को मजबूत करने का काम हम सब मिलकर करते हैं। एस.पी. को ताश की पत्ती की तरह फेंटने की जरूरत नहीं है। फिक्स टेन्योर देना चाहिए। उसको एक कार्य योजना बना कर देना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक कारणों से किसी को हटा दोगे तो फिर वहां मनोबल लेकर कोई पुलिस का अधिकारी वहां नहीं जायेगा। कभी कोई एस.पी. अपनी जान की आहूति देकर यह बस्तर के सारे मेरे विधायक साथी है। कब किसका नंबर लगेगा। मैं नहीं जानता कि मेरा नंबर लगेगा, इसका नंबर लगेगा, सब टारगेट में हैं। नक्सली किसी के प्रिय नहीं होते, नक्सली सब के लिए डेमोक्रेसी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के लिए इस देश में सबसे बड़ा थ्रेट है। यदि किसी को गलतफहमी होती है, किसी को इस बात का एहसास होता है कि नक्सली किसी के साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, महेन्द्र कर्मा की उस वीरता को देखा, दुस्साहस को देखा। बलिराम कश्यप के दहाड़ को देखा। बस्तर में चुनौती बनकर आया। जब तक वह खड़ा करने का काम किया, जब महेन्द्र कर्मा आगे चलता था, चारों तरफ काफला चलता था। मोटर साईकल से पूरे के पूरे, सुकमा, दंतेवाड़ा को क्रास करने वाला एक आदमी ऐसा लीटरशीप विकसित करने की जरूरत है। हमको आज इस विषय को लेकर भीमा मंडावी के संबंध में बहुत सारी बातें आई कि हमने पुलिस को यह देखा व्यवस्था के बारे में। मगर कुछ प्रश्न है, मुझे आज बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे सम्माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातों को अपनी भावनओं को व्यक्त किया। मगर क्या इससे पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए कि यह जो भीमा का संडयंत्र था क्या यह नक्सलियों की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। डेमोक्रेशी को लोकसभा इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, क्या उनका राष्ट्रीय स्तर की रणनीति का हिस्सा था ? चुनाव के 9 तारीख को चुनाव के 4 बजे 3 बजे प्रचार खत्म होता है और 5 बजे घटना होती है। कहीं न कहीं यह सडयंत्र है। उस सडयंत्र में मैंने वैचारिक रूप से परिर्वतन देखा है। इस 15 साल से मैं देख रहा हूं कि नक्सल मूवमेंट को बहुत नजदीक से देख रहा हूं। मैंने एक-एक क्षेत्र में घूमकर देखा है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जितनी बार मैं गया है। जितने उनके नजदीक से उन सड़कों को मोटर सायकल से घूमा हूं। बस्तर के लोगों की पीड़ा को मुझे नजदीक से देखने का अवसर मिला। मगर मैं समझता हूं कि इस पीड़ा के निराकरण के लिए साटर्न और लॉगटर्न स्ट्रेटजी हमने बनाने की तय की थी उसके क्रियान्वयन की दिशा में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस प्रकार यह सडयंत्र हुआ, यह सडयंत्र निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका विरोध राष्ट्रव्यापी होता है और वह राष्ट्रव्यापी विरोध में एक परिवर्तन आया है जिससे मुझे शंका होती है कि पहले वह पूरे चुनाव का विरोध करते थे। नोटा की बात करते थे। अब वह भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने के लिए स्पष्ट रूप से फर्मान जारी करते हैं। स्पष्ट रूप से धमकी देते हैं। यह परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की जीत और हार का विषय नहीं है। किसी राजनीतिक दल के गले लगाने की बात नहीं है। वे जिसका गले लगाते हैं सबसे बड़े घातक उसी के लिये होते हैं। इसलिए हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। यह चुनौती जब हमारे विधायक जी के भीमा मंडावी की बात आती है। चुनाव अभियान में गये, एक जानकारी शायद मुझे गृहमंत्री जी देंगे। वहां पर जी.पी.एस. मिला, जी.पी.एस. में इस बात की जानकारी हुई कि 50-50 किलो के 3 आई.ई.डी. वहां पर रखे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय यही है कि जब इतनी बड़ी जानकारी एक घटना के बाद हमको मिलती है। हमारा सूचना तंत्र कितना कमजोर है ? कितना लचर है कि उस सड़क पर हम लगातार घूम रहे हैं, कुआकोण्डा से लेकर ये पूरे रास्ते में घूम रहे हैं, पुलिस के जवान घूम रहे हैं चुनाव का अभियान चल रहा है और 50-50 किलो के तीन आई.डी. बाद में

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

जी.पी.एस.के माध्यम से ट्रेस होता है तो ये निश्चित रूप से पुलिस की असफलता है और एक लाईन का बयान आ जाता है कि भीमा मण्डावी को मना किया गया था, उस रास्ते में जाने से रोका गया था। अरे, यदि भीमा मण्डावी को मना किया गया था तो जो उस पूरे सड़क में घूमने के लिए मिनिमम जो फोर्स चाहिए, डी.आर.जी. के 50 जवान जो चलते थे, उसको क्यों साथ नहीं जाने दिया? उसको रोकने की क्या जरूरत थी? सिर्फ 9 लोग और दूसरी गलतबयानी ये आती है कि जिसमें मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति है कि पुलिस के 9 जवान पीछे थे, उन्होंने गोलियां चलायी और नक्सली भाग गये, ऐसे बयान तो मत दीजिए जिसको पढ़ने के बाद हमको तरस, लज्जा आती है, वहां पर कहां गोली चली? यदि गोली चलती तो वहां के जवानों के बंदूक लूटकर ले गये तो क्या ये नवजवान बंदूक चला रहे थे ? बंदूक चलाते समय उस लूट को देखने के गवाह थे, नवजवान जो सुरक्षा में पीछे थे, वहां से एक सेकेण्ड में चले गये और बयान दिया जाता है, बयान आता है कि फायरिंग होती है, फायरिंग कहां होती है ? फायरिंग होती तो वहां एक नक्सल जिंदा नहीं बचता। यदि नवजवानों की फायरिंग होती तो एक भी नहीं बचता। पहली गलती वही है कि यदि आरोपी को हटाया गया, ठीक है आरोपी हट गया। मगर उसके साथ मिनिमम फोर्स की जो रिक्वायमेंट थी, जिस व्यक्ति को जेट सुरक्षा थी, उसके साथ उस मिनिमम रिक्वायमेंट को पूरा क्यों नहीं किया गया? निश्चित रूप से इसमें फेलवर था और कहीं न कहीं इस विषय को लेकर..।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रचार का समय 3.00 बजे से समाप्त हो गया। ये अजीब विषय, अजीब बयान आते हैं कि वहां 3.00 बजे चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया। 9 तारीख हो गये, हमने फोर्स और एस.ओ.पी. हटा लिया। हमने वहां पर फोर्स को हटा लिया, यदि वहां के थाने की भी सूचना दी गई होती, कुआकोण्डा को सचेत किया होता, उसके साथ-साथ पूरी फोर्स पीछे रहती, वहां पर आने में कुआकोण्डा के लोगों को कितना समय लगता? वहां पहुंच जाते तो इस बड़ी घटना को रोका जा सकता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए अलग-अलग बातें आ रही हैं। मैं अधिकारियों के स्थानांतरण की ही बातें नहीं करता, पुलिस जवानों के भर्ती की प्रक्रिया हुई, 7 हजार लड़कों ने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन दिये, 5 हजार लोगों की भर्ती होनी है और जब वह जवान हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं कि हमारी भर्ती का क्या होगा? हमने पूरी की पूरी परीक्षा पास कर ली, बहुत अच्छे तरीके से इसकी परीक्षा हुई है, यदि उस परीक्षा में एक भी कमी रहे, जांच करके पूरी परीक्षा को रिजेक्ट कर दें, मगर यदि सही तरीके से परीक्षा हुई है तो 60 हजार पुलिस के जो नवयुवक जिन्होंने एप्लाई किया है, आज वे जवान इंतजार कर रहे हैं, आप उस परीक्षा को रद्द करोगे और आने वाले समय में नई भर्ती प्रक्रिया करोगे तो 2 सालों में आपका फोर्स तैयार नहीं होगा। एक फोस को तैयार करने में ...।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- आप बैठिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास बहुत सारे छात्र आयें और यह बोले हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व सरकार के दौरान पैसे लिये गये हैं। उसमें जो योग्य छात्र थे उनको प्रभावित किया गया है, उस भर्ती प्रक्रिया में उनको मौका नहीं दिया जा रहा है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फोर्स के एक जवान को तैयार करके, फील्ड में ले जाने लिए कम से कम दो-ढाई साल का समय लगता है। एक साल की ट्रेनिंग होती है। उनके बाद उसको फिर अलग-अलग किया। आप दो साल के पहले फोर्स को ले जा नहीं सकते तो पुलिस की मजबूती तैयारी करने के लिए ये निश्चित रूप से है कि यदि उन बच्चों को और जहां तक सवाल है कि क्या भीमा मण्डावी को इतना बड़ा थ्रेड था, दरभा कमेटी के सचिव, साईंनाथ ने पर्ची बांटकर इस बात के लिए कहा कि भा.ज.पा. का लोकसभा में बहिष्कार करो, भा.ज.पा.के कार्यकर्त्ताओं को मार भगाओ और पर्चे बांट-बांट कर उन्होंने उस बात की चुनौती दी। आज भी भीमा मण्डावी के गांव की दीवारों पर ये लिखा है, आज भी किसी को मिटाने की हिम्मत है। ये उनके गांव में पोस्टर और ऐसे हाथ से लिखी गयी चुनौती, जब भीमा मण्डावी का इतना बड़ा थ्रेड था, इतनी बड़ी कमेटी जो साईंनाथ जिसने दरभा काण्ड का भी मुझे लगता है कि मुख्य आरोपी वही होगा, उसने ये चुनौती दी तो ये क्या उसके बारे में हमको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको उस रास्ते के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी? क्या उसको बचाया जा सकता था ?और हमने काम नहीं किया।

समय :
5:00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी चुनौती है जिसके लिए हम सबको सचेत रहने की जरूरत है। मैं दल के ऊपर इस बात को कह रहा हूं। अर्बन नक्सल मूवमेंट शहरी क्षेत्र में फैल रहा है, अभी भोपाल में बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। रायपुर से लेकर बाकी जगह एक बड़ा नेटवर्क एक्टिव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। मैं यह राजनीति से हटकर बात कह रहा हूं, भारत सरकार से इनको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मैं आज कह सकता हूं कि दिल्ली में यदि हमारी सरकार है, हर मामले में डॉ. रमन वहां खड़ा होकर नक्सल के लिए हर बात के लिए बात करने को तैयार है। आपको कितनी फोर्स चाहिए, कितनी बटालियन चाहिए, कितने लोगों की फोर्स चाहिए, मैं यहां खड़े होकर माननीय गृह मंत्री जी को बोलना चाहता हूं कि आपको जो आवश्यकता है। हमने एडवांश प्लानिंग किया था, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में जिस फोर्स को हम आगे बढ़ाते जा रहे थे, उस फोर्स को यदि मजबूत करना है, आगे ऐसी घटना न हो, बड़ी घटना हो गई, हम सबको बड़ी पीड़ा है। दोनों घटनाओं को हम जीवन भर नहीं भूल सकते, जब भी बस्तर जायेंगे, अपने साथी को याद करते रहेंगे।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मगर कल इस प्रकार की घटना न हो, उसके लिए योजना बनाकर जिन कार्ययोजना को हमने रोका है, एक फोर्स को डिप्लाई करने के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एडवांश फोर्स में उनके लिए पानी, रहने के लिए टेंट की व्यवस्था चाहिए। ऐसी जगह में जहां सडक, बिजली, पानी नहीं है, इसके लिए आपको अतिरिक्त करने की जरूरत पड़ेगी। कलेक्टर को अधिकार देना पड़ेगा। उसके लिए यदि आप व्यवस्था बनाते हैं। देखिये बस्तर हाथ में आ जायेगा, कहीं नहीं गया है। मैं शत-प्रतिशत विश्वास से कह सकता हूं कि नक्सल मोर्चे में छत्तीसगढ़ कभी नही हारेगा, ये तय बात है। हमारे फोर्स का मनोबल मजबूत है, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। उसको आप पूरी मदद करके, बैठकर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में बैठिये। जहां हम लोगों की जरूरत होगी, आप बताईये, हम अपनी गाड़ी से चलकर आयेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये समस्या के निराकरण के लिए जो वक्त लगेगा, इसके लिए हमारे पूरे विपक्ष के साथी तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इन सारे मामलों में कम से कम बयान से बचा जाये। नक्सलियों को महिमामंडित करने की बात को हमेशा समाप्त कर देना चाहिए। कोई उसको अपने भाषण में बिगड़े हुए क्रान्तिकारी कहता है, कोई मुठभेड़ को नकली कहता है। अरे भाई, पुलिस से लड़ रहे हो या नक्सलवाद से लड़ रहे हो? हमारी लड़ाई नक्सल से है, सीधी लड़ाई नक्सल से है, आज और कल रहेगी। डेमोक्रेसी में जो भी काम कर रहा है, कांग्रेस, बी.जे.पी. या अन्य कोई, उसकी अंतिम लड़ाई नक्सल से ही होना है। उनके खिलाफ राष्ट्रीय कुचक्र को तोड़ने के लिए हम सबको खुले मन से बात करनी चाहिए। निश्चित रूप से भीमा मण्डावी जी का जाना या झीरम की घटना की जिस पीड़ा को हम और आप व्यक्त करते हैं, उस पीड़ा में हम सबकी भागीदारी है। आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई, चूंकि मैं बहुत देर से बोलने आया और आप घड़ी देख रहे थे। माननीय बृजमोहन जी ने जो आज स्थगन लाया है, मैं इस स्थगन के समर्थन में हूं। आज इस स्थगन के माध्यम से कुछ ऐसी बातें गृहमंत्री जी की तरफ से आना चाहिए कि हॉ हम इस मोर्चे में लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी पुलिस फोर्स मनोबल के साथ और पूरे छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 70 लाख लोग इस लड़ाई में साथ हैं। निश्चित रूप से हमें झीरम घाटी, भीमा मण्डावी जी और तालमेटला की इन सारी घटनाओं का बदला लेना है। एक-एक हिसाब लेना है, एक-एक गिनती करनी है। हमारे जितने लोग शहीद हुए हैं, उससे 10 गुना लोगों का हम हिसाब करेंगे तभी ये प्रतिज्ञा पूरी होगी। आज इस स्थगन की भावना सिर्फ यही है। मैं निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो स्थगन लाया है, उसके पक्ष में अपनी बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महत्वपूर्ण स्थगन में हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। वास्तविक में यह कोई एक दल की पीड़ा नहीं है, मैं समझता हूं कि पूरे सदन

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के लिए ये पीड़ा का विषय है। इसमें झीरम की भी बात आई है, झीरम घाटी की घटना में भी हमारे भाई लोग गये हैं। आज यदि भीमा मण्डावी जी गये हैं तो वह इस सदन के सदस्य रहे हैं और सबके प्रिय रहे हैं। नक्सलवाद हमें विरासत में मिला है। मुझे याद है कि जब हम लोग मध्यप्रदेश में थे, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस राज्य निर्माण के समय ही मध्यप्रदेश के केबिनेट मंत्री लिखीराम कांवरे को नक्सलियों द्वारा उनके घर से निकालकर मौत के घाट उतारा गया। यह बात आज भी मुझे याद है। उस समय जो आवश्यकता रही, जिस बात की हम लोग चर्चा करते हैं। आज मुख्य रूप से चर्चा का विषय यह है कि आरोप-प्रत्यारोप लगा करके यदि हम इसकी इतिश्री कर दें तो मुझे लगता है कि स्थगन पर चर्चा अधूरी है कि आने वाले समय में न कोई झीरम की घटना होनी चाहिए, न कोई भीमा मण्डावी की हत्या होनी चाहिए और इस नक्सलवाद से हम सब लोग मिलकर मुकाबला कैसे कर सकें, उनके खिलाफ हम लड़ाई कैसे लड़ सकें ? इस बात का यदि निष्कर्ष निकले तो मुझे लगता है कि स्थगन में सार्थक चर्चा हुई है, गृहमंत्री जी इसका जवाब देंगे । जिन बातों का माननीय सदस्यों के द्वारा, पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा जो उल्लेख हुआ है, उसमें मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । मैं जब श्री भीमा मण्डावी जी की इस घटना के बाद में अंतिम क्रियाकर्म में हम लोग गदापाल गये थे, डॉ. साहब थे, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे, हम सब लोग वहां पर थे और वहां पर जाने के बाद में जब उनके परिवार के लोगों से चर्चा हुई तो आज भी हम लोग उस बात को तलाश रहे हैं कि उस परिवार को कहीं से फोन आया कि तुम्हारे बेटे की हत्या हो गयी है, लाश पड़ी हुई है, तुम जाकर उसको लेकर आ जाओ । एक बाप के लिये यह कितनी बड़ी पीड़ा है इस बात को समझिए । वास्तव में यहां से जांच शुरू होनी चाहिए । जब पहले दिन श्यामगिरी गये थे, श्यामगिरी में मेला लगा हुआ था और मेले में जाने के बाद उन्होंने कहा कि दूसरे दिन की आवश्यकता नहीं है लेकिन बार-बार वहां से फोन आया कि आपको श्यामगिरी आना चाहिए, यहां पर मेला लगा हुआ है, बहुत भीड़-भाड़ है और आप आईये । चुनाव का समय था, चुनाव के समय में उस मेले के नाम से चूंकि वह वहां का आस्था का केंद्र है इसलिये वह मेले में गये और जाने के बाद में मेले में जिस प्रकार से विस्फोट में उनकी हत्या हुई है आखिर वह शख्स कौन है कि जिसके द्वारा बार-बार फोन करके, आग्रह करके उनको वहां पर बुलाया गया । यहां से जांच की बात होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन है और इसीलिये हम लोग इस बात को बोल रहे हैं कि यह कहीं न कहीं, किसी न किसी की साजिश है और जब तक उस तह में जाकर इंक्वॉयरी नहीं होगी, जांच नहीं होगी तब तक हमारी यह जांच अधूरी रहेगी । जहां पर की यह घटना है, वास्तव में जिस सड़क पर जो घटना हुई है यदि आगे-पीछे फोर्स की जो बात आज आ रही है या जो सीधा-सीधा यह कह दिया गया कि श्री भीमा मण्डावी जी के अपने कारण से हुई है तो मुझे लगता है कि इस जवाब को देने में भी संकोच होना चाहिए क्योंकि वह नौजवान आज हमारे बीच में नहीं है और यह कहने के लिये वह यहां पर

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं आ सकता है कि पुलिस के मना करने के बाद भी मैं वहां पर जबर्दस्ती गया हूं । अभी श्री धर्मजीत जी कुछ देर पहले जो बता रहे थे कि वे जब वहां पर गये और परिस्थितियों को देखकर कि किस प्रकार के सुरक्षा के घेरे में उनको लिया गया तो क्या पुलिस वाले उनको घेरे में नहीं ले सकते थे और यदि जबर्दस्ती जा रहे थे तो उनके पीछे फोर्स नहीं लगा सकते थे ? आखिर फोर्स क्यों नहीं लगाये यह प्रश्न भी उत्पन्न हो रहा है । मंत्री जी और सरकार यह कहकर नहीं बच सकते कि वे जिद करके चले गये, वह जिद करके जाने का ही प्रश्न नहीं है । जिस प्रकार से आपने समय-समय पर देखा होगा कि यहां पर जो सिक्योरिटी पाईंट से समीक्षा की जाती है और समीक्षा करने के बाद उनको श्रेणी दी जाती है । हम सबको मालूम है कि उसके पहले दो बार उनको नक्सलियों की धमकी मिल चुकी थी । गदापाल में भी उनको धमकी दी गयी, गदापाल में धमकी देने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचित भी किया है लेकिन सूचित करने के बाद में आप उनको जेड प्लस क्यों नहीं दे सकते ? यदि आपने उनको जेड प्लस दिया होता तो शायद वे इस घटना से बच जाते और यह घटना नहीं घटती लेकिन आपने उससे भी इंकार कर दिया कि आप अपनी खामियों को ढांकना क्यों चाहते हैं ? आप अपनी कमियों को रोकना क्यों चाहते हैं ? हम चाहते हैं कि सारी चीजें उजागर होनी चाहिए। यदि यह सारी चीजें उजागर हो गयीं तो आने वाले समय में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था है वह व्यवस्था और दुरूस्त होगी और इसलिये मैंने कहा कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो सुरक्षा उनको प्रदान की जानी चाहिए, सरकार की कहीं न कहीं चूक हुई है इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए, इस बात को उनको मानने की आवश्यकता है, इस बात को उनको मानना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सली कौन हैं ? नक्सली वे हैं जिन्होंने हमारे विकास में हमेशा अवरोध उत्पन्न किया है । वहां की व्यवस्था जो चरमराई हुई थी, डॉ. साहब जब वहां पर 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक लाईन में लाने का प्रयास किया कि जो आंगनबाड़ी बंद है उनको संचालित किया जाना चाहिए, जो स्कूल बंद हो गये हैं उनको चालू होने चाहिए, उनके बिल्डिंग बन जाने चाहिए, जगर-जगह फोर्स की व्यवस्था की गयी, थाने खुलवाये गये और उसके कारण साप्ताहिक जो हाट बाजार लगना बंद हो गया था उसको एक प्रॉपर लाईन में लाने का काम किया गया लेकिन जिस दिन से इस नई सरकार का गठन हुआ है, सरकार के गठन होने के बाद में कहीं न कहीं नक्सलियों का मनोबल बढ़ने के पीछे कारण यह है कि सरकार बनने के बाद उनसे जो चर्चा प्रारंभ हुई और जिस प्रकार से इस प्रदेश के मुखिया के मुख से बातें आईं, उससे नक्सलियों को लगा कि कहीं न कहीं पहले वे टेरर में थे, डर में थे, वे अंतिम सिरे में चले गए थे । वहां से निकलकर वे शहर के किनारे पहुंचना शुरू हो गए, गांव के किनारे आना शुरू हो गए और कहीं न कहीं पुलिस का मनोबल भी गिरा है । यहां पर वे स्वीकार करें या न करें । लेकिन जिस प्रकार से उन्हें पहले जो छूट दी गई थी कि उन्हें उनके मांद में जाकर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लड़ाई लड़नी है । आज स्थिति यह है कि यदि पुलिस को एक कदम भी आगे जाना है तो पहले उन्हें आदेश लेने की आवश्यकता पड़ती है । उन्हें आदेश मिलने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इससे पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है । जब तक हम पुलिस के मनोबल को नहीं बढ़ाएंगे । हमारी लड़ाई कोई पुलिस से नहीं है, पुलिस की लड़ाई जनता से नहीं है, यदि हमारी लड़ाई नक्सलाइट से है तो हमारे जवान भी नक्सलाईट से लड़ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि हमारे जो जवान वहां तैनात हैं वे समय-समय पर स्वयं को गोली क्यों मार रहे हैं ? उन्हें स्वयं को गोली मारने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है । कहीं न कहीं उनका मनोबल गिरा हुआ है, उन्हें लगता है कि जिन परिस्थितियों में वे काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन पर दबाव बनाया जाता है । आदमी आत्महत्या तब करता है जब उसको लगता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है । ऐसा एक नहीं, वहां पर आप अनेक उदाहरण देखेंगे । हमारे सुरक्षा में लगे हुए जवान जो वहां तैनात हैं, वे गोली मारकर आत्महत्या कर रहे हैं । जवानों की आत्महत्याएं रूकनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है । छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए इतना ओपन हो गया है कि आसपास के राज्यों की सीमा से लगे हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को भी उठाकर छत्तीसगढ़ ले आए । छत्तीसगढ़ में लाकर उसकी हत्या करके उसे सरेआम सड़क पर फेंक दें । आखिर हम क्या कर रहे हैं, हम कहां पर हैं । अध्यक्ष महोदय, अभी 2-3 दिन पूर्व की घटना है । हमारे राज्य की सीमा पर तेलंगाना के पूर्व विधायक को लाकर यहां पर उनकी हत्याएं हो रही हैं । यह हमने माओवादियों के लिए पूरा छोड़कर रखे हैं । जहां से पाएं उठाकर लाएं और हमारे यहां लाकर उनकी हत्या करके फेंक दीजिए । आखिर यह कब तक चलेगा ? अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन के माध्यम से लाई गई किसी एक घटना का विषय नहीं है । इस घटना से सभी पीड़ित हैं । लेकिन आने वाले समय में हम किस प्रकार से इसको रोक सकें, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है । आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा था । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अब तो आप सत्ता में बैठ गए हैं, अब तो आप विपक्ष में नहीं हैं । 15 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, आप निकालिए । लेकिन आप यह कहकर नहीं बच सकते कि यह आपके कार्यकाल में हुआ है । आप वहां पर बैठे हैं उसके जवाबदार आप हैं और यदि हमारा भीमा मंडावी मारा गया है, खत्म हुआ है तो उसके जवाबदार भी आप हैं और इसे आपको स्वीकार करना चाहिए । आपको उसके ऊपर दोष मढ़ना नहीं चाहिए । इससे बुरी स्थिति क्या होगी जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उस पर दोष मढ़कर आप बचना चाह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, अभी वहां एक पोस्टर लगाया गया । माओवादी दक्षिण बस्तर डिविजन कमेटी के सचिव ने पोस्टर जारी करके कहा कि भूपेश सरकार अपने वायदे से मुकरने लगी है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सा वायदा किया था ? और वायदा करने के बाद उस वायदे को आपने

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

पूरा नहीं किया है । यह जनता के सामने भी आना चाहिए और सदन में भी आना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, 28 मार्च को एनआईए कोर्ट ने नक्सलियों के दो को-ऑर्डिनेटर वेंकट उफै नक्का, जिसे 24 दिसम्बर को पकड़ा गया था । उनको जमानत मिल गई । जमानत क्यों मिल गई? क्योंकि 90 दिन के अंदर चालान पेश होना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए। लेकिन 90 दिन के अंदर चालान प्रस्तुत नहीं हुआ और उनको बेल मिली और वे रिहा हुए। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि 90 दिन के अंदर चालान प्रस्तुत नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि गृहमंत्री जी इस बारे में अपने जवाब में बताएंगे कि 90 दिन की परिधि के अंदर ऐसे जो कुख्यात नक्सवादी हैं और उनके जो प्रमुख हैं, उनको जमानत मिली है तो किसकी गलती से मिली है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम आज जो स्थगन लेकर आये हैं, भगवान न करे कि इन विषयों पर हमें स्थगन लेकर आने की आवश्यकता पड़े । आज केवल एक-दो की बात नहीं। इतनी बड़ी मेजॉरिटी कभी नहीं मिली है। उस मेजॉरिटी में आप सरकार चला रहे हैं और सरकार चलाने के बाद डॉ. साहब ने कहा है कि दिल्ली में जो सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, आपके साथ में हम चलेंगे और राज्य में आप इतने सक्षम हैं कि आने वाले समय में नक्सल गतिविधियों में किसी को शिकार न होना पड़े और इस प्रदेश में नक्सलवाद का जो जड़ है, उसका खात्मा हो। मैं मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपकी 06 महीने की जो तैयारी है और आने वाले समय में जो आपको तैयारी करनी है कि इस दिशा में आपने कौन सा सार्थक पहल किया है। मेरे पास में फेहरिस्त है। मंत्री जी श्री अकबर ने शिवरतन जी को बता दिये कि दो में यह गलत हुआ है। अनेक ऐसे नाम हैं, जिनको मैं बता सकता हूं, लेकिन यह बताना उस समस्या का हल नहीं है। इसलिए कोई न कोई सार्थक पहल हो। सार्थक पहल निकले, जिससे आने वाले समय में हम इस प्रदेश को नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कर सकें और इसके लिए निश्चित रूप से प्रतिपक्ष की जो भी और जहां भी आवश्यकता होगी या जो भी चर्चा कराने की आवश्यकता होगी, उसके लिए हम लोग सहमत रहेंगे। आज के इस अवसर पर आपने जो समय दिया, मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे।

श्री ताम्रध्वज साहू (गृह मंत्री) :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के सदस्य रहे हमारे सम्माननीय साथी भीमा मंडावी जी की जो नक्सलियों द्वारा हत्या की गई, जिसके विषय में स्थगन की सूचना हमारे साथियों ने दी, आपने ग्राह्य किया व चर्चा कराया। काफी विद्वान सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। घटनाक्रम के विषय में अपनी बातें रखीं। कुछ को हमारे सुझावों के रूप में भी उन्होंने बताया। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय मोहन मरकाम जी, शिवरतन शर्मा जी, सत्यनारायण शर्मा जी, धर्मजीत सिंह जी, केशव चंद्रा जी, अजय चन्द्राकर जी, बृहस्पत सिंह जी, नारायण चंदेल जी, अनिता

शर्मा जी, सम्माननीय डॉ. रमन सिंह जी, सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी ने यहां पर घटनाक्रम के विषय में भी अपनी बातें रखीं। सरकार को कुछ सुझाव भी दिये। पिछली 15 साल की बातें भी कही। वर्तमान बातें भी कहीं। आगे आने वाले समय में हमारे क्या कार्यक्रम हैं? क्या तैयारियां हैं? उसके लिए भी आपने बात रखी। सारी बातें करीब-करीब आ गई हैं। मैं संक्षिप्त में घटनाक्रम से शुरू करके अपनी बात रखना चाहूंगा। किसी भी प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप से हटकर जो कुछ आरोप आये, उनके जवाब भी अपनी तरफ से रखूंगा। मैंने अपने जवाब में पहले ही कहा था जो जानकारियां आप लोगों ने कहीं कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। समय कैसे हुआ? तीन बजे खत्म हुआ। जितनी भी बातें आयीं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जारी रखें।

श्री ताम्रध्वज साहू :- तो उनके विषय में मैं फिर से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि जो विभाग की ओर से मैंने जानकारी प्रस्तुत किया, उसमें कहीं पर भी कोई शंका-कुशंका, आरोप-प्रत्यारोप नहीं है। बिल्कुल सही जानकारी मैंने सदन में रखी है कि सुबह 9 तारीख को साढ़े 8 बजे जब माननीय भीमा मंडावी जी निकले तो जेड श्रेणी सुरक्षा के हिसाब से पूरी सुरक्षा उनको दी गई थी । 3 पी0एस0ओ0 उनके साथ में रहते थे। 1:3, 1:4 का स्काट रहता था, वे उनके साथ थे। चुनाव के दरम्यान वहां के जनप्रतिनिधि जो रोजाना घूमते थे, उनको अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा मुहैय्या कराई गई थी। 25 मोटर सायकल से 50 जवान, उस दिन भीमा मण्डावी जी के साथ 49 जवान बराबर थे। जिस क्षेत्र में दौरा जाते थे, उस क्षेत्र के थाने के जवान पहले से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहते थे। कहीं पर भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं की गई। पहले जब सुबह के समय दौरे में गये तब दौरा समाप्त करके वापस दंतेवाड़ा आये और करीब-करीब 12 बजे वह दौरा से वापस आ गए। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो कहा कि वापस जाओ, इसका प्रमाण है क्या ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि दौरे से आये, गाड़ी से उतरे, अपने मातहतों को, फोर्स की कह देते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ। इसका कोई रिटन (लिखित) में आदेश नहीं देता है कि आप लोग जाओ या उसका कोई प्रमाण होता। मौखिक कहा जाता है कि मैं दौरा नहीं जाना चाहता, आप लोग जाओ। तो इस प्रकार से उन्होंने उस फोर्स को लौटाया। यह भी बात आई कि चुनाव प्रचार थम गया। उस समय चुनाव प्रचार थमा नहीं था, चुनाव प्रचार का समय 3 बजे का था और यह बात 12 बजे की है। 12 बजे भीमा मण्डावी जी लौटे। वापस लौटकर, कि अब मुझे कहीं नही जाना है, हमने जो 49 का अतिरिक्त फोर्स दिए थे, कहकर उनको लौटाया। उनके साथ जो जेड सुरक्षा के फोर्स थे, वह उनके साथ में थे। खाना खाने के बाद 12.45 बजे अपने जो जेड सुरक्षा के फोर्स थे, उनको लेकर निकले। उनको यह करना चाहिए था कि अचानक भी याद आया, तो ऐसा भी संभव था, यदि वह ऐसा कर लेते कि जो फोर्स लौटाये थे, उसको

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बुलवा लेते। सूचना दे देते, आधा घंटा रूक जाते, उसके बाद निकलते। परन्तु जो फोर्स लौटाया गया था, उनको वापस नहीं बुलाया गया और अचानक निकलकर उन्होंने कहा कि हमको जाना है। उनके सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उसकी सूचना दी। उधर जो थाना था, वहां से उनके फोर्स की व्यवस्था उनके साथ रखी गई। यह बात कही गई कि थाने के इन्सपेक्टर ने जो कहा उनसे बात की, उनका क्या प्रमाण है ? तो मोबाइल से जो बात किया गया है, उसका प्रमाण है। वे उसको निकलवाकर देख सकते हैं। जांच आयोग गठित की जा चुकी है। आप सबने चर्चा जो बिन्दु उठाये हैं, वह सब बिन्दु जांच में शामिल किया जा सकता है। हम जांच के किसी भी बिन्दु को रोकना नहीं चाहेंगे, आप जांच में जो बिन्दु जुड़वाना चाहे। जांच आयोग गठित है। चूंकि इसमें कांग्रेस, भा0ज0पा0 का प्रश्न नहीं है। वह हमारे इस सदन का सदस्य थे। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी शंका, जैसे अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि एक दिन पहले से कहा जा रहा था कि आपका बेटा लौटेगा या नहीं। यदि अथेन्टिक जानकारी है, तो जांच आयोग के सामने रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि जितनी जानकारियां हैं, चाहे वह कांग्रेस की गलती हो, अधिकारी की गलती हो, चाहे आपकी गलती हो, चाहे किसी मुखबिर की गलती हो, चाहे नक्सली की गलती हो, वह सामने आना चाहिए। हम उसके लिए तैयार हैं। हमें इसमें कहीं कोई कमी या कोताही बिलकुल नहीं बरतना चाहेंगे। इसलिए इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं है। इस घटनाक्रम के विषय के बारे में आपके सामने पहले ही बात रख दिया था।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें आईं। उन बातों का बहुत संक्षिप्त में उत्तर देना चाहूंगा। किसी ने कहा कि सूचना-तन्त्र की कमजोरी है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। कुछ सेकेण्ड के लिए रूक जाईये। आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होते तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा था कि समय भी हो गया है, स्थगन के बाद सामान्यत: कोई बिजनेस नहीं लेते हैं। उसको अगले दिन के लिए बढ़ा दिया जाये, तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका ध्यानाकर्षण बढ़ा देंगे। बाकी चीजें थोड़ी सी..।

श्री धरम लाल कौशिक :- बाकी कुछ नहीं है। दो लाईन का है, कल करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे स्थगन के बाद सामान्यत: परम्परा में आगे बढ़ा देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कभी-कभी हो जाता है। चुनाव संबंधित कार्यक्रम है, उसके लिए टाईम नहीं रहेगा। तीन दिन का समय है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भीमा मण्डावी जी साथ में जो सुरक्षा कर्मी थे, उनकी भी सूची है, अगर कहेंगे तो मैं बता देता हूं । 10-10 लोग अलग समय में दौरे में थे, 10-10

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लोग बाद में थे, एस्कार्ट भी था । मण्डावी जी को जो सहायता राशि दी गई, वह पूरी की पूरी जानकारी में है। मैं समझता हूं कि और कुछ बताने की जरूरत नहीं है । अभी भी उनके घर में जो सुरक्षा की व्यवस्था है, वह 1-1-8 का तीन पी.एस.ओ. दिया गया है, 1-1-8 की उनके घर में व्यवस्था दी गई है और अगर आवश्यकता महसूस होगी, कहेंगे, उनकी ओर से मांग आयेगी....।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, तीन स्थान हैं । गांव में उनका एक घर है, दूसरा घर दंतेवाड़ा में और तीसरा घर रायपुर में है । तीनों स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था हो और दूसरा, जैसा माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि वे इस सदन के सदस्य थे तो कम से कम दो करोड़ रूपये की सहायता राशि उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को दी जाये क्योंकि जैसा कि सबको मालूम है कि उनकी दो शादियां हुई थीं, उनके भी बच्चे हैं, वर्तमान पत्नी के भी बच्चे हैं तो हमको संवेदना के साथ में इस मामले में आपको पहल करके शासन से निर्णय करवाना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, सबसे बड़ा बच्चा शायद 10 या 12 साल का है तो हमको उनको एक स्थायी घर की व्यवस्था हम कर दें, जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और हम नौकरी की व्यवस्था कर दें। उनकी जो बड़ी लड़की है, जिस दिन भी वह बालिग होगी, उस दिन उसको नौकरी दे दी जायेगी, अभी से इंश्योर कर दें तो उनके परिवार के भविष्य को बनाने के लिए हमारी संवेदनशीलता होगी, इस बात का हमारा आग्रह है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । माननीय सदस्यों ने भी इस बात को रखा है कि अभी हमारे सदस्य जो इस सदन में हैं और जो पूर्व सदस्य भी हैं, एक बार विधायक बनने के बाद में, जन प्रतिनिधि होने के नाते चाहे वह वर्तमान में पद पर रहे या न रहे, उनको प्रवास दौरा यह सब लगा रहता है और हम लोगों ने अभी इस सदन के माध्यम, विधान सभा के माध्यम से 10 लाख तक की बीमा की व्यवस्था किये हैं कि जो बीमा की राशि है, हम केवल भीमा मण्डावी जी के परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक करोड़ तक बीमा की राशि की जाये और पूर्व सदस्य को भी यदि आप जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि सभी के लिए ठीक है क्योंकि आखिर वर्तमान और पूर्व जन प्रतिनिधि होने के नाते उनका ये कार्यक्रम और दौरा लगा रहता है तो उस पर विचार करेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने इस बात को तय किया है कि हमारे प्रत्येक विधायक एक-एक लाख रूपये उसके परिवार को सहायता के रूप में उपलब्ध करवायेगा । इस सदन से मैं आग्रह करूंगा, यहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हैं । अगर हम चाहें तो हम अपने एक महीने की तनख्वाह उनके परिवार की सहायता

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के लिए दे सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय चाहें और बाकी सभी लोग चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा एक सुझाव है। ऐसा हम चाहें तो कर सकते हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से आपकी बात को स्वीकारता हूं । मैं अपने एक माह का वेतन उनके परिवार को दूंगा ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक पूर्व विधायक या जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा का प्रश्न है, बहुत से पूर्व विधायकों की सुरक्षा शुरू में थी, वह हटा दी गई थी । मेरे पास काफी लोगों के पत्र आये तो मैं समझता हूं कि सभी पूर्व विधायक या जन प्रतिनिधियों ने मुझे जानकारी दी, सबको सुरक्षा, उनकी पी.एस.ओ. फिर से मैंने वापस करवा दिया था, मुहैया करवा दी थी । आदरणीय बृजमोहन जी ने बीमा की जो बात कही, वह आपके अधिकार क्षेत्र का है, इस उद्देश्य से अलग हटकर आप जैसा सबके लिए तय करेंगे, वह एक स्थायी बात होगी । वह विधायकों के लिए, पूर्व विधायकों के लिए होगा । एक माह के वेतन वाली बात है तो हमारा दल बैठेगा तो उसमें चर्चा कर लेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि इसमें जहां जैसी जरूरत होगी, अभी तीन जगह की बात आई तो उनके गांव, दंतेवाड़ा और रायपुर की बात कही गई । मैंने पता करवाया है कि गांव में अभी कोई नहीं रहते, पर कभी कोई जाना होता है तो हमारी पार्टी जायेगी, जाती है । दंतेवाड़ा में रहते हैं, इसलिए वहां सुरक्षा व्यवस्था कराई गई है । अभी रायपुर में नहीं रह रहे हैं इसलिए अभी यहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सूचना तंत्र की, पुलिस की लापरवाही की बहुत सी बातें आईं । कोई कह रहे थे कि हमको इन घटनाक्रमों से शर्म आती है, फोर्स क्यों नहीं रहा, फोर्स क्यों हटाई गई । भावी रणनीति क्या है, प्रोग्राम क्या है, सरकार कुछ नहीं कर रही है । नाकाम है, पिछले को दोष मत दो, 6 महीने में आपने क्या किया ? मैं समझता हूं कि यही तो हम सबका भी प्रश्न है कि आपने क्या किया ? अगर आपने 15 साल में माओवादी समाप्त कर दिए होते तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता । अध्यक्ष जी, एक साल में दो छमाही होता है । तीस छैमाही वर्सेस एक छैमाही । एक छैमाही वाले को आप पूछ रहे हैं, तीस छैमाही वाले ? मैं इस घटनाक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ । घटनाक्रम का मुझे भी दु:ख है, सब को दु:ख है, मैं भीमा मण्डावी पर यह बात नहीं ले रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था पर आपने प्रश्न उठाया है, उस पर मैं कह रहा हूँ, आपको तीस छैमाही मिला, हमको सिर्फ एक छैमाही मिला है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, 15 साल में जो होगा, कभी बहस कर लेंगे। स्पष्टीकरण के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ । 15 साल में एक भी मंत्री ने नहीं कहा है कि यह मुठभेड़ फर्जी है । आपके मंत्री ने कहा है कि यह मुठभेड़ फर्जी है। उसको मुआवजा दिया जाये, आपका इस पर क्या कहना है ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- जब उस पर बहस होगा तो बहुत कुछ कहना चाहूंगा और जरूर कहूंगा । 15 साल में आपके मंत्रियों ने, आपके विधायकों ने, क्या-क्या कहा, जरूरत पड़ी तो उस पर भी बहस के लिए तैयार हूँ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब करवा दो ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- बिल्कुल तैयार हूँ, जब आप कहे तैयार हूँ । इतना आप भी याद रखेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या याद रखना है मुझको ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- शब्द को ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप क्या याद करवाना चाहते हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- जो आप कह रहे हैं, उसको ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो सीधी-सादी बात कहा कि क्या याद करवाना चाहते हो । यह मंत्री की भाषा है अध्यक्ष महोदय, आप भी याद रखना करके । (व्यवधान)

श्री शैलेष पाण्डेय :- आपकी उपस्थिति में ऊंगली दिखाकर बात की जाती है । (व्यवधान) सदन में किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं ? माननीय मंत्री जी को ऊंगली दिखाकर बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- शैलेष जी, बेल में आ जाओ । आ जाओ, बेल में आ जाओ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय ताम्रध्वज जी ने कोई बुरी भावना से नहीं कहा, परन्तु उनके मुंह से एक शब्द निकल गया । माननीय अजय चन्द्राकर जी को बुरा लगा, मुझे लगता है कि दोनों को इस बात को समाप्त कर देना चाहिये, आपकी भी भावना गलत नहीं थी, आपके मुंह से वह शब्द निकल गया । उसको गलत रूप में अजय चन्द्राकर जी ने ने लिया, मुझे लगता है कि इसको समाप्त कर देना चाहिये । उसके ऊपर में कोई वाद-विवाद न हो ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेंरा यह कहना है कि एक बात भीमा मण्डावी वाली आई । मंत्री है, पिछले सत्र की घटना है, उन्होंने कहा कि मुआवजा भी मिलना चाहिये । मुठभेड़ की बात आई । इसलिए यह प्रश्न उपस्थित हुआ । दूसरी बात, हम लोग समय-समय पर अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार से जो जैसा विषय है, उदाहरण देते आये हैं, इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है । हम नहीं भी बोलेंगे तो आप याद करायेंगे । कुछ बातें हम लोग याद करायेंगे । यह चलती रहेगी, लेकिन भीमा मण्डावी वाला अभी का तात्कालिक है । इसलिए उसका जवाब आना चाहिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट, मंत्री जी । आज सुबह प्रश्नकाल में एक विषय आया था, माननीय मोहम्मद अकबर जी ने कवासी लखमा जी का जवाब देते हुये कहा था कि मंत्रिमण्डल का सामूहिक दायित्व होता है, जवाब दे सकते हैं । सामूहिक दायित्व आपका होता है कि मंत्री मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं । सामूहिक दायित्व में क्या मान लिया जाये कि पूरा मंत्रिमण्डल उसको फर्जी मान रहा

अशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

है ? यह स्पष्ट करना चाहिये । इतनी बड़ी घटना हुई, एक मंत्री कहे कि मुठभेड़ फर्जी है । यह स्पष्ट होना चाहिये । इससे पुलिस का मनोबल टूटता है । आप मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं और आपका मंत्री मनोबल तोड़ने की बात करता है । इस विषय को स्पष्ट करें । मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, यह जो बात अभी कही गई, मैंने आपसे कहा कि काऊंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब की संयुक्त जिम्मेदारी है, यह विधान सभा के भीतर के लिए है, बाहर में कोई भी बयान देता रहे तो उसके लिए संयुक्त जिम्मेदारी नहीं हो सकती ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने स्पष्ट कर दिया...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विधान सभा के अंदर भी, अगर मंत्री उपस्थित है तो उसी को जवाब देना चाहिये । आपको नहीं देना चाहिये, अगर नियम पढ़कर जाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने भविष्य के लिए जो प्रोग्राम तय किया हुआ है, बारिश का समय कट जाने के बाद और जो नक्सली विस्तार की बात अभी कही गई है कि हमारे छः महीनों में नक्सली मूवमेंट का बहुत विस्तार हुआ है, तो वर्ष 2003 में कुल 05 जिलों में नक्सली मूवमेंट चलता था और वर्ष 2018 में वह बढ़कर 14 जिलों में हो गया है। वर्ष 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी और हटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस समय तीन जिले प्रभावित थे। वर्ष 2018 में अभी जब चुनाव हुआ और हमारी सरकार आई तब तक 18 जिले प्रभावित हो गये थे। तो यह भी कहना गलत है कि हमारे छः महीने में नक्सली मूवमेंट बहुत आगे बढ़ा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आप यह भी स्पष्ट कर दें कि उस तीन जिले को डॉ. रमन सिंह जी ने कितने जिलों में विभाजित किया।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- तो भी 18 से कम होगा।

श्री ताम्रध्वज साहू :- कहेंगे तो 18 जिला ही ना या उसको तीन जिला कहेंगे? पिछले 15 वर्षों में नक्सली मूवमेंट को खत्म करने का अगर समुचित प्रयास हुआ होता और आज ये जो सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करना, वैसा करना तो पूरा खत्म हो जाता तो ऐसा तो कर लेना चाहिए था और करके समाप्त कर देना चाहिए था तो आज ये स्थिति नहीं बनती और यह छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में ले जाने में सहायक होता। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी आपने कही है, अभी बारिश के बाद हम लोगों ने चिन्हांकित कर लिया है कि कहां-कहां फोर्स लगानी है। एक बात भीमा मंडावी जी के परिवार को नौकरी की बात आई थी, एक शहीद सिविलियन के लिए जो नियम है उसमें उसे वर्ग तीन और वर्ग चार में नौकरी देने का प्रावधान है। उम्र की बात जो कह रहे थे कि क्या है कैसा है उसे देख लेंगे। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्थगन के प्रस्ताव में जो एक लाईन लिखा गया है कि चुनाव को प्रभावित करने राजनैतिक

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हत्या। मुझे यह समझ में नहीं आया कि चुनाव को प्रभावित करने राजनैतिक हत्या वाली बात स्थगन के विषय में क्यों शामिल हुई? यहां कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अगर लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो उसमें कौन सी राजनीति प्रभावित करने की बात थी और क्या राजनीति प्रभावित करने के दृष्टिकोण से थी? अगर ये राजनीति प्रभावित करने की बात थी तो झीरमघाटी कौन सी राजनीति प्रभावित करने की बात थी? उस समय क्या सोच लेकर झीरमघाटी को अंजाम दिया गया होगा? उस समय कितनी सुरक्षा मुहैया कराई गई? हम तो एक व्यक्ति के लिए यहां पूरी सुरक्षा मुहैया कराये और वहां जो हमारे पूरे 50-100 लोग थे उनके लिए तत्कालीन सरकार के द्वारा कितनी सुरक्षा मुहैया कराई गई थी? ये जानकारी भी जो जांच और बहस के विषय की बात कर रहे हैं वह जांच और बहस के विषय में ले लें तो उस समय झीरम की यात्रा में कितने लोग थे और कितनी सुरक्षा व्यवस्था थी?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए। आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी ने अपने भाषण में उस घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों ने जो पर्चा चस्पा किया था उस पेपर के बारे में कहा था और उसे दिखाया था और उसके बाद नक्सलियों ने फरमान जारी किया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव से मारकर भगाओ। ये अपने आप में बड़ा प्रमाण है। ऐसे पर्चे आज भी उन गांवों में चिपके हुए हैं, दीवालों में लिखा हुआ है। माननीय मंत्री जी, ये राजनीतिक हत्या है, आप स्वीकार करें या न करें।

अध्यक्ष महोदय :- इसको पटल पर रख दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- जी।

(पर्चे की प्रति सदन के पटल पर रखी गई)

श्री मोहम्मद अकबर :- ये ओरिजनल नहीं है, फोटोकापी है, किसी काम का नहीं है। आप ऐसा प्रमाण मत दो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ऐखर से दस्तखत करवा लेवव नहीं तो बाद में कहिही कि मैं नई दे हवंव।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग चले जाएं और वहां जाकर दीवाल की फोटो उतार लें। मंत्री जी, मैं आपको बताऊं कि मैं गदापाल गया था, गदापाल में मैं और बृजमोहन अग्रवाल जी पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां एक तरफ हमारे भीमा मंडावी जी का मकान है और उनके साथ में जो सुरक्षागार्ड थे वह एक किलोमीटर की दूरी में नहीं हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी वहां मौके पर मौजूद थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करने उनके घर में जायेंगे लेकिन

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उन पुलिस के बड़े अधिकारियों की हिम्मत नहीं हुई कि उनके घर में जाकर हमें उनके अंतिम दर्शन करा सकें और हम लोग गदापाल से होकर आये हैं। मंत्री जी, आप जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, आप यथार्थ में जाएं। आप जो बोल रहे हैं कि झीरमघार्टी की घटना हुई, इसमें राजनीति कहां से आई तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें राजनीति क्यों बोल रहे हैं। वहां 11 तारीख को मतदान है और 09 तारीख को हत्या हुई है। उसके बाद कार्यकर्ताओं और बाकी लोगों में इतनी दहशत हुई है कि उस दहशत के कारण हमारे कोई कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकले हैं और घर से बाहर नहीं निकलने के कारण परिणाम भी प्रभावित हुआ है, लेकिन झीरम घाटी की घटना भी दुर्भाग्य है। लेकिन उस समय चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई थी, कोई चुनाव नहीं चल रहा था कि जिससे प्रभावित हुए। चुनाव के लिए कोई घटना और उसको आप जोड़ करके मत देखिए और इसलिए जब राजनीति की बात आई तो मुझे लगता है कि आपको उसमें उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इस घटना के समय मैं एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आचार संहिता लगी हुई थी और चुनाव आयोग के नियंत्रण में पूरा प्रशासन था। कृपया इस बात का भी उल्लेख मैं करना चाहूंगी और ध्यान रखा जाये। झीरम के समय मेरा छोटा भाई विवेक वाजपेयी भी उस घटना में गायब था और पुलिस मुख्यालय में बार-बार फोन लगाती थी। मैं जगदलपुर मुख्यालय में फोन लगाती थी। वे लोग कहते थे कि एक दायरा है उसके बाहर ही पुलिस प्रशासन है। हमारी खुद की हिम्मत नहीं है। वह घटना जब सब खत्म हो जायेगा तो उसके बाद उस घटना की जानकारी आपको दी जायेगी।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, न मैं आवेश में आ रहा हूं, न गुस्सा हो रहा हूं, न जोश में बोल रहा हूं। राजनैतिक हत्या शब्द प्रयोग किया गया है उस पर मैंने कहा। नक्सलियों के द्वारा की गई हत्या और राजनैतिक हत्या मैं समझता हूं कम पढ़ा लिखा हुआ हूं, उसके भाव में दोनों में थोड़ा अंतर है। राजनैतिक हत्या किसको कहते हैं और नक्सलियों की हत्या के द्वारा की गई हत्या, मैं समझता हूं दोनों में अंतर है। राजनैतिक हत्या का मतलब कोई राजनीत से जुड़ा व्यक्ति, राजनीत प्रभावित करने के लिए या राजनीत के लोगों को इस से शायद होना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि नक्सलवाद की आइडियोलाजी है कि सत्ता बैलेट से नहीं बुलेट से प्राप्त होती है और वह जितनी हत्याएं करते हैं राजनीतिक हत्याएं ही है। राजनीतिज्ञ लोगों की हत्या वह राजनीतिक हत्या है और इसलिए कोई कांग्रेस पार्टी के ऊपर में कोई आरोप नहीं लगा है। वह नक्सलवादियों के खिलाफ ही आरोप है। दोनों घटनाएं राजनीतिक हत्या थी और दोनों घटनाएं नक्सलवादियों ने की थी। राजनीतिज्ञों की हत्या की थी, इसलिए वह उनको राजनीति करने के लिए ही यह सब नक्सलवाद ला रहे हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा संशोधन करके जोड़ दिया जाये, नक्सलियों द्वारा राजनीतिक।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, किसी का नाम ही नहीं कहा। हम बोल ही नहीं रहे हैं कि कांग्रेस पाटी ने की, कांग्रेस पार्टी ने करवाई।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, हमने तो कहा ही नहीं कि आपने हत्या करवाई करके।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह आपको सोचने की क्या जरूरत है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी ऐसा ही होता है। (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह:- अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने उल्लेख किया कि उस घटना के बाद भाजपा के कार्यकर्ता अपने घर से बाहर नहीं निकले। यह भी अभी उल्लेख हुआ है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- चलिये। माननीय अध्यक्ष जी, आगे की प्रोग्राम की बात उन्होंने पूछा है। हम लोगों ने चिन्हांकित कर लिया है। कैंपों को आइडेंटिफाई कर लिया है और वर्षा के बाद नये कैंप खोले जायेंगे। अभी हमारे सात बटालियन की और जो मांग की गई है वह भी शायद स्वीकृति मिल जायेगी। जहां जरूरत है, वहां पर उसको लगायेंगे। कुछ चीजें है जिसको यहां पर नहीं कहा जा सकता किस दिशा में हम काम करेंगे, किस दिशा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कहां से शुरूआत करेंगे, पहले कहां तक ले जायेंगे। इस बात का उल्लेख करना, यहां उचित नहीं होगा। लेकिन स्पष्ट रणनीति की भी बात आई, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी ने भी कहा उसका भी उल्लेख किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी यह नहीं कहा है कि हम नक्सलियों से बात करेंगे। उन्होंने यह कहा है कि हम प्रभावित परिवार से, वहां रहने वाले निवासियों से जो रोजाना पीड़ित हैं, उनका अनुभव, पत्रकारों से जो अधिकारी खाली पुलिस विभाग के नहीं, जो अन्य विभाग के अधिकारी वहां हैं, उनका क्या अनुभव है ? उसके आधार पर ले करके हम रणनीत आगे बढ़ायेंगे। यह उन्होंने कहा है और उसके तहत काम की भी शुरूआत, योजना की भी शुरूआत हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। जैसे प्राधिकरण मद हो, चाहे डी.एम.एफ मद हो, इनको हम वहां पर रोजगारमूलक में शुरू करें, यह इसकी भी शुरूआत कर दी है ताकि वहां के लोगों को जो नक्सलियों के बहकावे में आकर जाते हैं या कुछ करते हैं, उनको हम रोजगार से जोड़ना शुरू करें। यहां तक कि हम लोगों ने सड़क की बात भी की है। सड़क को भी हम जैसा पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा जैसा सड़क बनाते हैं, वह सड़क मान लो हमारा 30-40 किलोमीटर का लंबा सड़क बन रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बोल रहा हूं। जो हमारा 30-40 किलोमीटर का लंबा सड़क बन रहा है, उसको भी हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं और एक तरीका हम लोग अभी बनाने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों से हम लोगों ने कहा है कि हम एक-एक किलोमीटर का सड़क बस्तर

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

अंचल के स्थानीय बेराजगार को दें। वह अपना मिट्टी मुरूम का और गिट्टा तक का काम कर लें तो उन लोगों को भी हम इस विकास से जोड़े। ताकि उनको लगे कि हमारे लिए है तो इस प्रकार से सारी रणनीति, सारी योजना हम नक्सली मोमेंट को खत्म करके लोगों को सरकार के प्रति विश्वास हो। हम उनके विकास कामों को जोड़े, उनको सुविधा दें, उनको बतायें कि हम आपके लिए हैं, नक्सली के भ्रम में न आएं, ये सारी चीजें हमारी रणनीति तैयार हो चुकी है, लागू हो चुका है। यहां तक की अभी तक डी.एम.एफ.फण्ड में बड़े-बड़े करोड़ों रूपये के भवन बनने का काम होता था। डी.एम.एफ. फण्ड का ऐसा उपयोग होता था। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित कर दिया है कि आप डी.एम.एफ. फण्ड को रोजगार मूलक कामों में स्वीकृत करें और वैसा ही हमारा अन्य जो फण्ड है, प्राधिकरण मद। प्राधिकरण मद में भी हम सीमेंटीकरण और बिल्डिंग लिया करते थे। हमारे उसमें भी निर्देश कर दिया गया है कि आप रोजगार मूलक में करिये और विशेषकर स्थानीय भर्ती जो बस्तर अचंल है, वह वही के बच्चों को भर्ती करो, ये पहले से भी था, आपके कार्यकाल में भी था, उसको भी माने वैसा के वैसा समय बढ़ाया गया है। पूरे तौर पर वहां सारे लोगों को जोड़ने का पूरी कोशिश की जा रही है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि हम हर जगह सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आपने 15 सालों में नक्सली मूवमेंट के लिए काम किया है, आप किसमें सफल हुए, किसमें आप असफल हुए ? रणनीति में क्या बदलाव किये जाने चाहिए ?ये 15 सालों का आपका अनुभव है, आप हमको वह अनुभव जरूर देंगे कि आप ऐसा करके सफल हुए...।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक लाईन में बता दूं। ज्यादा नहीं बोलूंगा। वैसे लम्बा बोल सकता था। थाने लूटे जाते थे, छत्तीसगढ़ हिन्दुस्तान में ऐसा था जहां पर थाने लूटे जाते थे, पुलिस के फोर्स को उठाकर ले जाते थे, थाने, चौकी ऐसे थे जहां ये हालात थे कि कच्चे मकान, कच्ची बाउण्ड्री वॉल में थे और फोर्स के पास न प्रशिक्षण था, न नक्सलियों से लड़ने की विल पॉवर थी, उनको भर्ती की गई, उनको प्रशिक्षित किया गया, उनको इकीप्ट किया गया और आज जो दूरस्थ अंचल में एक-एक करोड़ के थाने बने दिख रहे हैं, ये उस समय झोपड़ी में थाने चलते थे, दंतेवाड़ा में इस थाने को इस पार से उस पार क्रॉस कर दें, यदि इस विषय में बोलना चाहें तो घण्टों लगेंगे, मगर पुलिस बल की ये हालत थी, केवल ये बता रहा हूँ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- ये आपकी सफलता की बात है। अब असफलता किसमें हुई, वह भी बतायेंगे तो उस लाईन पर हम लोग रणनीति को आगे बढ़ायें कि हम सफल हों। मैंने आपसे ये दो बातें निवेदन की। मैं विरोध के लिए नहीं बोला। माने आप जो जितना काम करके सफल हुए और जहां असफल हुए जिसके कारण आज नक्सली मूवमेंट बचा है। उस कारण को भी आप अपने अनुभव को शेयर कर देंगे तो

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हो सकता है कि हमको काम करने में सुविधा मिलेगी। मात्र मेरा यह कहना है मैं विरोध के लिए नहीं बोल रहा हूँ।

श्री ननकीराम कंवर :- हम अपनी असफलता को बतायें, उसको तो आपको पकड़ना है। आप उधर बैठे हैं, क्योंकि आपको जनता ज्यादा चाहती है। उसको आप पकड़िये। क्या आप अक्षम हैं?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें जो थीं उनका जवाब दिया कि अब हम लोग 7 नई सी.आर.पी.एफ. की बटालियन हमारे पास मांग लिये हैं, जगह चयन कर ली गई है, बरसात जैसे ही खत्म होगी हम वहां करेंगे और जो सड़कों की बात है हम पुसिल हाऊसिंग कार्पोरेशन की ओर से जो पी.डब्ल्यू.डी. सड़क नहीं बना पा रही थी, उसमें भी हम लोगों ने सड़क बनवायी। आगे भी हम हमारे पुलिस विभाग और पी.डब्ल्यू.डी., एन.एस., ए.डी.बी. से मिलाकर, बैठकर चर्चा कर चुके हैं कि इस नक्सली बेल्ट में जहां पी.डब्ल्यू.डी.काम नहीं कर पा रही है या नक्सलियों के द्वारा हमारे ठेकेदारों के वाहन जला दिये जाते हैं या काम नहीं करने दिया जाता। हमारा कैम्प लगता है 3 किलोमीटर इधर बनाते हैं, 3 किलोमीटर आगे बनाते हैं फिर कैम्प आगे बढ़ाते हैं तो उन एरियों में हमारे पुलिस हाऊसिंग से हमारे अधिकारियों को हम लोगों ने कहा है, उन लोगों ने अच्छी सड़क बनायी है। जहां उनके द्वारा ज्यादा नक्सली मूवमेंट है, ज्यादा जगहों पर वैसा है वहां हम लोगों ने अभी दोनों विभागों से चर्चा करके कोशिश, तैयारी की है कि वहां पर उस प्रकार से भी हम लोग काम करें ताकि जल्दी से जल्दी अच्छी सड़क बने, नक्सलियों से भय के कारण जो नहीं हो रहा है तो उसमें वह बन जाये। ये सब हम लोगों ने अभी नई रणनीति के तहत तैयारी की है। उसकी तो जानकारी दे दी गई है शिक्षक और इंस्पेक्टर की बात जो समाचार पत्र की बात आयी थी। अकबर जी ने उसकी जानकारी दे दी है। उप निरीक्षक ललित कश्यप और शिक्षक जयसिंह कुरैटी की रिपोर्ट पर थाना आरनपुर में अपराध दर्ज किया गया था, दोनों की हत्या नहीं हुई है, दोनों सही सलामत हैं, यह बात की भी जानकारी देना चाहता हूं, आप लोगों ने जो प्रश्न किया था, उसमें आपने एक बात कही थी कि विधायक की किस-किससे बात हुई थी, उसकी जानकारी आनी चाहिए ? तो एस.पी. ने सुबह माननीय विधायक से कहा था, दोपहर में बचेली थानेदार ने निवेदन किया था और उनको आगाह किया था कि उधर आर ओ पी नही है, न जायें। प्रमाण की जो बात कही थी कि उसका प्रमाण पेश करें, उसकी भी जानकारी मैं बता रहा हूं। एन.आई.ए. जांच के लिए भारत सरकार ने कोर्ट में केस लगाया है उसके कारण से वह जांच रूकी पड़ी है, अगर वह हो जाये, हमारी सरकार की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से आग्रह भी किया है कि हम जांच में काफी आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए एन.आई.ए. की जरूरत नहीं है। ये बात है। मैं उसको पढ़कर भी सुना सकता हूं। हमारे पास उसका भी उल्लेख है। अगर वह हो जाये तो हम जांच जल्दी कर लें और जांच जल्दी करके हम लोग उसकी भी जानकारी दे दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी अभी तक आपने जो जांच की है, उसमें क्या परिणाम सामने आये हैं, जरा उसको बता दें। आप बहुत आगे बढ़ गये हैं। हम ये चाहते हैं कि भीमा मण्डावी जी की हत्या में कौन लोग शामिल थे, उनकी हत्या क्यों की गई, अभी तक जांच में क्या तथ्य आये हैं, जरा आप उसको बता दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- कमेटी बनी है, रिपोर्ट आयेगी तब तो आपको बतायेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मंत्री जी आपको बता रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जांच के पूरे तथ्यों को बताया जाना संभव नहीं है। पर उसमें 01 माओवादी मारा जा चुका है, 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे जानकारियां मिल चुकी हैं, जांच चल रही है। हम लोगों ने जो आवेदन दिया है, उसको पढ़ने से लंबा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं यह कहना चाहता था चूंकि इस पर न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है, इसलिए आप लोग उतनी ही चर्चा करें जो उसको प्रभावित न करे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने एन.आई.ए. जांच की बात कही, झीरम घाटी का बार-बार उल्लेख होता है, एन.आई.ए. जांच में आपत्ति क्या है ? यदि एन.आई.ए. जांच केन्द्र सरकार ने घोषित की है, चूंकि हम जांच में ज्यादा आगे बढ़ गये हैं, इसलिए एन.आई.ए. जांच नहीं करवाना चाहते, ये तथ्य नहीं है। यदि केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि एन.आई.ए. जांच करवायेंगे तो मेरा यह आग्रह है कि राज्य सरकार उसमें सहमति दे। माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करें। जब न्यायिक जांच चल रही है, आप पीछे से जांच करवा रहे हैं तो एन.आई.ए. जांच भी हो जायेगी तो क्या तकलीफ है ? वह तो और अच्छा होगा कि तथ्य सामने आयेंगे, यदि कोई तथ्य राज्य की एजेन्सी से या किसी दूसरी एजेन्सी से छूट जायेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ये कभी नहीं बोला कि हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पीड़ितों से बात करेंगे। पर आपने ये नहीं बताया कि 6 महीने में वह कब, किससे बात किये, कौन से पीड़ित से बात किये ? कहां मीटिंग हुई, किनको बुलाया गया, कौन-कौन पीड़ित थे ? आखिर ये कब तक बात करेंगे ? फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि वहां पर कोई बहुत अच्छा अस्पताल नहीं है, जिसमें नक्सली हमले में जो घायल होते हैं, उनको हेलीकॉप्टर से लाना पड़ता है।

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं आपके और केशव चन्द्रा जी के सुझाव में आखिरी में आ रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हॉ थोड़ा बता दीजियेगा। आखिरी में दो शब्द ये भी बताईयेगा कि आप लोग वहां कब-कब जाकर एर्राबोर, पोलमपल्ली में रूकने वाले हैं ? वहां विधानसभा का सत्र चलेगा या नहीं चलेगा ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिये आखिरी आप ही में आ जाता हूं। माननीय धर्मजीत सिंह जी, केशव चन्द्रा जी ने कुछ सुझाव दिये हैं, अच्छे सुझाव हैं। हम उनको अपनी बैठक में रखेंगे ताकि उस दिशा में एक सार्थक पहल हो सके। माननीय बृजमोहन जी ने ये भी कहा था कि माननीय मंडावी जी ने सुरक्षा वापिस करने के लिए किसको बोला था। माननीय मंडावी जी ने डी.आर.जी. प्रभारी एस.आई. श्री विजय यादव को कहा कि अब सुरक्षा वापस ले जायें, क्योकि आज भ्रमण कार्य नहीं करूंगा। मैं नाम सहित बता रहा हूं, उसकी भी जानकारी देकर बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से भीमा मण्डावी जी की सुरक्षा में सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई। हादसा हुआ, इसका दु:ख हमें भी है। जान-बूझकर सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई। फिर से कहना चाहता हूं कि बस्तर में रहने वाले, सामान्य जगह में रहने वाले जिस जन-प्रतिनिधि को कहीं भी सुरक्षा की आवश्यकता होगी, सरकार पूरी तरह मुहैया करायेगी। बस्तर में विकास कार्य पूरी तरह संचालित करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यह जो जांच रूकी हुई है । एनआई की जांच और यहां की जांच आगे नहीं बढ़ रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि झीरम घाटी की भी जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद में एनआईए की जांच के लिये स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी गयी थी तो क्या मंत्री जी एनआईए की जांच में सहयोग करेंगे और वे जांच को आगे बढ़ायेंगे और यदि आगे बढ़ायेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप उसकी यहीं पर घोषणा करें ।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एनआईए का आदेश हुआ और हमारी जांच जब आगे बढ़ी थी उसके तहत् हम लोगों ने कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर दिया है तो उस विषय में यहां किसी भी प्रकार की घोषणा या आश्वासन मैं नहीं कर सकता ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह मान लिया है और यह मान करके चल रहे हैं कि उसमें हमें सहयोग नहीं करना है । जांच तो वे करायेंगे केवल सहमति देना है लेकिन वे सहमति देने को तैयार नहीं हैं इसलिये हम यहां से वॉकआऊट करते हैं ।

प्रकाशन/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

5.56 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष, श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बहिर्गमन का कारण है कि 15 सालों में नक्सली मूवमेंट ठीक नहीं कर पाये । यदि 15 साल ये बहिर्गमन नहीं करते तो नक्सली मूवमेंट इस प्रदेश से समाप्त हो गया होता । (मेजों की थपथपाहट) आज भीमा मण्डावी की हत्या नहीं होती और हमने 6 महीने में जितना किया है ये 15 साल में उतना नहीं कर पाये, ये ऐसे ही भागते रहे । नक्सलियों के पास भागते रहे, उनके डर से भागते रहे और 15 साल में नक्सली मूवमेंट खत्म नहीं कर पाये । 6 महीने में हमने जो दमदारी से किया उसका यह परिणाम है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- केंद्र और राज्य में इनकी सरकार होने के बावजूद भी नहीं कर पाये ।

समय :

5.57 बजे

विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-87, चित्रकोट (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री दीपक बैज

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र-87 चित्रकोट (अ.ज.जा.) से छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के लिये निर्वाचित सदस्य, श्री दीपक बैज द्वारा दिनांक 04 जून, 2019 को दिया गया त्याग-पत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 190 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) की अपेक्षानुसार तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 276 (1-क) के तहत् दिनांक 04 जून, 2019 को मेरे द्वारा स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ विधान सभा का उक्त स्थान उसी दिनांक से रिक्त हो गया है ।

समय :

5.57 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के वर्ष 2019-20 की शेष अवधि हेतु 01 माननीय सदस्य का निर्वाचन

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

"सभा के सदस्यगण, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिये अपने में से 01 सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों" ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -

"सभा के सदस्यगण, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिये अपने में से 01 सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समय :
5.58 बजे

<u>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि हेतु 02 सदस्यों का निर्वाचन</u>

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"सभा के सदस्यगण, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग से रिक्त हुए दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने में से अनुसूचित जनजाति वर्ग के दो सदस्यों, के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।"

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -

"सभा के सदस्यगण, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग से रिक्त हुए दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने में से अनुसूचित जनजाति वर्ग के दो सदस्यों, के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि हेतु क्रमश: एक एवं दो सदस्यों के रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 को सायं 5.00 से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-दो में होगी ।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2019 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान गुरूवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 को प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

समय :
6:02 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

1. श्री अजय चन्द्राकर (अनुपस्थित)
2. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (अनुपस्थित)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पलायन कर गए हैं, अध्यक्ष जी ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 को प्रात: 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(सायं 6 बजकर 02 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 25, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
15 जुलाई, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं